पंचम माला, खंड 25, अंक 27
Fifth Series, Vol. XXV No. 27

बुधवार, 28 मार्च, 1973/7 चैत्र 1895 (शक)
Wednesday, March 28, 1973/Chaitra 7, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खंड 25 में अंक 21 से 30 तक है
Vol. XXV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

5 LSS/73—1

विषय सूची Contents

अंक 27, बुधवार, 28 मार्च, 1973/7 चैत्र, 1895 (शक)

No. 27, Wednesday, March 28, 1973/Chaitra 7, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
502	1857 की क्रान्ति और अन्य देशों की स्वाधीनता क्रान्तियों की स्मृति में डाक टिकटें	Postal Stamps in commemoration of 1857 Revolution and Independence revolutions of other countries.	1
503	पांचवीं योजना में गरीबी हटाने में लोगों को भागीदार बनाना	Involvement of people in the removal of poverty during Fifth Plan.	2
505	डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी	Payment of overtime allowance to P.& T. Employees	5
507	प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर भरी बन्दूक लेकर प्रवेश करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against the person who tried to enter the Prime Minister's residence with a loaded gun.	7
508	राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States. . .	9
509	भारत-रूस आयोग के ढांचे पर भारत तथा अन्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग	Economic co-operation between India and other countries on the pattern of Indo-Soviet Commission. . .	11
510	उत्तर बंगाल के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Backward Districts of North Bengal . . .	13
512	स्वर्ण हिन्दू जमींदारों द्वारा हरिजनों के सामाजिक बहिष्कार के मामले	Cases of Social Boycott of Harijans by Caste Hindu landlords. . .	15
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
501	बेरोज़गारी और गरीबी हटाना	Removal of unemployment and Poverty	16
504	आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के उपबन्धों का भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध लागू किया जाना	Application of provisions of Maintenance of Internal Security Act against corrupt officers. . . .	17
506	मैसूर के पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग	New Industries in Backward areas of Mysore.	17

किसी के नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
511	पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधि-मंडल का दौरा	Visit of West German Technical Delegation	17
513	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों और सिधी (मध्य प्रदेश) के बीच टेलीफोन सम्पर्क	Telephone link between M.C.D.C. Coal-fields and Sidhi (M.P.) . . .	18
514	पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में रियायती दरों पर डाक तथा टेलीफोन सुविधाएं	Postal and Telephone facilities in Hilly and Backward areas at concessional rates	19
515	टायर उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Tyre industry .	20
516	ग्राटो रिक्शा के लिए मीटरों का निर्माण	Manufacture of Meters for Auto-rickshaws	20
517	फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन के लिए समान विनियम	Uniform regulations for Film Production and Exhibition	20
518	नैनीताल में टेलीविजन फैक्टरी	T.V. factory at Nainital	21
519	वैज्ञानिकों की नियुक्ति के बारे में संघ लोक सेवा आयोग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच मतभेद	Impasse between U.P.S.C. and the Department of Science and Technology on appointments of scientists .	22
520	नए निर्माण एककों की स्थापना की लागत	Cost of setting up of new manufacturing units	22
अ० ता० प्र० सं० U. S. Q. No.			
4928	बिहार के कालेजों में अमरीकी गुप्तचर विभाग की गतिविधियां	C.I.A. activities in colleges in Bihar	22
4929	"अवंतिका" के बंडल	Bundles of 'AVANTIKA'	23
4930	राष्ट्रीय आय	National Income	23
4932	पजांब के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to freedom fighters of Punjab	23
4933	बिजली की कमी वाले राज्यों को पन-बिजली देना	Hydel Power for states facing power famine	24
4934	फिरोजाबाद और वाराणसी के दंगों के बारे में प्रतिवेदन	Report on Ferozabad and Varanasi Riots	25
4935	फिरोजाबाद और वाराणसी में हुए दंगों के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोग की नियुक्ति	Appointment of Commission by Tamil Nadu Government on riots in Ferozabad and Varanasi . . .	25
4937	बेरोजगारी हटाने के संम्बन्ध में 'इंडियन एसेम्बली ग्राफ यूथ' (भारतीय युवक मण्डल) द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestions given by the Indian Assembly of Youth for removing unemployment	26

अ॰ ता॰ प्र॰ सं॰ U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4938	अपात्र व्यक्तियों को ताम्रपत्र दिया जाना	Award of Tamra Patras to undeserving persons	27
4939	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज़ की मिलें	Newsprint Mills in Public and Private sector	27
4940	विदेशी जानकारी पर निर्भर न रहने वाले उद्योग	Industries not dependent on foreign know-how	28
4941	'न्यू वेव" के निदेशक तथा साझेदार	Directors/Partners of 'New Wave'	28
4942	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि॰ में रंगीन फिल्मों का उत्पादन	Production of Colour films in Hindustan Photo Films Manufacturing Co.	29
4943	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को हानि	Loss incurred by Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd.	29
4944	मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोज़गारी के लिए रोजगार	Employment for educated unemployed in M.P.	30
4945	मध्य प्रदेश में पांचवीं योजना के दौरान बड़े और लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Large and Small Scale Industries in M.P. during fifth Plan.	30
4946	खंडवा इन्दौर टेलीफोन लाइन का दोषयुक्त होना	Defective Khandwa Indore telephone line	31
4947	आर्यभट्ट की स्मृति में डाक टिकट जारी करना	Issue of stamp in honour of Aryabhatta	31
4948	पंजाब में भूमिगत पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या	Number of underground Pakistani Nationals in Punjab State	31
4949	दैनिक "अवन्तिका" को विज्ञापन	Advertisement to Daily 'Avantika' (Ujjain)	32
4950	भारत आने वाले शरणार्थियों की जांच	Screening of refugees coming to India	33
4951	ब्रिटेन के उद्योगपति समूह की नई दिल्ली में मंत्री के साथ बैठक	Meeting of Group of British Industrialists at New Delhi with Minister	34
4952	रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वर्ष 1973-74 में राज्यों को धनराशि का आवंटन	Allocation of funds to states during 1973-74 for creating employment	34
4953	अनुसंधान योजनाओं के लिए वर्ष 1973-74 में केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance to Kerala and Calicut universities during 1973-74 for Research Schemes	35

अ॰ ता॰ प्र॰ सं॰ U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4954	अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सम्मेलन	All India Freedom Fighters Conference .	35
4955	उड़ीसा में "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" ले जाने पर पाबन्दी	Ban on entry of the Hindustan Standard into Orissa	36
4956	आन्ध्र प्रदेश के आन्दोलनकारियों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के बच्चे को फिरौती पर रोके रखना	Child of a District Magistrate held on ransom by Andhra Pradesh Agitators	36
4957	दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों की कमी	Shortage of Police Personnel in Delhi	36
4958	उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र	Licences applied for setting up Industries in Uttar Pradesh . . .	37
4960	इन्टरनल कम्बस्चन इंजनों का उत्पादन	Production of Internal Combustion Engines . . .	37
4961	केरल राज्य में बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े	Statistics regarding unemployment Keral State	38
4962	अल्प-विकसित क्षेत्रों के लिए बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar for under-developed areas . .	39
4963	जेम्स फिन्ले एण्ड कं॰ कलकत्ता पर प्रवर्त्तन निदेशालय, कलकत्ता द्वारा अचानक छापा मारा जाना	Surprise visit by Enforcement Directorate, Calcutta to James Finlay and Co., Calcutta . . .	40
4964	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में में सचिव का पद	Post of Secretary in Ministry of Irrigation and Power. . .	40
4965	कैदियों के लिए खुली जेल बनाने के लिए राज्य से अनुरोध	Request from the State for the construction of open jails for prisoners	40
4966	मध्य प्रदेश में सीमेन्ट कारखानों की प्रगति	Progress of Cement factories in M.P.	41
4967	भारतीय दल द्वारा तंजानिया का दौरा	Visit by Indian team to Tanzania	41
4968	डाक तथा तार विभाग में भर्ती का विकेन्द्रीकरण	Decentralization of Recruitment in P. & T. Department.	42
4969	डाक और तार के बिहार सर्किल में कर्मचारियों की स्थिति	Staff position in Bihar Circle of P. & T.	42
4971	पाक राष्ट्रिकों द्वारा देश छोड़ने के आदेशों की अवहेलना	Disobeyance of Quit Orders by Pak Nationals . . .	43

अ० ता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
4973	मध्य प्रदेश में सीमेन्ट की कमी	Shortage of Cement in M.P. . .	44
4974	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से उनकी समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन	Representation from employees of Coir Board regarding their problems	44
4975.	बिहार और उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार	Employment to educated unemployed in Bihar and U.P.	44
4976	प्रादेशिक असमानताएं दूर करने के लिए 1973-74 के बजट में व्यवस्था	Annual Budget provided in 1973-74 for removing regional disparities.	45
4977	असम की नई राजधानी पर व्यय	Expenditure on New Capital of Assam	45
4979	आदिवासियों के उत्थान के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for upliftment of Adivasis . . .	46
4980	श्री कल्याण बसु द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Shri Kalyan Basu .	46
4981	1973-74 में राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता	Assistance for development of Backward areas in States during 1973-74	47
4982	भूतपूर्व राजाओं-महाराजाओं को अनुग्रहपूर्वक अदायगियों की राशि	Quantum of *ex-gratia* payments to former Rulers	47
4983	हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों की जांच के लिए 'सेल" का गठन अथवा विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of special police officers or setting up of a cell to enquire into cases of atrocities against Harijans	48
4984	मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward areas of M.P.	48
4985	अनुसूचित जातियों के लोगों के बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने की कसौटी	Criterian to provide financial assistance to Scheduled Castes for higher Education Abroad	49
4987	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति	Overseas Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates.	50
4988	हरिजन कल्याण सम्बन्धी सुधार कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अलग 'सेल' स्थापित करना	Setting up of separate cells for the execution of Improvement works in the Harijans welfare . .	50

अ॰ ता॰ प्र॰ स॰ U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4989	उत्तर प्रदेश में मथुरा में गुलाम के रूप में कार्य कर रही आदिवासी लड़कियां	Adivasi Girls working as Slaves in Mathura, U.P.	50
4990	गोरखपुर में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Gorakhpur. . .	51
4991	मंत्रालयों में विभागीय पदोन्नति समितियां	Departmental Promotion Committee in Ministries.	51
4992	लघु उद्योग विकास संगठन के जूनियर फील्ड आफिसरों की वरीयता	Seniority of Junior field officers in Small Scale Industries Development Organisation	52
4993	बंगला देश के निवासियों के भारतीय नागरिकता प्रदान करना	Grant of Indian Citizenship to Bangladesh Residents.	53
4994	दिल्ली में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे स्टेशन निदेशक, आदि	Stay of Station Directors, etc. in Delhi beyond five years . . .	53
4995	पांचवीं योजना के दौरान रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की योजनाएं	Schemes for creating employment during fifth Plan	53
4996	एक वर्ष में 29 विशेष डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव	Proposal to issue 29 Postal Stamps in one year	54
4997	वर्ष 1974–75 में उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविजन परीक्षण	Satellite Instructional T.V. Experiment in 1974-75	54
4998	उद्योगों द्वारा कृषि का विकास	Development of Agriculture by Industries	55
4999	सिगरेटों के लिए आशयपत्रों और लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of letters of Intent and Licences for Cigarettes. . . .	55
5000	टेलीफोन केन्द्र प्रणाली के गुण-दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विदेश भेजे गए तकनीकी प्रतिनिधि मंडल	Technical Delegations sent abroad to study Relative Merits of Telephone Exchange systems . . .	56
5001	चीन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विद्रोही नागाओं का नागालैन्ड में पुनः प्रवेश	Re-entry of Rebel Nagas into Nagaland after getting training from China	56
5002	महाराष्ट्र हरियाणा और उत्तर-प्रदेश के टेलीफोन सुविधाओं से युक्त ग्राम	Villeges of Maharashtra, Haryana, and U.P. with Telephone facilities.	57
5003	उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु शक्ति केन्द्र	Narora Atomic Power Station in U.P.	57

अ॰ ता॰ प्र॰ स॰ U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5004	स्टेशनों को सूक्ष्म तरंग ट्रांसमिशन प्रणाली से सम्बद्ध किया जाना	Stations to be linked with Microwave Transmission system . .	58
5005	'वन एशिया असेम्बली' के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का नामांकन/चयन	Nomination/Selection of Indian Delegation to "One Asia Assembly"	58
5006	पश्चिमी बंगाल से उद्योगों का स्थानान्तरण	Shifting of Industries from West Bengal	59
5007	अणुशक्ति का विखण्डन (फिशन) और संगलन (फ्यूजन) के मिश्रण के रूप में उत्पादन	Production of Nuclear Energy as a mixture of fission and fusion. . .	60
5008	गुजरात में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची	Waiting list for Telephone Connections in Gujarat	60
5009	उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार के मामले	Cases of atrocities on Harijans in U.P.	61
5010	टेलीफोन बक्सों में परिवर्तन किये जाने के कारण लोगों को सार्वजनिक टेलीफोनों से टेलीफोन करने में असुविधा	Inconvenience caused to people in making telephone calls from Public Call offices due to the modifications in the telephone Boxes	61
5011	मध्य प्रदेश में यूरेनियम निक्षेपों का विदोहन	Exploitation of Uranium Deposits in M.P.	62
5012	टेलीविजन निर्माण के लाइसेंस धारियों द्वारा सरकारी शर्तों के कारण परियोजनाओं के छोड़ने की संभावना	New T.V. licencees likely to abandon their projects because of the conditions laid down by the Government	62
5013	आकाशवाणी का रीवा केन्द्र	Rewa Radio Station . .	62
5014	विभिन्न राज्यों में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालाएं (इंडस्ट्रीयिल हाईजीन लेबोरेटरीज)	Industrial Hygiene Laboratories in various States.	63
5015	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का कार्य	Role of National Productivity Council	63
5016	औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो	Bureau of Industrial Costs and Prices	65
5017	कटिहार सब-डिवीजन में टेलीफोन से आय	Telephone Revenue in Katihar Sub-Division.	65
5018	भारत और मिश्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी करार	Agreement of Scientific and Technical Corporation between India and Egypt	66

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
5019	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता समाप्त करना	Doing away with English as Medium of answering Questions in U.P.S.C. Examinations	66
5020	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में दियासलाई का कारखाना लगाना	Setting up of Match Box Factory in Hill District of U.P. . . .	67
5021	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas of U.P.	67
5022	मनीआर्डर पाने वालों को भुगतान कर सकने योग्य रुपया न रखने वाले गढ़वाल के डाक-घर	Garhwal Post offices working without any Money to pay to payees of money orders	70
5023	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली तथा नई दिल्ली के पचास डाक घरों को अपने कार्यालय वर्तमान स्थानों से हटाने का आदेश	50 Post offices in Delhi and New Delhi served with closure order by D.D.A.	70
5024	चोरी छिपे भारत आने वाले बंगला देश के शरणार्थी	Bangladesh Refugees coming to India clandestinely	71
5025	विदेशी तम्बाकू और सिग्रेट उद्योगों द्वारा लाभ आदि बाहर भेजना	Remittances made by Foreign Tobacco and Cigarette Industries . .	71
5026	महाराष्ट्र राज्य से भूमिगत पाकिस्तानी नागरिकों का निष्कासन	Deportation of underground Pakistani nationals from Maharashtra State.	71
5027	बिहार राज्य से भूमिगत पाकिस्तानी नागरिकों का निष्कासन	Deportation of Pak. Nationals from Bihar State	72
5028	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	Andaman and Nicobar Islands .	72
5029	लक्ष द्वीप समूह	Laccadive group of Islands .	73
5030	भूमि सुधारों को क्रियान्वित करना	Implementation of Land Reforms .	74
5032	राजस्थान में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए आवेदन पत्रों की संख्या	Number of Telephone connections in Rajasthan	74
5033	बोरों, जिला कोटा में टेलीफोन एक्सचेंज और डाकघर के लिए अपर्याप्त स्थान	Inadequate space at Telephone exchange and Post office Boron, District Kota . . .	75
5034	राजस्थान में किराये के भवनों में चल रहे टेलीफोन केन्द्र तथा डाकघर	Telephone Exchanges and Post offices in Rented Buildings in Rajasthan	75
5035	टेलीफोन के सभी किस्म के उपकरणों का स्वदेश में उत्पादन	Manufacture of all types of Telephone Equipment indigenously . .	75

अ० ता० प्र० स० U. S. Q. No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5036	गुजरात में योजना बोर्ड	Planning Board in Gujarat.	76
5037	ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम केन्द्र	Rural Industrial Projects Programme Centres	76
5038	छोटे औद्योगिक एककों के लिए कच्चे माल सम्बन्धी प्रचार व्यवस्था	Agreement for Publicity reg. Raw materials for Small Industrial Units	77
5039	लघु उद्योगों की स्थापना के लिए मार्ग दर्शन करने वाले संस्थान	Institutions for guidance for setting up Small Scale Industries . . .	77
5040	दिल्ली टेलीफोन परामर्श दात्री समिति के सदस्य को टेलीफोन स्वीकृत करने का अधिकार	Power of a Member of Delhi Telephone Advisory Committee to Sanction Telephones	78
5041	मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तानी जासूस का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of a Pakistani Spy at Meerut, U.P.	79
5042	क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना	Removal of Regional Imbalances.	
5043	महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra-Mysore Boundary Disputes	82
5044	केन्द्रीय सरकार में राज्यों से प्रतिनियुक्त भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी.	ICS/IAS officers from States on Deputation in Central Government.	82
5045	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ ग्रेड में पदोन्नत करने के लिए चयन सूची में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों को सम्मिलित करना	Inclusion of Scheduled Caste Senior Investigations of Central Statistical Organisation in the select list for promotion to grade IV of Indian Statistical Service . .	84
5046	बिहार और उड़ीसा में भारतीय सर्वेक्षण संस्था के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Strengthening of Survey of India in Bihar and Orissa	84
5047	जन साधारण के शिक्षण के लिए उपग्रह संचार व्यवस्था	Satellite communication for Mass education	85
5048	10 वर्ष सेवा-काल वाले अस्थायी स्टाफ आर्टिस्ट	Temporary staff Artists with ten years service	86
5049	शॉ, वेलेस, कलकत्ता को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Shaw Wallace, Calcutta.	86
5050	राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़ा मिलों के अंशधारियों को मुआवजा दिया जाना	Compensation to shareholders of textile Mills by National Textile Corporation.	86
5051	औद्योगिक अवशिष्ट का प्रयोग	Use of Industrial Waste .	87

अ ता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5052	अस्पृश्यता निवारण (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमे	Prosecution launched under the Prevention of Untouchability (Offences) Act	87
5053	सरगुजा जिले में आदिवासियों को ईसाई बनाया जाना	Conversions to Christianity in District Sarguja	87
5054	छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना	Incentive to small Industries .	88
5055	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा लाभ आदि बाहर भेजना	Remittances made by Indian Oxygen Ltd.	88
5056	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन मैकेनिकों के रिक्त पद	Vacant Posts of Telephone Machanics in Delhi Telephone District	88
5057	आगरा जिले की बाह तहसील में तारघर	Telegraph offices in Tehsil Bah of Agra District.	89
5058	उत्तर प्रदेश में उप डाकघर तथा शाखा डाकघर	Sub-Post offices and Branch Post offices in U.P.	89
5059	आगरा में रेडियो स्टेशन और टेलीविजन केन्द्र	Radio Station and T.V. Centre at Agra	90
5060	सकंट ग्रस्त लघु उद्योगों को हाथ में लेना	Take over of Small Sick Industries.	90
5061	साम्प्रदायिकता का प्रचार करने वाले समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन न देना	Government Advertisements to News papers propagating communalism	90
5062	बिना सरकारी आवास के पटना के डाक और कर्मचारियों की संख्या	Patna P. & T. employees without Government Accommodation .	91
5065	आनन्द मूर्ति को विष देने का कथित प्रयास	Alleged efforts to poison Ananda Murti	91
5066	अन्तरिक्ष विज्ञान में प्रगति के लिए विकसित देशों के साथ समझौते	Agreements with Developed Countries for advancement in Space Science	92
5067	राज्यों में नर-बलि के मामले	Cases of Human Sacrifice in States	92
5068	इलैक्ट्रानिक्स के सामान के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पांच सूत्री कार्यक्रम	Five-Point task to boost Electronic output	92
5069	गुजरात में उद्योग लगाने के लिए आशयपत्र/लाइसेंस देना	Issue of Letters of Intent/Licences for setting up of Industries in Gujarat	94
5070	पिन कोड प्रणाली में प्राप्त सफलता	Extent of success achieved in PIN Code System	95

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5072	काश्मीर के सुरक्षा क्षेत्र में पर्यटकों का जबरदस्ती प्रवेश	Tourists intrude into Kashmir Security Zone	95
5073	सार्वजनिक वितरण पद्धति के विस्तार द्वारा रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना	Creation of Employment opportunities by expanding Public Distribution System	95
5074	आकाशवाणी के गठन में परिवर्तन करना	Change in A.I.R. Set Up .	96
5075	डाक तथा तार विभाग को टेलीफोन लाइनों के आवंटन के लिए लोक लेखा समिति का सुझाव	P.A.C.'s suggestion to P. & T. Department for Allocation of Telephone Lines	96
5076	दिल्ली प्रदेश साम्प्रदायिकता विरोधी समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन में साम्प्रदायिक संस्थाओं पर रोक लगाने की मांग	Ban on Communal Bodies demanded at the Convention organised by Delhi State anti-Communalism Committee	97
5077	दिल्ली के काजी हौज क्षेत्र में पड़ी डकैती के बारे में जांच	Enquiry into the robbery in Qazi Hauz Area, Delhi	97
5078	पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Chief Ministers for Eastern Regions Development	98
5079	औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी सहायता हेतु भारत और जंज़ीबार के बीच करार	Agreement between India and Zanzibar on Technical Assistance for Industrial Development . .	98
5080	केन्द्र तथा राज्यों द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना	Implementation of the recommendations of Administrative Reforms Commission by the Centre and the States	98
5081	केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था, रूड़की द्वारा आविष्कृत सोलर वाटर हीटर	Solar Water Heater invented by the Central Building Research Institute, Roorkee	99
5082	हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार देने के अधिक अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपसमितियों का गठन	Formation of sub-Committees by State Governments for greater opportunities for employment to Harijans and other Backward classes	100
5083	लापरवाही के आरोप में मुअत्तिल अंडमान के पुलिस इन्सपैक्टरों की पदोन्नति	Promotion of a Police Inspector of Andamans under suspension for negligence	100
5084	कोरी सिनेमा फिल्म पर कर	Tax on unexposed raw Cinema films	101

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5085	पांचवीं योजना के दौरान शिक्षित बेरोज़गारों के लिए रोजगार के अवसर	Employment Opportunities for Educated unemployed during Fifth Plan	101
5086	क्षेत्रीय विषमताओं के कारणों का पता लगाने के लिए बनाई गई समिति	Committee set up to investigate reasons for Regional Imbalances . .	101
5087	कलकत्ता के टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रमों की मांगों को पूरा करने के लिए बगांल के फिल्म स्टूडियों को नया रूप देना	Re-orientation of film studios of Bengal to meet demands of Calcutta T.V. Programmes	102
5088	बड़े राज्यों में तेजी से अधिक विकास तथा साधारण व्यक्ति कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति के तरीकों का सुझाव देने के लिए अध्ययन दल	Study team for suggesting methods for speedy Economic Development and Implementation of Common Man's Welfare Plans in large sized States	102
5089	धूल भरी आंधियों से भरपूर सूरत जिले के क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें देने की व्यवस्था	Provision of Telephone lines in areas of Surat District hit by Sand Storms	103
5090	भारत में उत्पादित कागज की कीमत	Quality of Paper manufactured in India	103
5091	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक गृहों द्वारा दिखाया गया उत्साह	Response for setting up of Industries by Industrial Houses in Backward areas	103
5092	विकास योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए आधुनिक प्रबन्धक प्रक्रियाओं को लागू करना	Introduction of Modern Managerial Techniques in Implementing Development Plans	104
5093	दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में नागरिक सुविधाएं	Civic Amenities in Chittaranjan Park, Delhi	104
5094	तकनीकी विभागाध्यक्षों के रूप में टैक्नोक्रैटों को नियुक्त करना	Appointment of technocrats as Heads of technical Departments . .	105
5095	वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्ज़ लिमिटेड, नार्थ कन्नारा (मैसूर)	West Coast Paper Mills Ltd., North Kanara (Mysore) . . .	105
5096	अन्तर्क्षेत्रीय और अन्तर्मंत्रालीय प्राथमिकता निश्चित करने के लिए वार्षिक बजट तैयार करने से पहले योजना आयोग से परामर्श	Consultations with Planning Commission before preparation of Annual Budget to fix Inter sectoral and Inter-Ministerial Priorities . .	106
5097	आवद्ध सिविल सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to form committed Civil Service . . .	106

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5098	केन्द्रीय सरकार की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	Voluntary Retirement from Central Government Service . . .	106
5099	नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों की मांगें	Demands of NDMC employees .	107
5100	मध्य प्रदेश के चम्बल घाटी क्षेत्र में डाकुओं द्वारा आत्म संमर्पण	Surrender of Dacoits in the Chambal Valley Region of Madhya Pradesh	108
5101	धर्मशाला में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Dharamshala . .	108
5102	देश में हिंदी भाषी तथा गैर-हिन्दी भाषी राज्य	Hindi speaking and Non-Hindi speaking States in the country . .	108
5103	भूतपूर्व नरेशों के समाप्त हुए विशेषाधिकार	Privileges lost by former Princes .	109
5105	केरल में नारियल जटा उद्योग को आसानशर्तों पर ऋण	Soft Loan to Coir Industry in Kerala	109
5106	थोरियम का प्रयोग	Use of Thorium .	110
5107	नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन	Re-organisation of Coir Industry	110
5108	निर्धनता स्तर से भी नीचे के स्तर पर रहने वाले लोग	People living below poverty line.	111
5109	केन्द्र से अलग होने की राज्यों की प्रवृत्ति	Tendencey of States to Secede from Centre	112
5110	परमाणु बिजली घरों का बन्द होना (ब्रेक डाउन)	Break Downs in Atomic Power Plants	112
5111	उत्तर प्रदेश के लिये पांचवीं योजना	Fifth Plan for U.P. . .	114
5112	राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित किए गए उद्योग	Setting up of Industries by State Industrial Development Corporation.	115
5113	परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए अन्य देशों के साथ करार	Agreements with other countries for Development of Atomic Energy	116
5114	अहमदाबाद में प्रायोगिक उपग्रह संचार भू-केन्द्र का विस्तार	Expansion of Experimental Satellite Communication Earth Station at Ahmedabad	116
5116	पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना	Grants of Indian Citizenship to refugees from West Pakistan . . .	116
5117	पांचवीं योजना में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries during Fifth Plan	117

अ० ता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5118	गोवा, दमन और द्वीव की विधान सभा के लिए सदस्यों को नामजद करना	Nomination of members to Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu.	117
5119.	राज्यों को केन्द्रीय सहयता देने सम्बन्धी गाडगिल फार्मूले का पुनरक्षिण	Revision of Gadgil formula on Central assistance to States . . .	117
5120	विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटे आई० ए० एस० अधिकारी	I.A.S. officers returned from abroad after Training	118
5121	औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Industrial Raw Material	118
5122	दूर संचार व्यवस्था की स्थापना में तजानिया को भारतीय सहयता	Indian assistance to Tanzania in building up Telecommunication net work	118
5123	मैसूर में सीमेन्ट का कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस देना	Issue of licences for setting up of Cement Factory in Mysore . . .	119
5125	महाराष्ट्र सरकार का "बन्देमातरम' "राष्ट्रगीत" घोषित करने का अनुरोध	Request of Maharashtra Government to declare Vande Matram as Rashtra Geet	119
5126	पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की बिहार में घुसपैठ	Infiltration of Pakistani Nationals in Bihar	120
5127	गोरखपुर मुख्य डाकघर और स्वचालित टेलीफोन एक्चेंज के लिए भूमि	Land for Gorakhpur Head Post Office and Auto telephone Exchange	120
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— 6000 से भी अधिक कम्युनिस्टों को बिहार से बिना टिकट दिल्ली जाने की अनुमति दिये जाने का समाचार ।	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— Reported permission given by the Railway Ministry to more than 6,000 Communists to travel without tickets to Delhi from Bihar. .	121
	श्री हुकम चंद कछवाय	Sh. Hukam Chand Kachwai	121
	श्री एल० एन० मिश्र	Sh. L. N. Mishra . . .	121
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper laid on the Table .	125
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . .	127
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	128
	25वां प्रतिवेदन	Twenty-fifth Report	

अता० प्र० स० U. S. Q. No. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
लोक लेखा समिति 75वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Seventy-fifth Report . .	128
मनीपुर की घटनाओं के बारे में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिलों के लिए सिंचाई योजना के बारे में	Re Developments in Manipur Re-Irrigation Scheme for Purulia and Bankura Districts of West Bengal	128-129
कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन से सहमत होने का प्रस्ताव	Coal Mines (Taking over of Management) Bill Motion to agree to Rajya Sabha Amendments	129-131
अनुदानों की मांगें, 1973-74	Demands for Grants, 1973-74	131
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs . .	131
श्री सरोज मुकर्जी	Shri Saroj Mukerjee . . .	132
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur . . .	135
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali . .	136
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal . . .	138
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan . . .	139
श्री एम० जी० उइके	Shri M.G. Uikey	150
श्री एम० सत्यानारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao . .	151
श्री अनन्त प्रसाद धूसिया	Shri Anant Prasad Dhusia . .	151
श्रीमति सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi . .	152
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . .	152
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim . .	153
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	154
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C. H. Mohamed Koya . .	155
श्री तरूण गोगोई	Shri Tarun Gogai .	156
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh . . .	157
गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज फरीदाबाद के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा दिये गये व्यक्तव्य के सम्बन्ध में चर्चा।	Discussion on Statement made by Minister of Health and Family Planning regarding Guru Gobind Singh Medical College, Faridabad . .	158
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	158
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	159
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan . .	160
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate .	161
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . .	161
श्री पीलू मोदी	Shri Pilloo Mody	162
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan. . .	162
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur .	163
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	163
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	164

5 LSS/73—2

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 28 मार्च 1973/7, चैत्र 1895 (शक)
Wednesday, March 28, 1973/Chaitra 7, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

1857 की क्रांति और अन्य देशों की स्वाधीनता क्रांतियों की स्मृति में डाक टिकटें

***502. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग ने रूसी क्रांति की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1857 की भारतीय क्रांति तथा अन्य देशों की स्वाधीनता क्रांतियों की स्मृति में डाक टिकटें जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) 1857 की क्रांति की स्मृति में 15-8-1957 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। दूसरे देशों की स्वतन्त्रता की क्रांतियों के संबंध में स्मारक डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Dr. Laxminarain Pandeya : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the Hon. Minister as to what is the Government's policy in regard to issuing commemorative postal stamps and whether they have a proposal to issue special commemorate postal stamps in respect of such revolutions in other countries or at other places ?

Shri Jagannath Pahadia : Sir, such proposals are recevied from different people or different Governments and each of them is separately discussed in the Philatelic Advisory Committee and considered separately.

Dr. Laxminarain Pandeya : Revolutions took place in Japan in 19th century, in Germany in 19th century and in Britain in 17th Century. Was the proposal of this type received from Russia or did the Government issue the commemorative stamp of its own accord ?

Shri Jagannath Pahadia : We have not issued any stamps regarding Russian Revolution. We issued a stamp on their government as they also issued one on our Independence day.

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अगस्त, 1942 की क्रांति की स्मृति में कोई डाक टिकट जारी किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा डाक टिकट जारी करने पर विचार करेगी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस पर विचार किया जायेगा।

पांचवीं योजना में गरीबी हटाने में लोगों को भागीदार बनाना

*503. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना की अवधि में गरीबी हटाने के लिए लोगों द्वारा किन मुख्य कार्यों को पूरा किया जाना है ; और

(ख) इन कार्यों में लोगों को भागीदार बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सभा पटल पर पहले ही प्रस्तुत "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" में साफ बताया गया है कि अर्थ-व्यवस्था की विकास की दर को बढ़ाने, क्षेत्रीय असंतुलनों को घटाने और समुदाय के विभिन्न वर्गों की हालतों में सुधार करने के लिए अनेक कठोर निर्णय लेने होंगे तथा जनसंख्या के सभी वर्गों को त्याग करना होगा। दृष्टिकोण प्रपत्र में जन-संख्या के उच्च दस प्रतिशत के उपभोग के स्तर में कमी, बचत की उच्चतर दर तथा जनता के सभी वर्गों द्वारा अच्छा काम करने की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में यह अनुभव किया गया है कि योजना निष्पादन तथा कार्यान्वियन दोनों में जनता की साझेदारी तथा सहयोग प्राप्त किये बिना पर्याप्त उत्साह पैदा करना या योजना के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाना संभव नहीं हो सकेगा।

अतः सुनियोजित विकास के कार्य में लोगों के विभिन्न वर्गों को लगाने के लिए निम्नांकित उपाय अपनाए जा रहे हैं :—

(क) पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण के प्रपत्र का सभी भाषाओं में लोकप्रिय संस्करण निकाले जा रहे हैं ताकि इसका शहरी तथा ग्रामीण जनता के विभिन्न वर्गों में व्यापक प्रचार किया जा सके तथा इस पर व्यापक रूप से विचार हो सके;

(ख) विभिन्न राजनीतिक दलों तथा अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, मजदूर नेताओं, वाणिज्य संघों, सरकारी प्रशासकों तथा अन्य विशेषज्ञों के दलों के प्रतिनिधियों के साथ योजना आयोग विचार-विमर्श कर रहा है ताकि दृष्टिकोण प्रपत्र के बारे में उनकी प्रतिक्रिया तथा आयोजन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उनके सुझावों की जानकारी प्राप्त की जा सके;

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् आयोजन संबंधी संसदीय परामर्शदात्री समिति में दृष्टिकोण प्रपत्र पर विचार हो चुका है तथा संसद् में विचारार्थ भी प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसा समझा जाता है कि

संसद् के विचार-विमर्श से योजना आयोग को दृष्टिकोण दस्तावेज पर जनता की प्रतिक्रिया की अधिक वास्तविक समीक्षा करने में सहायता मिलेगी ;

(घ) राज्य सरकारों को आयोजन मंडलों के गठन में योजना आयोग पहले से ही सहायता प्रदान करता आ रहा है। इन आयोजन मंडलों में मंत्री, अर्थ-शास्त्री, सरकारी अधिकारी तथा गैर-सरकारी विशेषज्ञ रखे जाते हैं;

(ङ) राज्य सरकारों पर बार-बार इस बात के लिए बल दिया जा रहा है कि वे अपनी राज्य या जिला योजनाओं का क्षेत्र योजनाओं को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने में तथा अन्य स्तरों पर कार्यशील वर्गों, छोटे तथा सीमान्त किसानों, उद्यमियों, सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को सहयोजित कर उन्हें इन कार्यों पर लगायें।

श्री अर्जुन सेठी : भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कुछ ऐसे उपायों का उल्लख किया है जिनके अनुसार पांचवीं योजना में लोगों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ राज्य सरकारें, राज्य योजना बोर्डों, जिनमें गैर-सरकारी लोग भी सम्बद्ध हों की स्थापना केन्द्रीय प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई।

श्री मोहन धारिया : अब तक 11 राज्य सरकारों ने राज्य योजना बोर्डों की स्थापना कर ली है। शेष राज्यों ने ये बोर्ड स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है और प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। अभी तक किसी भी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया है

श्री अर्जुन सेठी : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक दृष्टिकोण पत्र कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और क्या उड़िया भी उनमें से एक है।

डा० रानेन सेन : भारत में कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है। सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं।

श्री मोहन धारिया : हमने राज्य सरकारों से उसे अपनी भाषाओं में प्रकाशित करने को कहा है। मुझे अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : विवरण से स्पष्ट है कि योजना मंत्रालय चाहता है कि राज्यों के लिए पृथक योजना बोर्डों की स्थापना की जाए। क्या यह सच है कि 11 राज्यों में से पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य योजना बोर्ड में एक व्यापक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम नामक एक नया कार्यक्रम बनाया है और उसने योजना आयोग को कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं? उन पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या उन्होंने इनमें से किन्हीं प्रस्तावों अथवा योजनाओं को मंजूर किया है?

श्री मोहन धारिया : उनपर विचार हो रहा है।

श्री समर गुह : प्रश्न के दूसरे भाग में इस कार्य में लोगों का सहयोग लिये जाने का उल्लेख है। न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत एक उद्देश्य लोगों की गरीबी हटाना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सब-डिवीजनल अथवा उससे निचले स्तर पर न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के लिए योजनाएं बनाने हेतु लोगों का सहयोग लिया जायेगा? क्या उसी प्रकार विकासशील

कृषि कार्यक्रम में, कुछ समितियां ग्रादि बना कर स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा? उसी प्रकार सरकारी एवं गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों में भी क्या श्रमिकों के प्रबंध व्यवस्था में भाग लेने पर विचार किया जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : सरकार का ऐसा विचार है । हमने सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि कार्यक्रमों को तैयार करते समय स्थानीय स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सहयोग लें। जहां तक न्यूनतम ग्रावश्यकता कार्यक्रम का प्रश्न है, ग्रधारभूत न्यूनतम ग्रावश्यकताग्रों का पता लगाने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों का सहयोग बहुत जरूरी है। जहां तक कर्मचारियों के प्रबंध व्यवस्था में भाग लेने का प्रश्न है, हम विभिन्न श्रमिक नेताग्रों ग्रौर ग्रन्य संबद्ध व्यक्तियों के साथ विचार कर रहे हैं ग्रौर इस बारे में नीति निर्धारित करने की चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री ग्रनन्त राव पाटिल : मंत्री महोदय का "लोगों का सहयोग प्राप्त करने" के बारे में ठीक से क्या ग्रभिप्राय है? मैं यह प्रश्न इस लिए पूछ रहा हूं, कि राज्य ग्रथवा जिला स्तर पर संसद् सदस्यों को जनता में नहीं गिना जाता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसद् सदस्य भी जनता में शामिल हैं ?

श्री मोहन धारिया : संसद् सदस्य भी लोगों के प्रतिनिधि हैं । यदि कोई राज्य सरकार उनका सहयोग नहीं लेती तो हम उन्हें लिखेंगे ताकि वे संसद् सदस्यों एवं विधान मंडलों के सदस्यों ग्रौर जनता के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का ग्रायोजना प्रक्रिया में सहयोग प्राप्त करें।

श्री जगन्नाथ राव: गरीबी हटाने का ग्रर्थ बेरोजगारी हटाना भी है। चौथी योजना के ग्रंतिम वर्ष में इसके लिए कुछ योजनाएं तैयार की गई थीं। उनसे वास्तविक रूप में क्या उपलब्धियां हुई ?

श्री मोहन धारिया : वर्ष 1971-72 ग्रौर 1972-73 में हमने योजना के ग्रतिरिक्त कई विशेष कार्यक्रम ग्रारम्भ किये थे। वर्ष 1972-73 के दौरान 9,45,000 रोजगार के ग्रवसर उत्पन्न किये जायेंगे। इसके ग्रलावा, हमने विशेष कल्याण योजनाएं ग्रारम्भ की हैं। जिन्हें रोज़गार के ग्रांकड़ों में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

श्री एस० बी० गिरि : गरीबी हटाने में तो काफी समय लगेगा। जो व्यक्ति सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे हैं कम-से-कम उनके मामले में स्थायी श्रमिकों ग्रौर नैमित्तिक श्रमिकों के बीच भेदभाव क्यों हो ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना ग्रायोग ने इस समस्या पर विचार किया है ग्रौर इस पर कुछ कार्य-वाही करने की बात सोची है? सरकारी प्रतिष्ठानों के लोग इस बारे में उत्तेजित हैं। क्या कम-से-कम स्थायी श्रमिकों ग्रौर नैमित्तिक श्रमिकों के मध्य भेदभाव पांचवीं योजना में समाप्त हो जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : यह इससे उत्पन्न नहीं होता। यदि इस बारे में कुछ वास्तविक शिकायतें हों तो उन्हें हम संबद्ध मंत्रालय के पास भेज देंगे।

श्री डी० बसुमतारी : उच्च समुदायों की तुलना में ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रादिम जातियों के विषय में यह क्रमशः 1.49 प्रतिशत ग्रौर 0.29 प्रतिशत है। क्या ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित जन-जातियों ग्रौर उच्च जातियों में भेदभावों के दूर करने की कोई विशेष योजना है ?

श्री मोहन धारिया : इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय हमारा प्रयत्न ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित जन-जातियों को प्राथमिकता देने का होगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग ने छोटे कारीगरों विशेष तया हथकरघा बुनकरों, धातु संबंधी कार्य, करने वालों आदि की वर्तमान हालात का निष्पक्ष रूप से अध्ययन किया है? लाखों छोटे उद्यमकर्त्ता समाप्त होने को हैं। इस वात कौ दखते हुयें मैं जानना चाहता हूं कि सरकार पांचवीं योजना अवधि में इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री मोहन धारिया : योजना का प्रारूप तैयार करते समय हम इस पर विचार करेंगे।

श्री नवल किशोर सिंह : मंत्री महोदय ने इस सदन को सूचित किया था कि 11 राज्यों ने अपने योजना बोर्ड गठित किए हैं। माननीय योजना मंत्री जिला आयोजन सैलों का बार-बार उल्लेख करते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिला आयोजन सैलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे निम्नतर स्तर पर लोगों का देश की आयोजना प्रक्रिया में सहयोग प्राप्त किया जा सके ?

श्री मोहन धारिया : हमने राज्य सरकारों को पहले ही लिख दिया है कि योजना के लिए जिले को इकाई माना जाये। जो राज्य जिला आयोजना को अपना रहे हैं उन्हें हम सहायता दे रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : कई सदस्य एक साथ खड़े हो रहे हैं। क्यों न इस पर किसी दिन चर्चा कर ली जाये ?

Shri B. S. Bhausa : Just now the Law Minister has stated that they involve the people in planning. I do not think it is being done. The fact is that all development works are being done through contracts and the contractors involve the people in other ways, which include politicians as well. So I want to know whether the Law Minister proposes to abolish the contract system during the fifth plan period ?

The Minister of Planning (Shri D. P. Dhar) : There is no proposal as yet to abolish the contract system totally but our endeavour is that some association or some such bodies may be established, which may take up the work in their hands.

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी

*505. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को पिछले वित्तीय वर्ष में समयोपति भत्ते के रूप में 11 करोड़ रुपये की अदायगियां कीं,

(ख) यदि हां, तो क्या समयोपरि भत्ते की अदायगी से कर्मचारियों में धीमे कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) वित्तीय वर्ष 1971—72 के दौरान समयोपरि भत्ते पर कुल 10 करोड़ 29 लाख रुपये खर्च हुए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Rajdeo Singh : In reply to part (b) of my question, the Law Minister has said, 'No' Part (b) is like this :

"whether payment of overtime has encouraged the tendency in the staff to go slow."

In reply to it, he has said "no". The Government has this year paid a sum of rupees ten crores twenty nine lakhs as overtime which indicates two things: either the staff work slowly or the work load is so much that a large sum has to be paid as overtime allowance. May I know from the hon. Minister as to how he came to the conclusion that the workers were not working with slow speed ?

Shri Jagannath Pahadia : The only criterin is the quantum of work and the time factor. The working hours of the employees are fixed and if the employees work one hour beyond that, no overtime is paid and overtime is paid for work beyond that. The other method is that in certain offices, work load is fixed. In spite of that, there are certain offices, especially Telephone posts and Telegraphs Department, where the staff is available but the work cannot be finished due to certain reasons, like late arriaval of airoplane, rail or motor service, due to which the work cannot be finished and is held up. That work cannot be done by the other term as they are already overworked. But I cannot wholly candemn the views of the hon. Member. It may be there are certain offices where the tendency to go slow is prevalent.

Shri Rajdeo Singh : The Minister has now made a convincing statement. We find in our country that the scholars tear off their degrees at the time of convocation saying that they want employment and not degrees. The educated persons do not get employment and commit suicide under a train. In the yesterday's demonstration by C.P.I. there was a slogan for employment. Keeping in view the fact that the Government spends a lot of money as overtime allowance, I can say with that with this amount 40 thousand new hands can be employed. This pertains to only one Department of the central Government. Even prior to this there was a question in which employment problem was included. Taking in view all these things will the hon. Minister get his department surveyed and work load assessed so that 40 thousand new hands may be employed ?

Shri Jagannath Pahadia : The proposal is very good and it will be looked in to.

श्री ए० पी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि समयोपरि भत्ता दिये जाने के विशेष कारण क्या हैं ? क्या यह विभाग में कार्य बढ़ जाने के कारण हैं अथवा अक्षमता के कारण है — लोग अपेक्षित कार्य नहीं करते ? मुख्य कारण क्या है ? डाक तार विभाग कर्मचारियों के वेतन का इस 11 करोड़ रुपये की तुलना में क्या अनुपात है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं पहले ही प्रतिशत बता चुका हूं। यह लगभग 6.9 प्रतिशत है। जहां तक कारणों का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उस के इलावा, कर्मचारियों की कमी, तारघरों, आर० एम० एस० आदि में छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की कमी आदि अन्य कारण हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : रिक्त स्थान क्यों नहीं भरे गये ? इसका क्या कारण हैं ?

Shri Ramavatar Shastri : Certain employees of P & T Department, unions and some M.P's have sent complaints that the payment of overtime allowance is not made to employees in time and unnecessary delay is caused in the matter ? If so, whether any action has been taken to see that employees get payment in time and if so, what ?

Shri Jagannath Pahadia : Whatever be the amount of overtime allowance, it is paid to them according to rules and regulations. It is possible that there might have been delay in some cases. Procedure is laid down for that, which is followed. There has to be verification by the supervisory staff.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has agreed that overtime is paid due to shortage of staff also . Why is there shortage of staff and to what extent it is ? Will it not be better to remove the shortage ?

Shri Jagannath Pahadia : Along with other reasons, one reason is the set procedure that has to be followed and even after selection the employees have to be given proper training, which takes time. This is one reason.

Shri Atal Bihari Vajpayee : A lengthy procedure for recruitment has to be followed and training has to be provided, so the overtime would continue to be given . Do the Government function like this ?

Shri Jagannath Pahadia : Every department is looked after separately. This is also one of the reasons.

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : मैं संचार मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह समझ लिया गया है कि डाक और तार विभाग में समयोपरि भत्ता कार्यकुशलता के लिए और अधिक मात्रा में काम करने के लिए सदा ही बहुत बड़ा प्रोत्साहन बना रहेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई आंतरिक जांच की जाती है कि समयोपरि भत्ता देकर आप अकुशलता को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं ? ऐसी आंतरिक जांच की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आंतरिक जांच पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा की जाती है। आंतरिक जांच प्रत्येक पद के लिए एक अलग-अलग है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जैसा कि मैंने बताया, विभिन्न पद हैं और यह प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग है।

Action taken against the Person who tried to enter the Prime Minister's Residence with a loaded Gun

*507. **Shri M. S. Sanjeevi Rao :**

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a person with a loaded gun went to see the Prime Minister and he is being interrogated ;

(b) If so, the facts thereof; and

(c) the action taken by Government against the said person ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K.C. Pant) : (a) to (c) :

Yes Sir, A person named Kanchan Singh was intercepted at 9.15 a.m. on 2-3-1973 when he alighted from a Scooter near the Prime Minister's house and was going to the Reception Room. On search, a gun was recoverd. The gun contained two cartidges. A case was registered under section 25 of the Arms Act. After interrogation and verification it was revealed that Kanchan Singh was holder of a valid licence.

He has since been discharged from this case, by the Judicial Magistrate Ist Class New Delhi on 12-3-1973. Subsequently it came to light that his licence was valid for DistrictSaran (Bihar) only. He was not authorised to carry the gun to Delhi. Legal action is being taken against him in this regard.

श्री एम०एस० संजीवी राव : मुझे विश्वास है कि "ब्लैक दिसम्बर" नामक नया संगठन जिसमें दुःसाहसी और क्रूर विचारों के लोग हैं, हमारे अधिकांश नेताओं की हत्या करने पर तुले हुए हैं। इस प्रकार उनका मुख्य लक्ष्य स्पष्ट तथा हमारे प्रिय प्रधान मंत्री का जीवन है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी सुरक्षा पद्धति बहुत पुरानी है। क्या मंत्री महोदय हमारे प्रिय प्रधान मंत्री के जीवन की सुरक्षा के लिए नई इलेक्ट्रोनिक गैडगेटस अथवा बन्द सर्किट टेलीवीजन और सर्वेलैंस की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : इस मामले को माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट संगठन के साथ जोड़ने के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं हैं। यह तो एक व्यक्ति, आया था, इससे कुछ और जोड़ा नहीं जाना चाहिए।

जहां तक समुचित सुरक्षा प्रबंधों का प्रश्न है, इसे इन मामलों के विशेषज्ञों पर छोड़ा जाता है क्योंकि यह उनका कार्य है कि वे देखें कि उचित सुरक्षा उपाय विशेष रूप से प्रधान मंत्री के जीवन की रक्षा के लिए बरते जाते हैं। वे अपने इस बारे में उत्तरदायित्व के बारे में पूर्णता सतर्क हैं और ऐसे उपाय कर रहे हैं जोकि इस बारे में आवश्यक समझे जाते हैं।

श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या इस बारे में पूरी जांच की गई है? क्या इससे कुछ विदेशी नागरिक संबद्ध हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : नहीं जीं।

Shri Hukam Chand Kachwai : This incident has not taken place for the first time. Other similar incidents have also taken place. Prior to that four persons of Jagata family entered the Prime Minister's residence and it was said that they were mad. One of them was sister and the other three were brothers. They had met the Prime Minister not once but many times and it is said that they were spies. I want to know who were the spies ? These persons had talked with the Prime Minister not once but on many occasions.

* * *

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं देता। यह बिल्कुल संगत नहीं हैं।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इसका कोई आधार नहीं है। यह सर्वथा दुर्भाविपूर्ण एवं शरारतपूर्ण और झूठ है उनमें से कोई व्यक्ति अथवा उक्त परिवार का कोई व्यक्ति मुझसे नहीं मिला।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

Shri Hukam Chand Kachwai. I have met them personaly. They have met her many times. × × ×

These people have been detained in Jail. May I know what action has been taken against them ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न कीजिए। इन बातों की कोई सीमा होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं केवल यह बताना चाहता था कि यह मामला न्यायालय में है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति के, चाहे वह कोई भी हो अपने अधिकार और उत्तरदायित्व हैं और इस प्रकार के अनुत्तरदायित्व पूर्ण वक्तव्यों की इस सभा में अनुमति नहीं दी जा सकती। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इन बातों की कोई हद होती है।

श्री नवल किशोर सिंह : माननीय सदस्य द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां असंसदीय हैं। उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए। क्या आप उन पर ध्यान दे कर उन्हें कार्यवाही वृतांत से निकाल देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी अनुमति नहीं दी है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*508. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **योजना** मंत्री राज्यों की केन्द्रीय सहायता संबंधी फार्मूले के पुनरीक्षण के बारे में राज्यों से अनुरोध के संबंध में 28 फरवरी, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 128 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सहायता देने के संबंध में अब कोई सिद्धान्त निर्धारित कर दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित किए गए मुख्य सिद्धांत क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों की केन्द्रीय सहायता का नियतन करने के सिद्धांत अभी भी योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri E. V. Vikhe Patil : On 28th February, it was stated by the Government that the entire money in respect of fourth five year plan has been allotted to the states and principles in that respect for Fifth Five Year Plan are being revised. May I know by when the principles would be finalized ? On what principles the sum of Rs. 150 crores earmarked for advance action in the Fifth Five Year Plan would be allocated to the states ? I also want to know whether priority is given to irrigation schemes in drought affected areas or to industrial backwardness or to agricultural production in the Central assistance given to States ?

**Exchanged as ordered by the chair.

श्री मोहन धारिया : श्रीमान, यह 150 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में सिंचाई, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उचित आधार तैयार करने के लिए रखी गई है। जहां तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता के लिए सिद्धांतों के निर्धारण का प्रश्न है, इस मामले पर विचार हो रहा है और अन्ततः निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् ने लेना है कि कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाये। तो भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा कि हमने पंचवर्षीय प्रपत्र के अपने दृष्टिकोण में बताया है, पिछड़े क्षेत्रों और समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को जिनमें सूखा से प्रभावित होने वाले व्यक्ति भी, सम्मिलित हैं, यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी।

Shri Nar Singh Narain Pandey : Is it not a fact that out of the Central assistance given to the states, Uttar Pradesh has not been given assistance according to the states population since 1969 to date ? I would like to know the principles decided in this regard—the basis on which they want to give Central assistance ? May I know whether the amount of Central assistance given in less quantity to Uttar Pradesh or any other state will be made good ?

श्री मोहन धारिया : अब तक केन्द्रीय सहायता इस आधार पर, जैसा कि कई बार बताया जा चुका है, 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर 10 प्रतिशत राज्य के पिछड़ेपन के आधार पर, 10 प्रतिशत योजनाओं के विस्तार के लिये, 10 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए कर प्रयासों के लिए, तथा 10 प्रतिशत सूखा तथा बाढ़ जैसी विशिष्ट समस्याओं के लिए दी जाती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करते समय हम विशेषतया पिछड़े राज्यों से आने वाली मांगों के प्रति पूर्णतया सजग हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सरकार उचित सहायता देने पर ध्यान देगी।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत् के मामले में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के बीच कोई भेदभाव किया जाता है क्योंकि सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ने हाल ही में यह बात स्वीकार की है कि "मेरे पास केवल विद्युत् मंत्रालय है और योजनाओं में स्वीकृत करने के लिए मेरे पास कोई राजनैतिक शक्ति नहीं है"। उन्होंने अपनी निःसहायता व्यक्त की है। क्या यह सच है कि योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री आंध्र को, जिसके विषय में आपको पता है कि वह पिछड़ा क्षेत्र है और वहां अभूतपूर्व सूखा की स्थिति है, कोई सहायता नहीं दे रहे हैं ?

श्री मोहन धारिया : केन्द्रीय सरकार समस्त देश के संतुलित विकास में रुचि रखती है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि न तो कोई भेदभाव हुआ है और न होगा चाहे आंध्र का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे तमिलनाडु अथवा पश्चिम बंगाल का।

Dr. Govind Das Richhariya : As regards amount distributed under Central assistance in five year plans, Uttar Pradesh and Bihar are lagging behind because the amount has not been distributed according to the[states population. May I know whether the Government propose to evolve a formula in fifth five year plan so that these states may get their share of central assistance on the basis of equality ? May I also know whether the Government has accepted the principle to accord priority to irrigation and power schemes in the fifth five'year plan and whether they will provide adequate funds to the backward states or the backward areas of the states to enable them to reach the stateed of other developed areas during the fifth five year plan ?

श्री मोहन धारिया : मैं उस सिद्धांत के बारे में बता चुका हूं जिसके आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। सहायता की 60 प्रतिशत राशि जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के विषय में पूछा है, हम देश पर्यन्त, विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं पर जोर देंगे । मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि न्यूनतम आवश्यकता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसी बात को ध्यान में रखा जाता है और यदि पिछड़े गांवों तथा उनकी कठिनाईयों का पता चल जाये तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ-साथ में मैं सदन को आश्वास्त कराना चाहता हूं कि हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि जो पीछे हैं उन्हें केन्द्र से सभी संभव सहायता दी जाये।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : उत्तर बंगाल एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि सरकार ने पांचवीं योजना के लिये उत्तर बंगाल, विशेषतया पश्चिम बंगाल के आदि-वासी क्षेत्रों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों, के लिये कोई सहायता मंजूर की है।

श्री मोहन धारिया : यह एक अलग प्रश्न है परन्तु माननीय सदस्य को सूचना के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हम एकमुश्त अनुदान देते हैं। पांचवीं योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों की समस्याओं पर भी विचार करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे ।

भारत-रूस आयोग के ढांचे पर भारत तथा अन्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग

*509. **श्री समर गुह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग के लिए भारत-रूस आयोग के समान बंगला देश के अतिरिक्त, भारत तथा किसी अन्य देश के बीच कोई संगठनात्मक ढ़ांचा विद्यमान हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मोहन धारिया**) : (क) जी, हां। सोवियत रूस के अलावा, भारत ने अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, ईरान , पोलैंड, श्रीलंका और स्वीडन के साथ संयुक्त आयोगों का गठन किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि भारत के साम्यवादी देशों की अपेक्षा दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से निर्यात और आयात दोनों ही क्षेत्रों में घनिष्ट सम्बन्ध हैं और वर्ष 1971-72 के दौरान साम्यवादी देशों को निर्यात तथा उनसे आयात दोनों में ही कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? दुर्लभ मुद्रा वाले किसी देश के साथ संयुक्त आर्थिक आयोग क्यों नहीं बनाया गया है? क्या 10 अक्तूबर, 1972 को मास्को से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि साम्यवादी योजना से अपने को सम्बद्ध करने के लिये भारत यदि सदस्यता के लिये प्रार्थना पत्र देता है तो साम्यवादी देशों को प्रसन्नता होगी। साम्यवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के 3 दिसम्बर के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का विचार देश की योजनाओं को साम्यवादी देशों की योजनाओं से सम्बद्ध करने का है?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : एक साथ बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह धारणा नहीं है कि आपका उत्तर बहुत बड़ा हो।

श्री डी० पी० धर : मैं पहले अन्तिम प्रश्न को लेता हूं। देश की योजनाओं को किसी अन्य देश की योजनाओं से सम्बन्ध करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। परन्तु यह वास्तविक है कि बहुत से देशों के साथ हमारे जो आर्थिक सम्बन्ध हैं उनमें कुछ मिली जुली कार्यवाही करनी होती है और यह अत्यावश्यक है।

दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि साम्यवादी देशों की परिधि में न आने वाला एक संयुक्त आयोग क्यों नहीं बनाया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान मूल प्रश्न के दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ईरान तथा स्वीडन दो ऐसे ही उदाहरण हैं। बहुत से देशों के साथ हमने संयुक्त आयोग बनाये हुये हैं और अमरीका, फ्रांस, जर्मनी तथा जापान सहित बहुत से देशों के साथ अपना आर्थिक सहयोग निश्चित करने के लिये हमारे विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध हैं। इन समितियों में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। अतः समितियों अथवा आयोगों के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने के मामले में किसी देश के पक्ष में अथवा किसी देश के विपक्ष में किसी प्रकार का भेद-भाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आर्थिक तथा अन्य प्रकार के सम्बन्धों को प्रगाढ़, घनिष्ट तथा विस्तृत करने का यदि कोई देश सुझाव देता है तो हमें उसके लिय प्रसन्नता होती है।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रूस ने हाल ही में भारत के गैर-सरकारी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों तथा औद्योगिक सहयोग की रूचि प्रदर्शित की है और उसके परिणामस्वरूप क्या तकनीकी विभाग के महानिदेशक ने ऐसे 130 उद्योग बताये हैं और क्या यह भी सच है कि रूस ने ऐसे 58 उद्योगों जिनमें एकाधिकार गृह भी हैं, भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र में सहयोग करने की रूचि प्रदर्शित की है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और क्या ऐसा कोई सहयोग करार हो चुका है अथवा होने वाला है ?

श्री डी० पी० धर : गैर सरकारी क्षेत्र के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना सरकार के लिये अत्यन्त कठिन कार्य है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपको गैर–सरकारी क्षेत्र के बारे में पता नहीं है।

श्री डी० पी० धर : गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य के बारे में हमारी जानकारी की भी कुछ सीमायें हैं। देश में किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में चुपके से क्या बात चल रही है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इसका पता करना संभव भी नहीं है। (**व्यवधान**) इसको किसी भी सहयोग के लिये करार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है बशर्ते कि ऐसा सहयोग देश के कानून और प्रक्रिया के अनुकूल हो और हमारी नीतियों के प्रतिकूल न हो। जहां तक रूस का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को आश्वास्त करा सकता हूं कि हम इस बात की ओर ध्यान देंगे कि सहयोग के लिये सरकार की अनुमति ली जाये। जहां तक 150 उद्योगों का सम्बन्ध है जिनमें रूस रुचि रखता है, इस सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। मैं मांग पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री के० लकप्पा : क्या देश में साम्राज्यवाद का चहुमुखी विवाद दूर करने के लिये सरकार भारत तथा समाजवादी देशों के बीच आर्थिक सहयोग करने का विचार कर रही है ?

श्री मोहन धारिया : यह कार्यक्रम देने के लिये एक सुझाव है।

श्री मोइनुलहक चौधरी : क्या किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग के लिये सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है ?

श्री डी० पी० धर : माननीय सदस्य ने मेरी बात गलत समझी है। तथ्य यह है कि गैर-सरकारी फर्म द्वारा विदेश की किसी फर्म से जब कोई सहयोग किया जाता है और जो नियमों और विनियमों के अनुकूल होता है जिसमें अनुमति भी सम्मिलित है, उसके लिये अनुमति कुछ शर्तें पूरी होने पर ही दी जाती है।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या रूस के साथ सहयोग करने के लिये एकाधिकार गृहों को भी अनुमति दी जा रही है क्योंकि भारत सरकार रूस को मिश्रित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत लाने में सफल हुई है ?

श्री डी० पी० धर : इस पर उस समय विचार किया जायगा जब कोई सहयोग करार भारत सरकार की मंजूरी के लिये आयेगा। अभी तक यह प्रश्न नहीं उठा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री डी० पी० धर : कुछ नियमों तथा विनियमों, जो प्रकाशित भी किये जाते हैं और जो सभी की जानकारी के लिये हैं, के अन्तर्गत सहयोगों की स्वीकृति दी जाती है। एकाधिकार गृहों को अपने विस्तार तथा पूंजीनिवेश के मामले में कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्य करना होता है, चाहे वे किसी फर्म के साथ सहयोग करें अथवा बिना सहयोग ऐसा करें।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : कुछ लोगों ने शंकायें व्यक्त की हैं कि कुछ राजनैतिक शक्तियां, जिनका राजनैतिक प्रभाव कुछ देशों में कम हो रहा है, सहयोग के नाम से भारत में फिर से अपनी शक्ति लाने का प्रयास कर रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ सहयोग करने के मामलों के लिये कोई निश्चित नीति बनाई है ?

श्री डी० पी० धर : माननीय सदस्य ने एक ऐसा प्रश्न उठाया है जिसका मेरे विचार से उस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं। परन्तु मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि भारत की चाहे जो भी स्थिति हो यहां विश्व के तिरस्कृतों को एकत्र नहीं होने दिया जायेगा।

उत्तर बंगाल के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना

*510. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उत्तर बंगाल के पिछड़ क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने के लिए किसी उद्योगपति ने सरकार से अब तक अनुमति मांगी है; और

(ग) उत्तर बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में सरकार का कौन-कौन से सरकारी एवं गैर-सरकारी उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) इस मंत्रालय तथा योजना आयोग के पास इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1971 से तीन गैर-सरकारी पार्टियों को पैराफारमलेडेहाइड गेहूं से उत्पाद तथा क्राफ्ट पेपर का उत्पादन करने के लिए दो औद्योगिक लाइसेंस तथा एक आशयपत्र जारी किया गया है।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या माननीय मंत्री उत्तर में निर्दिष्ट फर्मों के नाम बतायेंगे और उनके कुल विनियोजन रोजगार क्षमता, उनके प्रस्तावित उद्योगों के स्थान और उक्त उद्योगों की स्थापना में विलम्ब के कारणों का ब्यौरा देंगे ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जैसा मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, वर्ष 1972 में केवल दो निजी कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं। मेसर्स रेसिन एण्ड कैमिकल्स, कलकत्ता को पैराफारमलेडेहाइड का निर्माण करने के लिये कूच बिहार में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। लाइसेंस 25 फरवरी, 1972 को जारी किया गया था। मैसर्स भारत फ्लोर मिल्स, कलकत्ता को गेहूं के उत्पाद बनाने का एक कारखाना जलापाईगुड़ी में स्थापित करने के लिये 9 अगस्त, 1972 को लाइसेंस दिया गया था मैसर्स जी० लोकेन एण्ड कम्पनी प्राइवट लिमिटेड को दार्जिलिंग जिले में क्राफ्ट पेपर का निर्माण करने के लिये आशय-पत्र जारी किया गया है । आशय-पत्र 20 जनवरी, 1973 को जारी किया गया और इसे अभी लइसेंस में परिवर्तित किया जाना है।

श्री आर० एन० बर्मन : उत्तर बंगाल सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अतः सरकार का उक्त क्षेत्र में इनके अतिरिक्त क्या अन्य उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक भारत सरकार अथवा योजना मंत्रालय का सम्बन्ध है, उनका उत्तर बंगाल में कोई विशेष उद्योग स्थापित करने का विचार नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की सहमति से यह निर्णय किया गया है कि वहां लघु उद्योग विकास संगठन उन लघु उद्योग उद्यमकर्त्ताओं को जो उत्तर बंगाल में उद्योग स्थापित करने को उत्सुक हैं तकनीकी सलाह, वित्तीय सहायता, विपणन सम्बन्धी सुविधाएं देने को तैयार है। उत्तर बंगाल के सब जिलों को वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या सरकार का उत्तर बंगाल में एक पटसन मिल स्थापित करने का विचार है क्योंकि उत्तर बंगाल एक पटसन उत्पादन करने वाला क्षेत्र है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : उत्तर बंगाल में कोई पटसन मिल स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने यह सुझाव दिया है कि पटसन के लिये छोटे पैमाने पर कुछ एककों की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार का कोई कारखाना स्थापित करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

श्री बी० के० दासचौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन में कमी करने के लिए, जैसाकि अभी माननीय मंत्री ने उल्लेख किया इस दिशा में सब प्रयास किये जायेंगे। लेकिन माननीय मंत्री के उत्तर से यह पता लगाता है कि इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार के औद्योगिक विकास

मंत्रालय ने कागज मिल, सीमेंट कारखाना, उर्वरक कारखाना आदि जैसे कारखानों की स्थापना के बारे में देश के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण किया है? क्या पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्र में वहां उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर सीमेंट कारखाना, कागज कारखाना आदि स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है और यदि नहीं तो संभाव्यता सर्वेक्षण न करने के क्या कारण हैं और यह कब किया जायेगा।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वास्तव में सर्वेक्षण न केवल लघु उद्योग निकाय द्वारा किये गये हैं बल्कि युनाइटिड बैंक आफ इंडिया द्वारा भी किये गये हैं और उनके सर्वेक्षणों के आधार पर यह सुझाव दिया गया था कि उत्तर बंगाल में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कुछ लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये . . . .

श्री० बी० के० दासचौधरी : क्या आपके मंत्रालय द्वारा इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : भारत सरकार ने इस बारे में कोई संभाव्यता सर्वेक्षण नहीं किया है। जहां तक कागज मिल का सम्बन्ध है, कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने उत्तर बंगाल में कागज मिल जिसका राज्य की 1971-72 की वार्षिक योजना में उल्लेख किया था की स्थापना करने का सुझाव दिया था। लेकिन 1972-73 के लिये राज्य की वार्षिक योजना में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सवर्ण हिन्दू जमींदारों द्वारा हरिजनों के सामाजिक बहिष्कार के मामले

*512. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष देश के विभिन्न भागों से सवर्ण हिन्दू जमींदारों द्वारा हरिजनों के सामाजिक बहिष्कार के अनेक मामलों के समाचार मिले हैं;

(ख) क्या इनकी जांच-पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अस्पृश्यता और हरिजनों को तंग करने के मामले देश के विभिन्न भागों में सूचित किये गये हैं।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारों द्वारा इन मामलों की जांच-पड़ताल की जाती है और उचित कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री एम० कतामुत्तु : माननीय मंत्री का उत्तर अपर्याप्त है। मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने सवर्ण हिन्दू जमींदारों द्वारा हरिजनों के सामाजिक बहिष्कार के बारे में प्रश्न किया है। लेकिन इस बारे में तत्संगत जानकारी एकत्र कर हमें सप्लाई नहीं की गई है। वास्तव में प्रत्येक राज्य में जहां हरिजन कृषि श्रमिक होते हैं और जब वे अपनी भूमि पर अधिक मजूरी और अधिकारों की मांग करते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है।

क्या मंत्री महोदय को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों के बहिष्कार के बारे में जानकारी है, जैसाकि सरकार को जानकारी है कि विशेषकर पंजाब में सरकार 'नाकाबन्दी' नामक एक ऐसी पद्धति चालू कर रही है जो सामाजिक बहिष्कार के समान है।

उन्हें अपने घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वहां ऐसी स्थिति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा इस बारे में जानकारी एकत्र न करने और उसे चर्चा के लिये सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जिन समस्याओं का उल्लेख किया है उनकी सरकार को जानकारी है। मैंने यही कहा था कि ये बातें विभिन्न विधियों के अन्तर्गत दर्ज की गई हैं। यदि यह सामाजिक बहिष्कार है तो वह अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आता है। यदि मामला उन पर दबाव डालने आदि से सम्बन्धित है तो उचित मामले दर्ज किये जाते हैं। हम राज्य सरकारों पर हमेशा इस बात के लिए जोर देते रहते हैं कि वे इस प्रकार के मामलों की जांच करें और इस प्रकार के मामलों में मुकदमे चलाने को प्राथमिकता दें। इस बारे में समय-समय पर मुख्य मंत्रियों को निदेश जारी किये जाते हैं। जब मुख्य मंत्री सम्मेलन के सम्बन्ध में दिल्ली आते हैं तब भी इस मामले पर जोर दिया जाता है। सरकार इस मामले के प्रति पूर्ण सजग है और इस बात के यथासंभव प्रयास कर रही है कि हरिजनों का इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार न किया जाय और उन के साथ ज्यादतियां न की जायें। यदि दुर्भाग्य से ऐसा कोई मामला होता है, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाती है।

श्री एम० कतामुत्तु : अभी भी माननीय मंत्री ने तथ्य नहीं दिये हैं और यह नहीं बताया है कि इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितने मुकदमे चलाये गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का हरिजनों और कृषि श्रमिकों की रक्षा करने और इस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : हरिजनों पर की जाने वाली ज्यादतियां तथा इस प्रकार की अन्य बातों को रोकने के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। इस बारे में जनवरी, 1973 में सबसे नवीनतम कार्यवाही यह की गई है कि प्रधान मंत्री ने इस विषय पर विभिन्न मुख्य मंत्रियों से निजी तौर पर विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के आधार पर ही विशेष सैलों की व्यवस्था की जायेगी ताकि यह प्रयत्न किया जाए कि ऐसे मामलों में शीघ्र जांच हो। हमें पूर्ण आशा है कि प्रधान मंत्री की सलाह और इस बारे में प्रकट की गई गम्भीर चिंता का मुख्य मंत्रियों पर, जो अन्ततः कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिम्मेदार हैं, काफी प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बेरोजगारी और गरीबी हटाना

*501. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारी समाप्त करने और गरीबी हटाने के लिए 1972 के दौरान कौन-कौन से कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए;

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या इन योजनाओं मे आशा के अनुसार रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया (देखिये संख्या एल० टी० 4634/73)]।

Application of provisions of maintenance of Internal Security Act against corrupt Officers

***504. Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to apply the provisions of the maintenance of Internal Security Act against corrupt Officers; and

(b) if so, the main points of the proposals in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K.C. Pant) : (a) and (b): There is no need for any special proposal for the application of the MISA to corrupt officials, as, even now action canbe taken under the Act in cases which come within its purview.

मैसूर के पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग

*506. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के लघु उद्योग सलाहकार संगठन के प्रतिनिधियों का कोई दल मैसूर के पिछड़े जिलों में नये उद्योग आरम्भ करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के लिए वहां के तालुक मुख्यालयों में और उद्यमियों से मिलने गया है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) संभवतः लघु उद्योग विकास संगठन का उल्लेख किया गया है। इस संगठन ने अन्य अभिकरणों की सहायता से 5-3-73 से 13-3-73 के बीच मैसूर जिले के सभी ग्यारह तालुकों में एक गहन अभियान का आयोजन किया है।

(ख) अभियान के दौरान स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का पता लगाने में अनेक उद्यमियों की सहायता की गई थी और आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान की गई थी।

पश्चिम जर्मनी के तकनीकी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

*511. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के किसी तकनीकी प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के साथ उनकी गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) फरवरी 11–24, 1973 के दौरान जर्मन संघीय गणराज्य से 10 वैज्ञानिकों का एक दल भारत आया था। वैज्ञानिकों के अतिरिक्त इस दल में संघ विदेश मंत्रालय, संघ अर्थ मंत्रालय तथा संघ अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक-एक अधिकारी भी सम्मिलित थे। इस दल के नेता प्रो० ए० बोइचर थे जो पहले परमाणु अनुसंधान केन्द्र, युनिख से सम्बन्धित थे तथा उपस्थित आखेन विश्वविद्यालय में हैं।

(ख) इस दल तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अनुसंधान सम्बन्धी निकाय जैसे, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग सम्मिलित थे, विचार विमर्श हुए।

(ग) वार्ता के दौरान दोनों दलों ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में अपनी अभिरुचि के क्षेत्रों के संकेत दिये। यह अनुमान किया जाता है कि यह प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश लौटने पर अपनी सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग सम्बन्धी एक विभिन्न समझौते का सुझाव देगा।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों और सिधी (मध्य प्रदेश) के बीच टेलीफोन सम्पर्क

*513. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों और जिला मुख्यालय सिधी के बीच टेलीफोन या तार द्वारा सम्पर्क नहीं है,

(ख) क्या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब जिला अधिकारियों को तुरन्त कार्यवाही करनी होती है, तब यह सम्पर्क न होने से बहुत कठिनाई होती है, और

(ग) यह सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और यह व्यवस्था कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। इस समय कोई लिंक नहीं है।

(ख) ऐसी कोई घटनाएं जानकारी में नहीं आयीं।

(ग) यदि राज्य सरकार, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम या कोई दूसरी पार्टी मांग करे तो किराया और गारन्टी के आधार पर संचार सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाएगी।

पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में रियायती दरों पर डाक तथा टेलीफोन सुविधाएं

***514. श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री सी० टी० दंडपाणि

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में रियायती दरों पर डाक तथा टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करने का निश्चय किया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों के लिए रियायती दरें क्या होंगी और ये दरें किन-किन क्षेत्रों में लागू होंगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) डाक सुविधाएं

निम्नलिखित रियायतें दी जा रही हैं :—

(1) सामान्य देहाती इलाकों में जहां प्रति डाकघर सालाना 500 रुपये या 750 रुपये तक घाटा उठा कर डाकघर खोले जाते हैं और डाकघर खोलने में डाक सेवा का लाभ उठाने वाली जनसंख्या की भी शर्त होती है, वहीं पहाड़ी और अन्य 'अत्यन्त पिछड़े' इलाकों में प्रति डाकघर सालाना 1000 रुपये तक का घाटा उठाकर और कुछ विशेष मामलों में 2500 रुपये तक का घाटा उठा कर डाकघर खोले जाते हैं तथा ऐसे डाकघरों के लिए जनसंख्या की शर्त भी नहीं है।

(2) सामान्य देहाती इलाकों में डाकघर खोलना इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्तावित डाकघर से उस पर होने वाले खर्च का कम से कम 25 प्रतिशत भाग के बराबर आमदनी जरूर हो। किन्तु पहाड़ी इलाकों में आमदनी की सीमा खर्च की सिर्फ 10 प्रतिशत रखी गई है और अन्य 'अत्यन्त पिछड़े इलाकों' में डाकघर खोलने में आमदनी की सीमा उस पर होने वाले खर्च की 15 प्रतिशत रखी गई है।

डाकघर खोलने की दृष्टि से जिन इलाकों के लिए उपर्युक्त रियायतें लागू हैं, उनकी सूची अनुबन्ध 'क' में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4635/73] राज्य सरकारों और सर्किलों के अध्यक्षों की सिफारिशों पर इस सूची में संशोधन किया जा सकता है।

टेलीफोन सुविधाएं

निम्नलिखित स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधाएं देने में रियायती नीति अपनाई जाती है :—

(1) देहाती इलाकों के वे स्थान जहां की जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक हो और शहरी इलाकों में वे स्थान जहां की जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक हो और

(2) किसी मौजूदा एक्सचेंज से 12.5 किलोमीटर के घेरे के भीतर आने वाले वे स्थान जहां की जनसंख्या 2500 या इससे अधिक हो बशर्ते कि पहाड़ी इलाकों में वार्षिक आवर्ती खर्च के 10 प्रति शत से कम की आमदनी होने का अनुमान न हो। पिछड़े इलाकों में आमदनी की यह शर्त 15 प्रतिशत रखी गई है।

टायर उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*515. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में समूचे टायर उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : **(क) और (ख)** जी, नहीं। सरकार की नीति जब भी अर्थ-व्यवस्था के हित में जरूरी हो केवल चयनात्मक आधार पर राष्ट्रीयकरण करने की है। सरकार टायर उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं समझती है।

मीटरों का निर्माण

*516. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित उद्योग निदेशक के कार्यालय में 17 अगस्त, 1972 को हुई बैठक में निदेशक ने यह आश्वासन दिया था कि ओटो रिक्शों में लगाये जाने हेतु सस्ते किस्म के मीटरों के निर्माण के लिए शीघ्र ही अनुमति दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) उद्योग, निदेशालय, दिल्ली ने बताया है कि उप-निदेशक-सहनाप तथा तौल नियंत्रक, दिल्ली ने 17-8-1972 को एक बैठक आयोजित की थी और अन्य बातों के साथ साथ यह बताया है कि आटो-रिक्शा के कुछ और मेकों को स्वीकृत करके पर्याप्त संख्या और उचित मूल्यों पर आटो-रिक्शा के मीटर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) निदेशालय ने मीटरों के दो और मेक पहले ही स्वीकृत कर दिये हैं।

फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन के लिए समान विनियम

*517. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सिनेमेटोग्राफ एक्जीबिटर्स एसोसियशन आफ इण्डिया' ने सरकार से अनुरोध किया है कि फिल्मों के निर्माण और प्रदर्शन के सम्बन्ध में समूचे देश के लिए समान विनियमन बनाय जायें; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में है। भारत में फिल्म निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, कोई भी फिल्म भारत में तब तक प्रदर्शित नहीं की जा सकती जब तक उसको केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड से सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र न मिल जाए।

हाल ही में सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि राज्यों को मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का एक निश्चित भाग अधिक सिनेमाघरों के निर्माण तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए अलग से रखना चाहिए। इससे पहले सरकार ने राज्य सरकारों को भारतीय मानक संस्थान द्वारा सिनेमाघरों के निर्माण के सम्बन्ध में बनाये गये मानक नियमों की सिफारिश की थी।

नैनीताल में टेलीविजन फैक्टरी

*518. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या किसी पार्टी को नैनीताल में टेलीविजन फैक्टरी स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है;

(ख) उस फैक्टरी का प्रस्तावित व्यय, उत्पादन क्षमता और रोजगार क्षमता कितनी होगी तथा किसी संभावित तारीख तक फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा;

(ग) क्या उस आशय-पत्र को इस बीच औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में फैक्टरी स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) नैनीताल में टी० वी० फैक्ट्री स्थापित करने हेतु संगठित क्षेत्र में किसी भी पार्टी को कोई आशय-पत्र जारी नहीं किया गया है। फिर भी, 14-9-1972 पर्वतीय विकास निगम, नैनीताल (उत्तर प्रदेश सरकार का सरकारी क्षेत्र उपक्रम) को एक यूनिट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी वार्षिक क्षमता 5,000 टी० वी० सैट होगी।

(ख) इस प्रस्ताव में भूमि, भवन तथा उपकरणों एवं 127 कर्मचारियों को रोजगार जिसमें तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारी वर्ग सम्मिलित हैं, पर 740 लाख रुपयों के विनिधान का उल्लेख है। संभवतः फैक्ट्री 1973-74 में उत्पादन आरम्भ कर देगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता जबकि लघु उद्योग क्षेत्र के लिये स्वीकृति लाइसेंस के समान है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिकों की नियुक्ति के बारे में संघ लोक सेवा आयोग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच मतभेद

*519. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिकों की नियुक्ति पर उक्त विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग ने 1971 से की गई लगभग सभी नियुक्तियों पर अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) समाचार में बतायी गयी बात कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिकों की नियुक्ति पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है, तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नए निर्माण एककों की स्थापना की लागत

*520. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर रूप से हो रही मुद्रा स्फीति के परिणामस्वरूप गत तीन या चार वर्षों में नई उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) निःसंदेह विगत तीन या चार वर्षों में निर्माण की नई सुविधाएं स्थापित करने की लागत बढ़ गई है। वृद्धि का ब्यूरो जो प्रत्येक उद्योग में भिन्न-भिन्न हुआ करता है, तत्काल उपलब्ध नहीं है। वित्तीय, आर्थिक और अन्य समुचित नीतियों से देश में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने हेतु उठाए गये कदमों के अलावा, कतिपय चुने हुए उद्योगों जैसे कागज, मशीनरी, सीमेंट मशीनों, और मशीनों और उपकरणों की अन्य वस्तुओं के विषय में लागत का अध्ययन प्रारम्भ करने का विचार है।

बिहार के कालेजों में अमरीकी गुप्तचर विभाग की गतिविधियां

4928. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कालेजों में अमरीकी गुप्तचार विभाग बहुत सक्रिय है; और

(ख) अमरीकी गुप्तचर विभाग की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं है।

(ख) सरकार ऐसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखती है किन्तु सरकार को जो सूचना है उसका अथवा अमरीकी गुप्तचर विभाग समेत विदेशी गुप्तचर संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिये जो किया जाता है उसका ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा।

Bundles of 'Avantika'

4929. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2338 on the 16th August, 1972 regarding sold and unsold copies of Avantika and state:

(a) whether the number of copies is also written along with the addresses on the lables pasted on the bundle of the Avantika daily sent out as parcels;

(b) whether the actual number of copies of the daily contained in these bundles is not even 10 per cent of the number indicated on the lables pasted thereon; and

(c) whether Government propose to make arrangement to find out the fact by checking the payment of the bills by its agents from time to time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Vir Sinha) : (a) This was found to be so during a recent circulation check.

(b) & (c) During the check, no discrepancy was noticed between the number of copies mentioned on the lables fixed outside and the number of copies contained in the packets.

राष्ट्रीय आय

4930. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1970-71 के लिए राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े देने की स्थिति में है, और

(ख) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित शीघ्र अनुमान संबंधी प्रेस नोट के अनुसार राष्ट्रीय आय 1960-61 के भावों के आधार पर 1970-71 के लिए 18,755 करोड़ रुपए बतलाई गई है। वर्ष 1970-71 के लिए राष्ट्रीय आय के विस्तृत संशोधित अनुमान, प्रचलित और स्थिर (1960-61) दोनों प्रकार के भावों के आधार पर, संकलित किए जा रहे हैं और कार्य पूरा होने पर तत्काल सदन के पटल पर रखे जायेंगे।

पंजाब के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

4932. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन दिये जाने के बारे में पंजाब से जिलेवार स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) अब तक कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है तथा कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 20-3-1973 तक प्राप्त 9,437 आवेदन पत्रों में से, अभी तक 1,287 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है और 689 मामलों में पेंशन की स्वीकृति दी गई है।

विवरण

20 मार्च, 1973 तक पेंशन की स्वीकृति के लिये पंजाब के स्वतंत्रता सेनान्यियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का ज़िलेवार ब्यौरा

क्रम संख्या	ज़िले का नाम	प्राप्त संख्या
1.	अमृतसर	2,610
2.	भटिण्डा	469
3.	गुरदासपुर	671
4.	फिरोजपुर	948
5.	होशियारपुर	1,063
6.	जलन्धर	855
7.	कपूरथला	369
8.	लुधियाना	1,107
9.	रोपड़	529
10.	पटियाला	367
11.	संगरूर	449
	जोड़	9,437

बिजली की कमी वाले राज्यों को पन-बिजली देना

4933. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने, योजना आयोग को बिजली की कमी वाले राज्यों को पन-बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोई पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हाथ में ली हुई कुछ पन-बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या उन राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। इस पत्र में मैसूर के पास उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को पड़ोसी राज्यों यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोआ को देने की पेशकश की गई है।

(ख) राज्य के प्राधिकारियों ने इस क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का प्रस्ताव भेजा है। शरावती चरण-3 (2× 89.5 मेगावाट), कालीनदी चरण-1 (2× 135 मेगावाट) और लिंगनामकी डाम बिजली घर (2× 27.5 मेगावाट) परियोजनाओं पर काम चालू है। केन्द्र ने चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान कालीनदी चरण-1 जो कि राज्य योजना में शामिल नहीं है, के लिए अपेक्षित परिव्यय देना स्वीकार कर लिया है। अन्य दो स्कीमों के लिए वित्त व्यवस्था राज्य योजना के संसाधनों से ही की जाएगी।

(ग) चालू वर्ष में निम्नलिखित राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता बाजार से उधार लेकर दी गयी है :—

राज्य	स्कीम	राशि
पंजाब/हरियाणा/राजस्थान . .	व्यास-1	5.00
महाराष्ट्र	कोयना-3	2.00
केरल	इदिक्की	3.00
उड़ीसा	बालिमेला	1.00

फिरोजाबाद और वाराणसी के दंगों के बारे में प्रतिवेदन

4934. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री 22 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1373 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से इस बीच जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अभी तक जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिवेदन की एक प्रति भेजने के लिये अनुरोध किया गया है।

फिरोजाबाद और वाराणसी में हुए दंगों के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोग की नियुक्ति

4935. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद और वाराणसी में हुए दंगों की जांच करने के लिये तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सम्बन्ध में संगत तथ्य सरकार को प्राप्त हो गए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 2209 दिनांक 29-11-1972 के उत्तर में दिया गया आश्वासन पूरा करते समय यह पहले ही कहा जा चुका है कि तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आयोग गठित नहीं किया गया था।

बेरोज़गारी हटाने के सम्बन्ध में 'इंडियन एसेम्बली आफ यूथ' (भारतीय युवक मण्डल) द्वारा दिये गये सुझाव

4937. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित "इंडियन एसेम्बली आफ यूथ" (भारतीय युवक मण्डल) ने देश की बेरोज़गारी की समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव देते हुए योजना मंत्रालय को पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) भारतीय युवक मण्डल ने योजना आयोग को मण्डल की कार्यकारी समिति द्वारा 6 फरवरी, 1973 को हुई अपनी बैठक में स्वीकार किए गए प्रस्ताव की एक प्रति भेजी थी, जिसमें सरकार को बेकारी की समस्या से मुक्ति पाने और वर्तमान शिक्षा पद्धति पुनर्नवीकरण करने के सुझाव दिए गए थे, ताकि उसे आवश्यकता पर आधारित और सौद्देश्य बनाया जा सके। बेरोज़गारी की समस्या को सुलझाने के लिए प्रस्ताव में दिए गए सुझावों का सारांश निम्न प्रकार है :—

(1) देश की प्रमुख नदियों को एक-दूसरे से जोड़ना ताकि पूरे देश में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके।

(2) ग्रामीण-जन को काम देने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण, अन्तर्देशीय जल परिवहन, समुद्रतटीय नौवहन, पशुपालन से अनुकूलतम लाभ उठाना।

(3) लघु उद्योग तथा हस्तशिल्प को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना।

(4) विकास कार्यों के लिए छिपे हुए धन को जब्त करना तथा उपयोग करना।

(5) ग्रामीण तथा शहरी, दोनों, क्षेत्रों में विशाल आवास कार्यक्रम।

(6) देशीय प्रतिभाओं मशीनों तथा ज्ञान का पूर्ण उपयोग, निजी तथा सार्वजनिक, दोनों, क्षेत्रों में सभी औद्योगिक इकाइयों की वर्त्तमान स्थापित क्षमता का अनुकूलतम उपयोग, प्रति-दिवस काम के घण्टों में कमी और काम के छोटे सप्ताह लागू करना। यह कार्य-सप्ताह पांच दिन का हो सकता है जिसमें कार्यावधि अधिक से अधिक चालीस घण्टे हो।

(7) शिक्षा नीति का, उसे आवश्यकता पर आधारित और सौद्देश्य बनाने की दृष्टि से नवीकरण।

प्रस्ताव में दिए गए अधिकांश सुझाव पहले से ही सरकार के विचाराधीन हैं तथा पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

Award of Tamra Patras to undeserving persons

4938. Shri Jagdish Narain Mandal: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of such freedom fighters out of those awarded 'tamra patra' on 15th August 1972, who are holding Government posts or who have retired from Government post after Satyagrah movement;

(b) whether Government are aware of the criticism frequently appearing in newspapers that 'tamra patras' have been awarded to most of such persons who have not even undergone imprisonment or they have undergone imprisonment only for various offences and if so, the steps taken to counter-act such criticism; and

(c) whether cases have come to the notice of the Government in which 'tamra patras' have been awarded to wrong persons inadvertently and if so, the number of such cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant): (a) According to available information, 12 Government servants and 8 retired Government servants were presented with tamra patras. Serving or retired Government servants, if they are eligible freedom fighters are not debarred from receiving Tamra Patras.

(b) Specific complaints of tamra patras being given to persons not eligible are referred to State Governments concerned for enquiries and suitable action. It may be added that apart from imprisonment some other kinds of sufferings and punishments have been specified in the list of criteria for receipt of tamra patras.

(c) Some complaints regarding award of tamra patras to undeserving persons have been received. They are promptly referred to the State Governments concerned for enquiry and, where necessary, suitable action.

Newsprint Mills in Public and Private Sector

4939. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number of newsprint mills in the public and private sectors at present; and

(b) the present capacity thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Mukherjee): (a) and (b) There is at present no newsprint mill in the private sector. Only one unit in the public sector is manufacturing newsprint in the country. As against the rated capacity of 30,000 tonnes per annum, the actual production in the mill exceeded 40,000 tonnes during the year 1971-72. A proposal to increase the capacity of the mill from 30,000 tonnes to 75,000 tonnes per annum is under implementation.

विदेशी जानकारी पर निर्भर न रहने वाले उद्योग

4940. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वे विदेशी जानकारी और उपकरणों पर निर्भरता समाप्त कर सकते हैं तथा जिन्होंने इंजीनियरिंग के लिए डिजाइन बनाने तथा नए कारखाने स्थापित करने के लिए स्वयं अपनी विशेषज्ञता का विकास किया है; और

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम इस सम्बन्ध में स्वतंत्र है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) देश में पहले से ही एक ठोस औद्योगिक आधार बन जाने व वस्त्र, चीनी तथा सीमेंट जैसे उद्योगों में डिजाइन, इंजीनियरी, तथा नये संयंत्र लगाने में पर्याप्त अनुभव हो जाने से सरकार तकनीकी जानकारी व डिजाइन का आयात करने के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिये जो वस्तु देश में ही बन सकती है उसे आयात करने की अनुमति न देने के लिये अधिकाधिक चयनात्मक दृष्टिकोण अपना रही है। देश में मशीनें बनाने की क्षमता में विविधीकरण लाने तथा अर्थ-व्यवस्था की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को देखते हुए सूक्ष्म विषयों में डिजाइन तथा तकनीकी जानकारी का आयात करने की आवश्यकता पड़ती है।

(ख) यद्यपि फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया को अभी भी विदेशी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी उसने उपकरण बनाने तथा देश में ही तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में पर्याप्त प्रगति की है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया का आयोजन और विकास विभाग उर्वरक प्रौद्योगिकी का एक पूर्णरूपेण संस्थान बन गया है।

"न्यू वेव" के निदेशक तथा साझेदार

4941. श्री भालजी भाई परमार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "न्यू वेव" का प्रकाशन किसी कम्पनी की पंजीकृत फर्म अथवा साझेदारी फर्म द्वारा किया जाता है ।

(ख) उसके निदेशक साझेदार कौन हैं; और

(ग) इसकी शेयर पूंजी कितनी है और प्रत्येक निदेशक/साझेदार के कितने शेयर हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) प्रकाशक के द्वारा भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के भेजे गए वार्षिक विवरण के अनुसार, साप्ताहिक 'न्यू वेव' एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री ओम प्रकाश सांगल (प्रधान)
2. डा० (कुमारी) एस० विजयालक्ष्मी (उप-प्रधान)
3. श्री गणेश शुक्ल (प्रबन्ध निदेशक)
4. श्री एन० गोपीनाथन नय्यर (सदस्य)

5. श्री राजीव सक्सेना (सदस्य)

6. श्री गिरीश माथुर (सदस्य)

7. श्री शिव राम (सदस्य)

8. श्री वी० एम० सलूजा (सदस्य)

9. श्री टी० के० रामस्वामी (सदस्य)

(ग) सोसायटी की कोई शेयर पूंजी नहीं है। सदस्यगण 500 रुपये सदस्यता शुल्क तथा 100 रुपये वार्षिक फीस देते हैं।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० में रंगीन फिल्मों का उत्पादन

4942. श्री के० मालन्ना : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० में रंगीन फिल्मों का उत्पादन करने के लिए इसका विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफक्चरिंग कं० लि० का विचार अपने विस्तार कार्यक्रम में आयातित जम्बो रोल्स से रंगीन फिल्मों में बदलकर उनका निर्माण करने का है। पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् कंपनी रंगीन फिल्मों का निर्माण करना प्रारम्भ करेगी।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को हानि

4943. श्री के० मालन्ना : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) क्या स्थिति को सुधारने के लिए कोई उपाय किया गया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कं० लिमिटेड में दिनांक 31 मार्च 1972 तक 1188.61 लाख रुपये की कुल हानि हुई थी।

(ख) कम्पनी ने अपने यहां कार्यकरण की दक्षता में सुधार करने व संयंत्रों में तकनीकी दोष दूर करने की दृष्टि से अनेक कदम जैसे, अपने बेस कास्टिंग ड्रमों का सुधार करना तथा अतिरिक्त उपकरण अधिष्ठापित करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्व विख्यात ब्रांडों की तुलना में उनके उत्पाद गुणों में ऊंचे हों उनके किस्म नियंत्रण विभाग को सुदृढ़ बनाया गया है। कम्पनी को विश्वास है कि उत्पादों की किस्मों में सुधार व रद्द किए जाने वाले माल को कम करके और हानियां कम करने के विभिन्न उपायों द्वारा भविष्य में वे हानि रहित स्थिति में पहुंच सकते हैं।

Employment for Educated Unemployed in Madhya Pradesh

4944. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have received any scheme from Madhya Pradesh Government to provide employment to the educated unemployed; and

(b) if so, the number of the educated unemployed likely to get employment under these schemes ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) No schemes to provide employment exclusively for educated unemployed have been received from Madhya Pradesh Government. However, a number of schemes included under the various special employment programmes have been taken up by the State Government to provide employment opportunities for the educated unemployed.

Details of employment likely to be generated under these programmes in 1972-73 as furnished by the State Government, are as indicated below:

Programmes

Programmes	Estimated Employment (Nos.)
A. **Programme of Educated Unemployed (Central Schemes)**	
(i) Expansion & Improvement of Quality of Primary Education	9,735
(ii) Rural Engineering Surveys	251
(iii) Agro-Service Centres	45
(iv) Advance Action on Investigation of Road Works in the Fifth Plan	90
(v) Design Units for Rural Water Supply	30
(vi) Investigation of Irrigation and Power Projects	362
B **Special Welfare Schemes**	
Accelerated Rural Water Supply Scheme	136
C. **Subsidized employment of engineering degree and diploma holders**	25
D. **Special Employment Programmes (for both educated and uneducated)**	9,900
TOTAL	20,574

Setting up of Large and Small Scale Industries in M.P. during Fifth Plan

4945. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the total number of large and small scale industries to be set up in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan;

(b) the total number of persons to be provided employment in the industries, separately; and

(c) the amount of capital proposed to be invested in both private and public sector during this period ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) to (c) The Fifth Five Year Plan is still to be formulated.

Defective Khandwa Indore Telephone Line

4946. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the telephone line between Khandwa and Indore is not in proper condition and people and making use of it only for four days in a week; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) There had been some dislocation to the circuits from October 72 to January 1973.

(b) This was due to conversion of copper wire lines to Aluminium wire in order to reduce the incidence of copper wire thefts. The lines are working well from the 3rd week of Jan., 1973.

आर्यभट्ट की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

4947. श्री अनादि चरण दास : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक महान् भारतीय गणितज्ञ और खगोल वेत्ता, आर्यभट्ट की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का है जिनकी 1500वीं वर्षगांठ 1976 में पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) वर्ष 1976 में डाक टिकट जारी करने से सम्बन्धित कार्यक्रम पर विचार करने के लिए जब फिलाटली सलाहकार समिति की चयन उप-समिति की बैठक होगी तो यह प्रस्ताव समिति के सामने रखा जाएगा।

Number of Underground Pakistani National in Punjab State

4948. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani nationals traced out of a total of 23, who went underground in Punjab on the 31st March, 1972 and the number out of them who have since been deported; and

(b) the number of underground nationals, District-wise ?

5 LSS/73—4

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant): (a) None.

(b)	(i) Amritsar . . .	23
	(ii) Other Districts .	Nil

Advertisements to Daily 'Avantika' (Ujjain)

4949. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4232 on 13th December, 1972 regarding advertisements to daily Avantika (Ujjain) and state:

(a) the number of advertisements given to this newspaper during the last three years;

(b) the amount paid to this newspaper by Government for the advertisements published in it;

(c) whether the circulation of the newspaper was taken into account at the time of giving advertisements; if so, the criterion adopted therefor during each of the said years; and

(d) whether Government have verified the circulation of the newspaper and if so, action taken against the newspaper in case he circulation was found short of the number indicated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Sinha): (a) and (b) Information regarding details of advertisements released to individual newspapers and the amounts paid to them is treated as confidential between the Directorate of Advertising and Visual Publicity and the newspapers concerned.

(c) Yes, Sir. The criteria kept in view for releasing Central Government advertisements to newspapers and periodicals are given in the attached statement.

(d) The circulation of Dainik Avantika for the years 1969 and 1970 was checked and assessed as not more than 2500 copies per issue. The circulation for the year 1972 is being assessed.

Statement

In selecting newspapers and periodicals for Government advertisements and releases the following factors are kept in view:

(i) Effective circulation (normally, papers having a paid circulation below 1000 are not used);

(ii) regularity in publication (a period of six months of uninterrupted publication is essential);

(iii) class of readership;

(iv) adherence to accepted standards of journalistic ethics;

(v) other factors such as production standards, the languages and areas intended to be covered within the available funds; and

(vi) advertisement rates which are considered suitable and acceptable for Government publicity requirements.

Advertisements are, however, withheld from such newspapers and periodicals as indulge in virulent and persistent propaganda inciting communal passions or preach violence, or offend socially accepted conventions of public decency and morals, thus undermining the basic national interests.

भारत आने वाले शरणार्थियों की जांच

4950. कुमारी कमला कुमारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के उपरांत पाकिस्तान तथा अन्य देशों से, अलग-अलग, कितने शरणार्थी भारत आये हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अन्य देशों के जैसे एजेंसियों या अन्य देशों की ऐजेंसियों से सम्बन्धित कुछ व्यक्ति भी उनके साथ आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि भारत अमरीकी गुप्तचर विभाग का कोई एजेंट न आने पाये ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सीमा चौकियों पर शरणार्थियों के पंजीकरण, जांच पड़ताल इत्यादि तथा जिनके सम्बन्ध में कोई सन्देह था उनके पूर्व चरित्र के सत्यापन के लिए व्यापक प्रबन्ध किए गये हैं। जब कभी आवश्यक हुआ या तो आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अथवा कानून की यथोचित दण्ड व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें नजरबन्द रख कर भी कार्यवाही की गई थी। देश में अवांछित तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

विवरण

देश का नाम	शरणार्थियों की संख्या—स्वदेश भेजे गये	टिप्पणी
तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बंगला देश) .	9,899,305*	लगभग सभी शरणार्थी बंगला देश भेजे गये हैं।
पाकिस्तान .	79,595	1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणामस्वरूप 6 मार्च, 1973 तक एक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक गुजरात तथा राजस्थान में भारतीय क्षेत्र में आए थे।

*ये आंकड़े उन शरणार्थियों के हैं, जिन्होंने 25 मार्च 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 की अवधि में भारत में शरण ली। ऐसे शरणार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना पुनर्वास मंत्रालय से आगे सत्यापित की जा रही हैं।

देश का नाम	शरणार्थियों की संख्या–स्वदेश भेजे गये	टिप्पणी
बर्मा	5,694	ये भारतीय नागरिक भारत भेजे गये थे जो 1 जनवरी, 1971 से 24 मार्च, 1973 की अवधि में भारत में पहुंचे थे।
श्रीलंका	40,725	भारत मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई और उन्हें भारत भेजा गया और जो 1 जनवरी, 1972 से 10 मार्च, 1973 तक की अवधि में यहां पहुंचे थे।
उगाण्डा .	9,809	15 अगस्त, 1972 से 4 मार्च, 1973 तक की अवधि में ये लोग उगाण्डा से भारत पहुंचे थे। पार-पत्र वार उनकी संख्या इस प्रकार है :— भारतीय 5,663, ब्रिटेन 3,100 और उगाण्डा 838 शेष 208 राज्यहीन हैं।
चीन (तिब्बत) . . .	376	

ब्रिटेन के उद्योगपति समूह की नई दिल्ली में मंत्री के साथ बैठक

4951. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ब्रिटेन का उद्योगपति समूह उनसे नई दिल्ली में मिला था; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य बातों पर बातचीत हुई और बैठक में क्या क्या निर्णय किये गये?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) बर्मिंघम वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा आयोजित एक व्यापारिक शिष्टमण्डल ने 6 मार्च, 1973 को औद्योगिक विकास मंत्री से भेंट की थी। भेंट शिष्टाचार के रूप में थी और वार्ता आमतौर पर उद्योग तथा व्यापार से सम्बन्धित भारत-ब्रिटेन सहयोग के बारे में हुई थी। इस भेंट का ऐसा कोई भी निर्णय नहीं निकला था।

रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वर्ष 1973-74 में राज्यों को धनराशि का आवंटन

4952. **श्री वयालार रवि :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये वर्ष 1973–74 के बजट में आवंटित धनराशि के वितरण के लिये क्या सामान्य सिद्धान्त अपनाये गए हैं अथवा अपनाने का विचार है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य को कितना भाग मिलेगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के लिये 1973–74 में निधियों का राज्यवार आवंटन का आधार तैयार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान योजनाओं के लिए वर्ष 1973-74 में केरल और कोचीन विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना

4953. **श्री वयालार रवि** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना मंत्रालय ने वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसन्धान योजनाओं के लिये वर्ष 1973–74 में केरल और कोचीन विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि देने का विचार है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को और अधिक वित्तीय सहायता देने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) 1973–74 में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों से अभी तक अनुसन्धान प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ख) योजना आयोग को अभी तक इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सम्मेलन

4954. **श्री वरके जार्ज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1973 में अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी सम्मेलन कानपुर में हुआ था ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्मेलन में किन मुख्य बातों पर विचार विमर्श हुआ तथा क्या निर्णय किये गए?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 25, 26 फरवरी, 1973 को कानपुर में स्वतन्त्रता सेनानियों का एक सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित मुख्य विषयों पर विचार किया गया था :—

1. नैतिक मानदण्डों में सामान्य ह्रास।
2. समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्वों और जातीयता पर रोक।
3. स्वतन्त्रता सैनानियों के लिये सुविधाओं का अभाव।

सम्मेलन में किये गये कुछ निर्णय और जैसी राज्य सरकार ने सूचना दी थी, इस प्रकार है :—

(i) राजनैतिक बन्दियों को न तो मृत्यु दण्ड और न जेल की सजा देनी चाहिए।

(ii) विदेशी एजेन्सियों के विरुद्ध निवारक उपाय किये जायें।

(iii) श्री चन्द्रशेखर आजाद की मृत्यु के कारणों की जांच की जाये और जो अपराधी पाये जायें उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

(iv) मोती झील कानपुर में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति स्थापित की जाये।

उड़ीसा में 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' को लाने पर पाबन्दी

4955. **श्री वरके जार्ज :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय साम्यवादी दल की उड़ीसा शाखा ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों से उड़ीसा में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' को लाने पर पाबन्दी लगाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये इस शाखा ने क्या कारण बताए हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश के आन्दोलनकारियों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के बच्चे को फिरौती पर रोके रखना

4956. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के एक जिला मजिस्ट्रेट के बच्चे को आन्दोलनकारियों द्वारा फिरौती पर रोके रखा गया और उसे जलती हुई आग में फैंकने की धमकी दी गई ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को और उस अधिकारी का नाम क्या है; और

(ग) उक्त जिला मजिस्ट्रेट के परिवार और सम्पत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया गया है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी नजर में ऐसी कोई घटना नहीं आई है। किन्तु 21 नवम्बर, 1972 की घटनाओं में, ओंगोली के जिला मजिस्ट्रेट (जिला प्रकासम) श्री टी० आर० प्रसाद की निजी सम्पत्ति पर हमला किया गया और 3,500 रुपये की हानि हुई। उनकी कार को भी जला दिया गया।

Shortage of Police Personnel in Delhi

4957. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a statement of the Inspector-General of Police, Delhi as reported in a Hindi daily 'Hindustan', dated the 6th January, 1973 (page 3, col.4) wherein during the course of this talk with correspondents he admitted that the reason for which crimes have not been checked in Delhi is the shortage of Police personnel; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the steps proposed to be taken in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes Sir.

(b) Atriennial review of the strength of the Delhi Police is being done with a view to ascertain the requirement of additional man-power.

उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

4958. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों में उत्तर प्रदेश राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिये किस प्रकार के और कितने मूल्य के लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिय गये ;

(ख) उनके नाम और पते तथा वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में कितने लाइसेंस या आशय पत्र दिये गये हैं; और

(घ) यह आवेदन-पत्र उनके मंत्रालय में कब से विचाराधीन हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में नये उद्योग स्थापित करने के बारे में 1972 में 263 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। ये सभी लगभग अनुसूचित उद्योगों में जाते हैं। आवदनों का ब्यौरा सामान्य रूप से बताया नहीं जाता है।

(ग) इन आवेदनों में से अब तक लाइसेंस और 29 आशय पत्र जारी किये गये हैं। अन्य 8 आवेदन पत्र अन्य प्रकार से निपटाय गये हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित 263 आवेदनों में से 1-3-1973 तक 202 आवेदन-पत्र अनिर्णीत हैं। ये निम्नलिखित अवधियों से अनिर्णीत पड़े हैं :—

6 महीने से कम .	79
6 महीने से अधिक किन्तु . एक वर्ष से कम	107
एक वर्ष से अधिक	16
योग	202

"इन्टरनल कम्बस्चन इंजनों" का उत्पादन

4960. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में 'इन्टरनल कम्बस्चन इंजनों का उत्पादन शुरू किया जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो क्या प्रयोग में आने वाले अश्वशक्ति वाले सभी 'इंजनों' में उनकी सप्लाई सन्तोषप्रद है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस ढंग से उनकी मांग पूरी किये जाने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इन्टरनल कम्ब्यूसन इंजन सरकारी क्षेत्र में ही बनाये जा रहे हैं और अभी तक इस मंत्रालय की जानकारी में इनके बनाने के लिये किसी नय एकक के स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) अधिकांशत आन्तरिक कम्ब्यूसन इंजनों की मांगें देसी उत्पादन से ही पूरी की जाती हैं। फिर भी कतिपय विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये इस समय निर्माण की सुविधायें नहीं हैं।

(ग) अधिक रेटिंग के इंजन बनाने के प्रस्तावों पर अनुकूल विचार किया जाता हैं और जहां आवश्यक होता है आयात करने की अनुमति भी दी जाती है।

केरल राज्य में बेरोजगारी सम्बन्धीं आंकड़े

4961. श्रीमती भार्गवीं तनकप्पन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य के अशिक्षित तथा शिक्षित व्यक्तियों, स्नातकों, स्नातकोत्तर व्यक्तियों, इंजीनियरों तथा डाक्टरों के बेरोजगारी संबंधी आंकड़े एकत्र किये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उनके लिये कुल कितनी राशि की सहायता प्रदान की है; और

(ग) क्या यह समूची राशि व्यय की जा चुकी है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों से उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-1972 को केरल में रोजगार चाहने वालों की संख्या 4,47,016 थी। इसका व्यौरा इस प्रकार है :—

31-12-1972 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में अंकित लोगों की संख्या—

1. सभी वर्गों की संख्या .	4,47,016
2. मैट्रिक से कम निरक्षरों सहित . .	1,83,386
3. कुल शिक्षित (मैट्रिक तथा उच्च अर्हता सहित) . .	2,63,630
(1) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक .	2,36,545
(2) स्नातक .	24,971†
(3) स्नातकोत्तर	2,114‡

रोजगार से संबंधित विभिन्न विशेष स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा 1971-72 में राज्य सरकार को 233.70 लाख रुपये आबंटित किए गए थे परन्तु वर्ष के दौरान कार्य की प्रगति को देखते हुए यथार्थतः केवल 197.82 लाख रुपये ही दिए गए। ये स्कीमें इस वर्ष भी जारी हैं।

†2029 इंजीनियरों तथा 573 चकित्सा स्नातकों सहित।

‡8 इंजीनियरों सहित ।

1971-72 में आबंटित तथा दी गई राशि का तथा 1972-73 में आबंटित राशि का स्कीमवार ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपये)

स्कीम	1971-72		1972-73
	आबंटित राशि	यथार्थतः दी गई राशि	आबंटित राशि
1. प्रारम्भिक शिक्षा की कोटि में सुधार	12.20	12.20	96.00
2. उद्यमियों को वित्तीय सहायता	48.00	15.70	70.00
3. ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण . . .	0.95	--शून्य--	5.44
4. पांचवीं योजना के लिए केन्द्रीय सड़क परियोजनाओं की अग्रिम जांच . . .	0.85	0.85	2.55
5. ग्राम जल-पूर्ति	0.70	--शून्य--	1.20
6. सिंचाई बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की जांच .	12.00	10.07	60.00
7. प्राकृतिक संसाधनों संबंधी सर्वेक्षण	स्कीम आरंभ नहीं हुई		3.15
8. ग्राम-रोजगार संबंधी त्वरित स्कीम	159.00	159.00	159.00
जोड़	233.70	197.82	397.34

1971-72 में कतिपय स्कीमों के लिए स्वीकृत धन का उपयोग न हो सकने के जो मुख्य कारण थे वे थे—मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने में लगने वाला समय, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार करने में लगने वाला समय तथा कर्मचारी नियुक्त करने और प्रशासन-तन्त्र गठित करने में लगने वाला समय। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तीव्रता आई है और आशा है कि चालू वर्ष में ये स्कीमें कार्यान्वित हो जायेंगी।

Financial Assistance to Bihar for Under Development Areas

4962. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have recently sanctioned some financial help for improving the condition of villages and particularly of undeveloped areas in Bihar; and

(b) if so, the amount thereof?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The Planning Commission does not take any plan allocations to specific villages or areas for their improvement. The Central assistance is released in the form of block loans and block grants for the State plan as a whole. However, the State Plans by and large, take into consideration the levels of development of different areas as well as their requirements.

(b) Does not arise.

जेम्स फिन्ले एण्ड कम्पनी, कलकत्ता पर प्रवर्तन निदेशालय कलकत्ता द्वारा अचानक छापा मारा जाना

4963. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय, कलकत्ता ने जेम्स फिन्ले एण्ड कंपनी, कलकत्ता के कार्यालय पर अचानक छापा मारा और कुछ अभिशंसी दस्तावेज **और** कागजात पकड़े;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये कागजात और दस्तावेज़ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) दिसम्बर 1970 में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने तथाकथित विदेशी मुद्रा संबंधी विनियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में जेम्स फिन्ले एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के अहाते की तथा उनके प्रबन्धाधीन कंपनियों की तलाशी ली थी और कई दस्तावेज़ पकड़े गए थे। अब तक की जांच-पड़तालों के आधार पर तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जिनके उत्तर भी प्राप्त हो चुके हैं और ये मामले प्रवर्तन निदेशक के पास न्याय-निर्णयन के लिए पड़े हैं। आगे भी जांच पड़तालें जारी हैं।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में सचिव का पद

4964. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का सचिव इंजीनियरों में से किसी को बनाया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : भारत सरकार के सचिवों के पदों पर नियुक्तियां विभिन्न सेवाओं के पात्र अधिकारियों में से योग्यता को ध्यान में रखते हुए चयन के आधार पर की जाती हैं, और इसलिए सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में सचिव के पद के क्षेत्र को इंजीनियरों के लिए ही सीमित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

Request from the State for construction of open Jails for Prisoners

4965. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any scheme under which open jails may be constructed for prisoners ;

(b) Whether any State has made such a request to the Central Government; and

(c) if so, the name of that State and the main features of the proposal made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) No, Sir. There is no such proposal with the Central Government. 'Prisons' is a State subject, and various States have already constructed 'Open Prisons'.

(c) Does not arise.

Progress of Cement Factories in M.P.

4966. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state:

(a) The progress made by cement factories in Madhya Pradesh so far; and

(b) the total number of persons appointed in all categories in those factories so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Mukherjee) (a) and (b) A statement is attached. **[Placed in library** *See No.* **LT 4636/73]**

भारतीय दल द्वारा तंजानिया का दौरा

4967. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तंजानिया में उद्योगों की स्थापना करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये हाल ही में एक भारतीय दल ने तंजानिया का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) तंजानिया में उद्योगों की स्थापना करने में भारत किस प्रकार से सहायता करेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) लघु उद्योग संगठन के एक विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडल ने जंजीबार तथा तंजानिया के प्रमुख भू-भाग का जनवरी-फरवरी, 1973 में दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल ने जंजीबार पर अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा तन्जानिया के प्रमुख भू-भाग पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जंजीबार की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ देश में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया है। भारत सरकार ने जंजीबार में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने तथा प्रस्तावित औद्योगिक बस्ती के अन्दर स्थापित की जाने वाली सामान्य सुविधा वर्कशाप के लिए अपेक्षित मशीनों और उपकरणों का संभरण करने पर विचार करने तथा जंजीबार के नामांकित व्यक्तियों को भारत में औद्योगिक वस्तियों की स्थापना करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय विकास निगम लिमिटेड के इंजीनियरिंग के एक दल ने भी फरवरी, 1972 में तंजानिया का दौरा किया था तथा तन्जानिया के राष्ट्रीय विकास निगम के साथ नीचे लिखी परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये करार दिया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. राष्ट्रीय विकास निगम, तन्जानिया और राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के बीच सहयोग के लिए सामान्य करार।

2. निम्नलिखित पर रिपोर्ट तैयार करने संबंधी करार :

(क) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०

(ख) स्टील रोलिंग मिल लि०

(ग) मशीनी औजार उद्योग

(घ) कृषि मशीनें और फार्म, यन्त्र उद्योग।

डाक तथा तार विभाग में भर्ती का विकेन्द्रीकरण

4968. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल के पी० एण्ड टी० ग्रार्म में पी० एम० जी० अथवा डी० एम० टी० अथवा जी० एम० टी० द्वारा क्लर्कों, सार्टरों, टी० ग्रो० और टेलीग्राफिस्टों के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं;

(ख) क्या उम्मीदवारों के सादे कागजों पर आवेदनपत्र से संलग्न दस्तावेजों के आधार पर चयन से पूर्व ही कार्यालय को प्रत्येक उम्मीदवार की स्थिति के बारे में पता लग जाने के कारण, आवेदनपत्र एक एकक से दूसरे एकक में बदल दिये जाते हैं,

(ग) क्या भर्ती का विकेन्द्रीकरण करने और सम्बद्ध एककों की भर्ती के कार्य का आबंटन करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) क्या केन्द्रीयकृत भर्ती पद्धति के कारण अकारण देरी हो जाती है, और

(ङ) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने और कदाचारों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अभी हाल ही में भर्ती के तरीकों को और भी आसान बना दिया गया है ताकि विलम्ब यथासंभव कम हो ।

(ङ) आजकल शायद ही कोई कठिनाई हो। भर्ती के मौजूदा तरीके में मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जाता है। यह तरीका ही ऐसा है जो कि संभावित कदाचार से बचाता है ।

डाक और तार के बिहार सर्किल में कर्मचारियों की स्थिति

4969. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के बिहार सर्किल में 30 जून, 1972 तक कितने स्वीकृत पद थे और इन पदों पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे,

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग के बिहार सर्किल में रिक्त पदों को भरने के लिए, पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को भर्ती करने की छह-मासिक-भर्ती-प्रक्रिया है,

(ग) क्या भर्ती के बाद भी रोजगार के लिये पर्याप्त कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, यदि हां, तो डाक तथा तार विभाग के बिहार सर्किल में इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या विभिन्न यूनिटों में पर्याप्त कर्मचारियों के अभाव में बिहार सर्किल में प्रत्यावर्तन के मामले रुके पड़े हैं, और

(ङ) यदि हां, तो विद्यमान रिक्त पदों को तेजी से भरने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :

	स्वीकृत पदों की संख्या	पदों की संख्या जिन पर कर्मचारी लगे हैं
श्रेणी I . .	26	26
श्रेणी II	73	73
श्रेणी III . .	16,283	16,140
श्रेणी IV	4,444	4,377

(ख) जी हां। केवल क्लर्कों के काडर में।

(ग) इंजीनियरों सुपरवाइजरों के काडर के अलावा अन्य सभी काडरों में नौकरी के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार आ रहे हैं।

(घ) अलग अलग डिवीजनों में कर्मचारियों की कमी के कारण नियम 38 के अन्तर्गत तबादले के मामले, जिनके लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, कभी कभी रोक लिए जाते हैं।

(ङ) भर्ती की गति को भी बढ़ाने के लिए भर्ती प्रक्रिया में हाल ही में सुधार किया गया है।

पाक राष्ट्रिकों द्वारा देश छोड़ने के आदेशों की अवहेलना

4971. श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत कुछ ऐसे पाक राष्ट्रिकों के विरुद्ध कार्यवाही की है जिन्होंने भारत-पाक युद्ध के पश्चात् सरकार द्वारा उन्हें भारत छोड़ने के लिये दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों की संख्या कितनी है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख) :– सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

मध्य प्रदेश में सीमेंट की कमी

4973. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सीमेंट की कमी है ; और

(ख) यदि हां , तो उसके क्या करण हैं और कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से उनकी समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन

4974. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से बार्ड के अधिकारियों के रवैये के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ?

(ख) क्या बोर्ड के कुछ कर्मचारियों का अधिकारियों द्वारा दमन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वे कर्मचारी कितने हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) :

(क) जी. नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार और उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

4975. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में अलग-अलग, वर्ष 1973-74 में कितने शिक्षित बरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : बिहार तथा उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजनाओं में परिकल्पित विकास-सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रमों से सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रयाप्त रोजगार

अवसर सुलभ होने की आशा है । इन व्यक्तियों में सम्बन्धित राज्यों के शिक्षित बेरोजगार भी सम्मिलित हैं । यह भी आशा है कि इन राज्यों में रोगजार सम्बन्धी निम्निलिखित विशेष कार्यक्रमों से भी रोजगार के अतिरिक्त अवसर सुलभ होंगे :–

(1) शिक्षित बेरोजगारों से सम्बन्धित स्कीमें	(जिनके लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।)
(2) विशष रोजगार कार्यक्रम	(केन्द्रीय सहायता और राज्यों के उतने ही अंश दान सहित)

(3) शिक्षित बेरोजगारों से सम्बन्धित त्वरित स्कीम ।

परन्तु, इन कार्यक्रमों से जिन व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है उनकी सख्या इस समय बताना सम्भव नहीं है ; क्योंकि यह संख्या अभी अंतिम रूप से ज्ञात की जानी है ।

Annual Budget provided in 1973- 74 for removing Regional Disparities

4976. **Shri Shrikrishana Agrawal**: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the amount provided in the budget for 1973-74 for removing disparities in the matter of industrial development ;

(b) the broad outlines of the schemes in this regard ; and

(c) the extent to which the disparities are likely to be removed by Government.

The Deputy Minister in the Ministry Of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) (a) to (c) : Finance at concessional rates is available for industries that are to be set up in any of the 227 selected backward districts in the country . (Annexure-I). **[Placed in Library see No. L.T. 4637/73]**

Out of these 227 districts certain districts/areas have been selected for the grant of a Central Subsidy amounting to 1/10th of fixed capital investment of new units started or in respect of expansions of existing units (Annexure-II).

50% transport subsidy is available for new units that are set up or where expansion has been affected in Jammu & Kashmir, Nagaland, Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram, in respect of transport of raw materials and finished products.

For meeting the expenditure against the 10% subsidy and 50% transport subsidy a provision of Rs.100 lakhs has been made for 1973-74 (B.E.). These subsidies and concessions are expected to have a favourable effect on the growth of industries in backward areas and would help in minimising regional disparities, through a wider dispersal of industries

असम की नई राजधानी पर व्यय

4977. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की नई राजधानी, गोहाटी में दिसपुर ग्राम के निकट बन रही है ;

(ख) क्या राजधानी के निर्माण पर तीन करोड़ रुपया व्यय होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सारा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क), से (ग) : असम की सरकार ने सूचित किया है कि वे गोहाटी के समीप दिसपुर में एक बिल्कुल अस्थायी राजधानी बना रहे हैं और इसके निर्माण पर मोटे तौर पर 4.75 करोड़ रुपया की कुल लागत का अनुमान लगाया है । 1972-73 के दौरान इस परियोजना के व्यय के लिये तदर्थ आधार पर 2.43 करोड़ रुपये स्वीकृत करने हेतु कुछ दिन पहले राज्य सरकार से एक अनुरोध मिला है, जो विचाराधीन है ।

Central Assistance of States for Upliftment of Adivasis.

4979. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Central assistance given to the States for the upliftment of Adivasis is quite inadequate; and

(b) whether these States have demanded more assistance?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F.H. MOHSIN): (a) & (b): Considering the magnitude of the task the plan provision for the uplift of Adivasis is not enough. There have been demands from State Governments for more assistance for certain schemes. But the plan provisions are determined by the availability of resources. It may be added that the allocations made to the various State Governments under the Backward Classes Sector of the Five Year Plans are supplemental in nature. In the Fifth Plan the strategy of development of Scheduled Castes and Tribes places great emphasis on the contribution of the general sector.

श्री कल्याण बसु द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

4980. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स आर० जी० शां एण्ड कम्पनी का इंगलैंड में कथित क्रेता, श्री कल्याण बसु विदशी मुदा विनियमों के उल्लंघन के कथित आरोप पर कलकत्ता न्यायालय द्वारा जमानत पर है ; और

(ख) उसके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा पता चलता है कि श्री बसु ने विदेशी मुदा विनियम अधिनियम, 1947 के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन किया है । तथापि, अभी तक इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए है, क्योंकि जांच कार्य अभी प्रगति पर है ।

1973-74 में राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता

4981. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री बेकारिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने पिछड़े जिलों के विकास के लिए 1973-74 के लिए राज्य-वार कितनी राशियों की मांग की; और

(ख) कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) और (ख): केवल गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों ने अपनी 1973-74 की राज्य वार्षिक योजनाओं में अपनी राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से परिव्ययों का प्रस्ताव किया है । प्रस्तावित तथा अनुमोदित परिव्यय नीचे दिए जा रहे है :

राज्य	1973-74	(लाख रुपये)
	राज्य द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
1. गुजरात .	326	326
2. जम्मू तथा कश्मीर	660	250
3. तमिलनाडु	50	35
4. उत्तर प्रदेश	425	(केवल नीलगिरी) 425
5. पश्चिम बंगाल .	82	(केवल उत्तराखण्ड) 82
6. मेघालय	28	20

चौथी पंच वर्षीय योजना में, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तैयार किय गए उद्देश्य सूत्र के आधार पर राज्यों को समेकित ऋणों तथा अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया जाता है। अतः उनकी योजना के लिए किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता का राज्यों को उनके किसी खास क्षेत्र या कार्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग से आवंटन नहीं किया जाता ।

भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को अनुग्रह-पूर्वक अदायगियों की राशि

4982. श्री समर गुह : क्या **गृह** मंत्री भूतपूर्व राजा-महाराजाओं को अनुग्रह-पूर्वक अदायगियों की राशि के संबंध में 15 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 541 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन भूतपूर्व राजा-महाराजाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पांच लाख रुपये से अधिक अनुग्रह-पूर्वक अदायगियां प्राप्त होंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : अनुग्रहपूर्वक अदायगियों की योजना के अनुसार 106 भूतपूर्व राजा-महाराजा 5 लाख से अधिक रुपये प्राप्त करने के पात्र होंगे । दो भूतपूर्व नरेशों द्वारा दायर की गई रिटों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय मालूम हो जाने के बाद उनके नामों को अन्तिम रूप दिया जायगा ।

हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों की जांच के लिए 'सेल' का गठन अथवा विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति

4983. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों को कहा है कि हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों की जांच के लिए एक 'सेल' गठित किया जाए अथवा विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस के अनुरूप कार्य करने वाले राज्यों के नाम क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) : केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को छुआछूत अपराध अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासनिक एजेन्सियों के निष्पादन में सुधार करने के कार्य पर विशेष ध्यान देने, अपराधों के पंजीकरण, जांच तथा अभियोजन, और पुलिस में दर्ज शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के लिए जिले के निरीक्षण अधिकारियों (पुलिस समेत) को निदेश देने, मुकदमा चलाने वाली एजेन्सियों को अधिनियम के अन्तर्गत मामलों को उच्च प्राथमिकता देने और सभी मामलों की वार्षिक समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन करने की सलाह दी गई है । उनको यह भी सलाह दी गई है कि ऐसे गम्भीर अपराधों की जांच का जिसमें हरिजन अन्तर्ग्रस्त है जाति का विचार होने का सन्देह होने पर उन्हें विशेष रिपोर्ट के मामले समझना चाहिए और उन मामलों को विशिष्ट जांच अधिकारियों को सौंपना चाहिए । एक सुझाव भी दिया गया था कि ऐसी जांच पुलिस उप निरीक्षक अथवा पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे के पद के अधिकारी के हाथ में नहीं देनी चाहिए ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गोवा, दमण व दीव, त्रिपुरा, पांडिचेरी और दादरा व नगर हवेली में राज्य स्तर पर समितियां गठित की गई हैं ।

Development of Backward Areas of M.P.

4984. **Shri Shrikrishana Agrawal** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned for the development schemes of the backward areas of Madhya Pradesh during the last two years;

(b) the amount spent out of that and the progress made so far in this regard; and

(c) whether the money sanctioned for this purpose has not been fully utilised; and if so the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Under the formula adopted for the release of Central assistance in the Fourth

Five Year Plan, State Governments get Central assistance for implementation of plan schemes in the shape of block loans and block grants for the entire Aunual Five Year Plan. As Central assistance is not released for backward areas separately, it is not possible to indicate total amount sanctioned for the backward areas of Madhya Pradesh during the last two years.

(b) and (c) Do not arise.

अनुसूचित जातियों के लोगों के बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने की कसौटी

4985. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों के बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता किन आधारों पर देती है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दो योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है :—

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, विमुक्त जातियों, खानाबदोश व अर्द्ध-खानाबदोश आदिम जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां ;

(ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, विमुक्त जातियो खानाबदोश व अर्द्ध-खानाबदोश आदिम जातियों के लिए यात्रा अनुदान ।

पात्रता के लिये निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(i) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों, इत्यादि में से किसी एक का उम्मीदवार होना चाहिए ।

(ii) उम्मीदवार को इन्जीनियरिंग/चिकित्सा डिग्री में अथवा अन्य विषयों में मास्टर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए ।

(iii) पुरस्कार के वर्ष की 1 अक्तूबर को उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें अन्यथा सु-अर्हक उम्मीदवारों के मामले में प्रवरण समिति की स्वेच्छा पर 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है ।

विदेशी छात्रवृत्तियों की सामान्य अवधि साधारणत: 3 वर्ष है और प्रत्येक मामले के गुण दोष पर आपवादिक परिस्थितियों में बढ़ा दी जाती है ।

यात्रा अनुदान की योजना

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए प्रति वर्ष 4 यात्रा अनुदान उपलब्ध किये जाते हैं । ये उन उम्मीदवारों को दिये जाते हैं जो किसी विदेशी, सरकार/संगठन से अथवा किसी अन्य योजना के अधीन, जहां विदेशी संगठन द्वारा यात्रा के खर्च की व्यवस्था नहीं की जाती, विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण के लिए कोई मेरिट स्कालरशिप प्राप्त करता है ।

इस मामले में भी वे उम्मीदवार पात्र हैं जिनके पास कला अथवा विज्ञान के विषयों में मास्टर डिग्री अथवा उसके बराबर डिग्री और इन्जीनियरिंग, तकनीकी तथा चिकित्सा के विषयों में स्नातक की डिग्री है।

वे उम्मीदवार, जो यात्रा के लिए किसी अन्य स्त्रोत से कोई सहायता प्राप्त करते हैं, पात्र नहीं हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति

4987. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान अब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूचों में से निकाली गई खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश जातियों के कुल कितने उम्मीदवारों ने विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति पाने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ; और

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 182 उम्मीदवारों ने 1972-73 और 1973-74 के लिय वजीफों के लिये आवेदन किया था, जिसके लिये साथ ही साथ चयन किये गये थे। वजीफे दिये जाने के लिये 28 उम्मीदवार चुने गये है।

हरिजन कल्याण संबंधी सुधार कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अलग सैल स्थापित करना

4988. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी राज्यों को हरिजन कल्याण सम्बन्धी सुधार कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये अलग सैल स्थापित करने का परामर्श दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1973-74 के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धन-राशि दी गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमन्। अधिकांश राज्य सरकारों के हरिजन कल्याण के लिये अलग विभाग हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में मथुरा में गुलाम के रूप में काम कर रही आदिवासी लड़कियां

4989. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साप्ताहिक पत्रिका 'आर्गेनाइजर' दिनांक 27 फरवरी, 1973 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जबर्दस्ती आदिवासी क्षेत्रों से लाई गई लगभग 100 लड़कियां मथुरा में गुलाम के रूप में काम कर रही है ;

(ख) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार इस विषय में 24 फरवरी 1973 के "आर्गेनाइजर" में प्रकाशित एक समाचार देखा है । उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

गोरखपुर में रेडियो स्टेशन

4990. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर में रेडियो स्टेशन चालू हो गया है, यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : गोरखपुर का उच्च शक्ति का मीडियम वेव ट्रान्समिटर 2 अक्टूबर, 1972 से चालू हो चुका है और वह लखनऊ के कार्यक्रम रिले कर रहा है ।

स्थायी स्टूडियो पर इन्स्टालेशन कार्य चल रहा है और उसके 1973-74 के दौरान मुकम्मल होने की उमीद है ।

मंत्रालयों में विभागीय पदोन्नति समितियां

4991. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में अपने कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति पर विचार करने के लिए अपनी-अपनी विभागीय पदोन्नति समिति है ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के कृत्य क्या हैं और उनका गठन किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति समितियों के साथ परामर्श किये बिना पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के बाद पदावनत किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो विभागीय पदोन्नति समितियों के साथ परामर्श किये बिना पदोन्नति किये गये कर्मचारियों को इस प्रकार पदावनत करने के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नतियों आदि से सम्बन्धित मामलों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति या समितियों का गठन किया जाता है । मंत्रालयों/विभागों को भी हाल ही में अनुदेश जारी किए गये है कि वे यह सुनिश्चित करे कि 'चयन' साथ ही साथ "गैर-चयन" के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समितियां, जहां वे इस समय विद्यमान न हो, तत्काल गठित की जाएं ।

विभागीय पदोन्नति समिति में सामान्यत : संबन्धित कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष (अथवा उसके द्वारा नामांकित अधिकारी) और उस विभाग के अन्य अधिकारी शामिल होते है जो कि पदोन्नति आदि के लिए मूल्यांकन किये जाने वाले व्यक्तियों के कार्य से परिचित हो । श्रेणी II से श्रेणी I में तथा श्रेणी I के बीच चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामले में, अध्यक्ष अथवा संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य विभागीय पदोन्नति समितियों से भी सम्बद्ध होता है जो कि समिति के एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है । श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समितियों के सम्बन्ध में समिति का सदस्य उस विभाग का एक अधिकारी होना चाहिए जो कि पदोन्नति किये जाने वाले विभाग से सम्बद्ध न हो।

विभागीय पदोन्नति समिति के कृत्य इस प्रकार है :—

(i) पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का अन्य बातों के साथ मूल्यांकन करना ; और

(ii) परिवीक्षाधीनों को उनकी सेवा में बनाए रखने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त निर्धारिग करना या इससे उनकी बर्खास्तगी या उनको परिवीक्षा की निर्धारित अवधि को घटाने या बढ़ाने के लिए उनके कार्य तथा आचार का मूल्यांकन किया जाना ।

(ग) तथा (घ) किसी विभागीय समिति के अनुमोदित पेनल में किसी अधिकारी के न होने पर भी उसे अधिक से अधिक तीन मास की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जहां प्रशासनिक अपेक्षाओं में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए ।

लघु उद्योग विकास संगठन के जूनियर फील्ड आफिसरों की वरीयता

4992. **श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास संगठन के आर्थिक जांच अनुभाग के जूनियर फील्ड आफिसरों (अब लघु उद्योग संवर्धन अधिकारी) को उनकी वरीयता देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च, 1972 में उनके पक्ष में याचिका का एक निर्णय दिया है ;

(ख) क्या उन्हें भारतीय आर्थिक सेवा की फीडर सर्विस में शामिल किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी वरीयता निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । बशर्ते 31-12-1966 के पूर्व चार वर्ष की अर्द सेवा कर चुका है।

(ग) भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यकी सेवा के ग्रेड IV को प्रवरण सूची (सेलेक्ट लिस्ट) में सम्मिलित करने के लिए लोक सेवा आयोग से इन अधिकारियों से मामलों पर विचार करने को कहा गया है, उनकी वरीष्ठता का निश्चय लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवरण सूची पर अन्तिम निर्णय कर लिए जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

Grant of Indian Citizenship to Bangla Desh Residents

4993. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Shri Jagdish Narayan Mandal

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Bangla Desh residents who have applied for Indian Citizenship and the number of those who have been granted Indian Citizenship during the last one year; and

(b) the names of States in India in which these people are residing indicating the number thereof in each State and the reasons for their coming to India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Sh. F.H. Mohsin) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे स्टेशन निदेशक आदि

4994. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री आकाशवाणी और टेलीविजन केन्द्र में स्टेशन निदेशकों की कार्य-विधि के बारे में 31 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8148 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्टेशन निदेशकों, सहायक स्टेशन निदेशकों, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों, और ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिवों की संख्या कितनी है जो दिल्ली में पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनका निकट भविष्य में तबादला करने का है ; और

(ग) उन्हें दिल्ली में पांच वर्षों से अधिक समय तक रखने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इन संवर्गों से संबंधित उन दो अधिकारियों, जिनके स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये गये हैं, को मिलाकर 45 अधिकारी किसी न किसी रूप में 5 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में कार्य कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) तबादले विभिन्न बातों मुख्यतया सेवा की आवश्यकताओं एवं केन्द्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं । यदि सेवा की मांग हुई तो शेष अधिकारियों के तबादलों पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा ।

पांचवीं योजना के दौरान रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की योजनाएं

4995. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का ऐसी कौन-कौन सी विशिष्ट योजनायें आरम्भ करने का विचार है जिनसे यथा सम्भव अधिकाधिक स्थायी सुरक्षात्मक अस्तियां बनाना सम्भव हो सकेगा जिनसे लोगों को रोजगार मिल सकेगा; और

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न हो सकेंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है और पांचवीं योजना में परिकल्पित विभिन्न रोजगार –अभिमुख स्कीमें तैयार की जा रही हैं।

Proposal to issue 29 Postal Stamps in one year

4996. Shri Phool Chand Verma : Will the Ministre of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Department of Posts and Telegraphs proposes to issue 29 special postal stamps during the year ;

(b) whether such a large humber of commemorative postal stamps have never been issued earlier during one year; and

(c) the names of the great men and women and other important events for which the special postal stamps are being issued during the year ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The details are given in the list attached.
[Placed in Library See. No. Lt. 4638/23]

वर्ष 1974-75 में उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविजन परीक्षण

4997. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वर्ष 1974-75 में उपग्रह शिक्षणात्मक टेलीविजन परीक्षण के माध्यम से विकास संबंधी उद्देश्यों के लिए उपग्रह द्वारा सीधे प्रसारण का प्रथम प्रयोग करेगा ;

(ख) क्या इस परीक्षण के उपरान्त एक राष्ट्रीय भारतीय कार्यक्रम बनाया जायेगा जिसका अन्तिम लक्ष्य लगभग प्रत्येक 60,000 गांवों में विशेष तौर पर बनाए गए ऐसे टेलीविजन लगाने का होगा जो उपग्रह से प्रसारण होने वाले टेलीविजन के लिए कार्यक्रम को ग्रहण कर सके; और

(ग) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय भारतीय कार्यक्रम की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) समस्त राष्ट्र में टेलीविजन सैट लगाने के लिए एक राष्ट्रीय उपग्रह को प्रसारण संबंधी उपयोग में लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । सारे देश को इसका लाभ पहुंचाने के लिए टेलीविजन केन्द्रों से पुन: प्रसारण, उपग्रह से सीधे कार्यक्रम ग्रहण करके तथा सीमित पुन:प्रसारण का उपयोग किया जायेगा।

(ग) प्रस्ताव की मुख्य बातें "परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान–वर्ष 1970—80 के दशाब्द की रूपरेखा" शीर्षक से प्रकाशित पुस्तिका में दी गई हैं, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए एक विस्तारपूर्वक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

उद्योगों द्वारा कृषि का विकास

4998. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उद्योगों को भी उत्तम कृषि उपकरण बनाकर तथा उत्तम रसायनों और उर्वरकों का विकास करके कृषि विकास में सहायता करनी चाहिये ;

(ख) क्या कृषि विकास से कुल जनसंख्या के 80 प्रतिशत किसानों की क्रय क्षमता में वृद्धि होगी तथा इससे उद्योगों का विकास होगा, और

(ग) क्या कृषि पर आधारित उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने से कृषि में प्रगति होगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जी, हां। कृषि निविष्टि में सुधार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपकरण तथा साधन उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरन्तर प्रयत्न कर रही है। इस हेतु उर्वरकों, कीटनाशक पदार्थों तथा कृषि के विकास के लिये आवश्यक अन्य उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार को यह भी विश्वास है कि केवल कृषि की उन्नति करके ही ग्राम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। ऐसा पोषक पदार्थों तथा उनके उपभोग स्तर में सुधार लाकर तथा औद्योगिक विकास के लिये कच्चे माल का संभरण करके और कृषि में लगे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा कर के किया जा सकता है। इस संबंध में सरकार का विश्वास यह है कि कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास से कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा बशर्ते कि ऐसे उद्योगों की स्थापना उत्पादन/उपभोक्ता क्षेत्रों, जो उद्योगों की प्रकृति पर निर्भर है, के समीप की जाए।

सिगरेटों के लिए आशयपत्रों और लाइसेंसों का जारी किया जाना

4999. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिगरेट उद्योग के लिए 1971-72 में कितने आशयपत्र और लाइसेंस जारी किए गए और

(ख) क्या आशयपत्र चौथी और पांचवीं योजनाओं के दौरान जरूरतों को पूरा करेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1971-72 में करीब 516,000 लाख सिगरेट प्रतिवर्ष बनाने के लिये नये उपक्रम स्थापित करने हेतु 12 आशयपत्र जारी किए गये। उस अवधि में कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया।

(ख) इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाने के पश्चात् आशा है चौथी और पांचवीं योजना अवधि की सिगरेटों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा।

टेलीफोन केन्द्र प्रणाली के गुण-दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विदेश भेजे गये तकनीकी प्रतिनिधि मंडल

5000. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन केन्द्र प्रणाली के गुण-दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भारत ने दो तकनीकी प्रतिनिधि मण्डल विदेश भेजे थे, और

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिनिधि मण्डलों ने किन-किन देशों का दौरा किया तथा टेलीफोन उपकरणों की खरीद के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किए ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) तीन तकनीकी दल, एक मुख्य तथा दो अध्ययन दल, दो प्रकार की टेलीफोन एक्सचेंज प्रणालियों के गुण-दोषों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए विदेश भेजे गए थे।

(ख) इन दलों ने नीचे लिखे देशों का दौरा किया :—

(i) **मुख्य दल** थाइलैंड, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, ग्रीस, स्वीडन, और बेलजियम।

(ii) **अध्ययन दल** 1 थाइलैंड, आस्ट्रेलिया।

(iii) **अध्ययन दल**--2 संयुक्त अरब गणराज्य, ग्रीस और रूमानिया। टेलीफोन उपस्करों की खरीद के बारे में मामला विचाराधीन है।

Re-entry of Rebel Nagas into Nagaland After Getting Training From China

5001 **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Bhogendra Jha:

Will the Minister or **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether 100 underground Nagas, who had crossed over to Cihna for getti n arms and training there, are trying to enter Nagaland from across the borders of Burma again;

(b) whether the Chinese territory adjoining the borders of Burma is serving as a big base for these Nagas; and

(c) the action taken by Government in this regard.

The **Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin)**: (a) Government have seen press reports to that effect.

(b) Government have no information of "any big base" having been set up recently in the Chinese territory adjoining the borders of Burma, for the underground Nagas.

(c) The Governments of Nagaland and Manipur, the intelligence agencies and the Security Forces are vigilant. Curfew has been imposed along the 16-kilometre wide belt of the international border. The Security Forces have intensified their patrolling and are covering the likely approach routes.

महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के टेलीफोन सुविधाओं से युक्त ग्राम

5002. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में उन ग्रामों की संख्या कितनी है जिनमें वर्ष 1972-73 में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं, और

(ख) टेलीफोन जिला-वार ग्रामों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में वर्ष 1972-73 के दौरान क्रमशः 40, 4 और 60 गावों में टेलीफोन सुविधायें दी गई थीं।

(ख) इन गांवों के नामों का एक विवरण पत्र सभापटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल०टी० 4639/73]

उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु शक्ति केन्द्र

5003. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एजेंसियों अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनको उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु बिजली-घर का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(ख) इस परियोजना का डिजाइन बनाने के लिये कितनी धन-राशि नियत की गई है ;

(ग) क्या डिजाइन बनाने वाले तारापुर राजस्थान रावतभाटा और कलपक्कम परमाणु संयंत्रों का डिजाइन बनाने वालों से भिन्न है; और

(घ) क्या डिजाइन बनाने वाले उपरोक्त व्यक्तियों की तकनीकी और विशिष्ट जानकारी नरोरा संयंत्र बिजलीघर का डिजाइन बनाने वालों को उपलब्ध कराई गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नरोरा, परमाणु विद्युत परियोजना का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी परमाणु ऊर्जा विभाग के विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग को सौंपी जायेगी। बिजलीघर के परम्परागत किस्म की भाग का डिजाइन तैयार करने के लिए भारतीय परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रस्ताव है। बिजलीघर के न्यूक्लीय भाग का डिजाइन विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। तथापि, न्यूक्लीय भाग के लिए भी, उन कार्यों के लिए भारतीय परामर्शदाताओं की सेवाओं का लाभ उठाने का प्रस्ताव है जिनमें उन्होंने आवश्यक विशेषज्ञता का विकास कर लिया है।

(ख) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना पर आने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कारण, वर्तमान स्थिति में, यह बताना सम्भव नहीं है कि बिजलीघर का डिजाइन तैयार करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की जायेगी।

(ग) तथा (घ) तारापुर, परमाणु बिजलीघर, जो कि एक भिन्न किस्म का बिजलीघर है, का अभिकल्पन तथा निर्माण अमरीका, के मैसर्स जनरल इलैक्ट्रि द्वारा 'टर्न की' के आधार पर किया गया था। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का डिजाइन एटामिक एनर्जी आफ कनाडा लिमिटेड तथा एक

कनाडियन सलाहकार फर्म द्वारा तैयार किया गया था। मद्रास परमाणु बिजलीघर का डिजाइन बनाने और निर्माण करने का काम विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। डिजाइन के न्यूक्लीय भाग को तैयार करने की जिम्मेदारी विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग की है तथा परम्परागत किस्म के भागों का डिजाइन बनाने का काम भारतीय परामर्शदाताओं को सौंपा गया है। राजस्थान तथा मद्रास परमाणु बिजलीघरों के निर्माण से अर्जित की गई तकनीकी जानकारी तथा विशेषज्ञता का लाभ नरोरा में परमाणु बिजलीघर का निर्माण करने के लिए उठाया जायेगा।

स्टेशनों को सूक्ष्म तरंग ट्रांसमिशन प्रणाली से सम्बद्ध किया जाना

5004. **श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन्हें आगामी दो वर्षों में सूक्ष्म तरंग ट्रांसमिशन प्रणाली से सम्बद्ध किये जाने की योजना है ;

(ख) इन परियोजनायों की कुल लागत क्या है ;

(ग) क्या इन सभी परियोजनाओं को पूर्णतः स्वदेशी तकनीकि जानकारी की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो विदेशों से किस प्रकार की तकनीकी जानकारी प्राप्त की जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आगामी दो वर्षों के दौरान लगभग 40 स्थानों को माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रणाली से जोड़ने की योजना है। डाक-तार विभाग के माइक्रोवेव जाल से जो स्थान पहले से ही जुड़े हैं और जिन स्थानों को आगामी दो वर्षों में जोड़ने की संभावना है उनकी सूचियां सभा-पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 4640/73]

(ख) इन प्रोजेक्टों पर लगभग 52 करोड़ रुपयों के खर्च का अनुमान है।

(ग) और (घ) जी नहीं। इन प्रोजेक्टों का कार्यान्वियन पूरी तरह से स्वदेशी जानकारी से किया जाएगा किन्तु इन के लिए उपस्करों का कुछ भाग आयात किया जाएगा। इन प्रोजेक्टों पर लगभग 52 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें से आयात किए जाने वाले उपस्कारों पर कुल लगभग 9 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

'वन एशिया असेम्बली' के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों का नामांकन/चयन

5005. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार, विशेषकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रैस फाउन्डेशन आफ़ एशिया द्वारा प्रायोजित "वन एशिया असेम्बली" के बीच किस प्रकार के सम्पर्क थे ;

(ख) क्या असेम्बली के लिये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों का नामांकन सरकार ने सरकारी तौर पर किया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका चयन किस प्रकार किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) भारत सरकार ने पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के माध्यम से "वन एशिया असेम्बली" के संयोजकों से आवश्यकतानुसार सम्पर्क बनाए रखा ।

(ख) तथा (ग) सरकारी प्रतिनिधिमण्डल की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई थी तथा प्रतिनिधिमण्डल में निम्नलिखित शामिल थे :—

(1) श्री एस० के० मुखर्जी, महानिदेशक, आकाशवाणी ।

(2) श्री एच० जे० डिपेन्हा, प्रधान सूचना अधिकारी ।

(3) श्री एस० के० सिंह, संयुक्त सचिव (विदेश प्रचार), विदेश मन्त्रालय ।

(4) श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद, निदेशक (सूचना), प्रधान मन्त्री सचिवालय ।

गैर सरकारी प्रतिनिधियों को उन विभिन्न संगठनों द्वारा नामज़द किया गया था जिन्होंने असेम्बली की कार्यवाही में भाग लिया था ।

पश्चिम बंगाल से उद्योगों का स्थानांतरण

5006. **श्री समर गुह**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की कुछ औद्योगिक फर्मों को (1) अन्य राज्यों को स्थानान्तरण करने, और (2) राज्य से बाहर नए कारखाने खोलने की अनुमति दे दी है :

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें (1) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल से बाहर जाने, और (2) उसी अवधि के दौरान राज्य से बाहर नए कारखाने चालू करने की अनुमति दी गई थी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) 1–1–1970 और 30–11–1972 के बीच विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों को पश्चिम बंगाल से राज्य के अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से एक आवेदन उत्पादन एकक को जो कलकत्ता से बम्बई हटाने का विनियमन करने के सम्बन्ध में था, 1970 में प्राप्त हुआ था जिसके लिये स्वीकृति दे दी गई थी। दूसरा आवेदन जो निर्माणकारी एकक को कलकत्ता से कानपुर ले जाने के लिए 1972 में प्राप्त हुआ रद्द कर दिया गया था।

सरकार पश्चिम बंगाल के यथाशीघ्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है और इसके लिए अनेक उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। सरकार ने विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों को पश्चिम बंगाल से राज्य के बाहर के अन्य स्थानों को ले जाये जाने के लिये निरुत्साहित किया है और वह ऐसा ही करती रहेगी। स्थान बदलने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करते समय राज्य सरकार से भी परामर्श किया जाता है।

किसी भी स्थान पर नए उपक्रम स्थापित करने के लिए विद्यमान अथवा किसी भी पार्टी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं और तकनीकी आर्थिक बातों को देखते हुए गुणावगुण के आधार पर उनकी जांच की जाती है। तदनुसार पश्चिम बंगाल से बाहर नए एकक स्थापित करने हेतु कई मामलों में अनुमति दी गई है। जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का ब्यौरा, सार्थ का पता, निर्माण की जाने वाली वस्तु, एकक का स्थापना स्थल आदि का ब्यौरा समय-समय पर अनेक पत्रिकाओं उदाहरणार्थ ; दी वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसज, इम्पोर्ट लाइसेंसेंज और एक्सपोर्ट लाइसेंसेंज, दि वीकली इण्डियन ट्रेड जर्नल और मन्थली जर्नल आफ इण्डस्ट्री और ट्रेड में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अणुशक्ति का विखण्डन (फिशन) और संगलन (फ्यूजन) के मिश्रण के रूप में उत्पादन

5007. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन की 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित नेवादा विश्वविद्यालय के डा० एफ० विंटरवर्ग के इस दावे की ओर दिलाया गया है कि लेसर बीमों की सहायता से विखण्डन (फ्रिक्शन) और संगलन (फ्यूजन) मिश्रण प्रक्रिया के द्वारा अणुशक्ति के उत्पादन की नई तकनीक का विकास किया जा सकता है।

(ख) यदि हां, तो 'क्रिटिकल मास' की तुलना में काफी कम 'मास' से अणुशक्ति निकालने की नई तकनीक की सम्भाव्यता की रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा के वैज्ञानिकों को अणुशक्ति रिलीज करने के लिए नये तकनीकी सिद्धांत का पता है और इसका परीक्षणात्मक ढंग से विकास करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत सरकार का ध्यान 'नेचर' पत्रिका के 16 फरवरी, 1973 के अंक में डा० एफ० विंटरवर्ग द्वारा लिखित एक लेख की ओर खींचा गया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि एक पूर्णतः नियंत्रित शक्ल के शक्तिशाली लेसर पल्स की सहायता से एक सूक्ष्म तापन्यूक्लीय विस्फोट किया जा सकता है।

(ख) से (घ) उपरोक्त लेख में केवल मात्र एक सुझाव ही दिया गया है तथा उसका अध्ययन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है।

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

5008. **श्री बेकारिया :**

श्री अर्विन्द एम० पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अपना टेलीफोन लगाओ' योजना तथा अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत गुजरात सर्कल में, टेलीफोन केन्द्र वार, टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(ख) प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र से किस वर्ष तक रजिस्टर द्वारा हुए आवेदन-कर्त्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन दिये जा चुके हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार के मामले

5009. **श्री एम० कतामुत्तु :**
श्री झारखण्डे राय :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के बहुत से मामलों के समाचार मिले हैं ;

(ख) क्या इस राज्य में हरिजनों में असुरक्षा की भावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र का सीधे हस्तक्षेप करने तथा हरिजनों की ऐसे अत्याचारों से सुरक्षा करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस विषय पर उपलब्ध सूचना 28 फरवरी, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1263 के भाग (क) के उत्तर में सदन में दी गई थी। गम्भीर प्रकृति की घटनाओं की संख्या और कितनी घटनाओं में आरोप साबित हुये हैं उनकी संख्या के संबंध में आगे सूचना राज्य सरकार से मालूम की जा रही है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन बक्सों में परिवर्तन किये जाने के कारण लोगों को सार्वजनिक टेलीफोनों से टेलीफोन करने में असुविधा

5010. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन अधिकारियों ने 30 पैसे प्रति टेलीफोन काल लेने का निर्णय करने के बाद सार्वजनिक टेलीफोनों के बक्सों में परिवर्तन किया है,

(ख) क्या नई प्रणाली के कारण लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है क्योंकि नए दस पैसे के सिक्के आसानी से उपलब्ध नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) तकनीकी दृष्टि से यह प्रणाली बिल्कुल ठीक है। इसमें संशोधन के कारण जनता को कोई असुविधा नहीं हो रही है। तथापि 10 पैसे के नए सिक्कों की कमी के कारण आम जनता को कभी-कभी असुविधा हो सकती है।

(ग) इस प्रकार के मामले जब कभी हमारे ध्यान में लाए जाते हैं तो ज्यादा तादाद में इन सिक्कों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को सूचना दे दी जाती है।

मध्य प्रदेश में यूरेनियम निक्षेपों का विदोहन

5011. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में यूरेनियम के बहुत बड़े निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों के विदोहन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में कुछ स्थानों पर यूरेनियम की विद्यमानता के संकेत मिले हैं। यह पता लगाने के लिए खोज की जा रही है कि इन स्थानों पर धातुक कितनी मात्रा में तथा किस प्रकार का है।

(ख) निक्षेपों से धातुक निकालने का प्रश्न चालू खोजों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

टेलीविजन निर्माण के लाइसेंसधारियों द्वारा सरकारी शर्तों के कारण परियोजनाओं के छोड़ने की सम्भावना

5012. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन निर्माण के अनेक लाइसेंस धारियों द्वारा सरकार द्वारा अब लगाई गई शर्तों के कारण अपनीपरियोजनाओं को छोड़ देने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजनाएं प्रारभ करने के लिए वर्तमान शर्तों को सुगम बनाने की कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है जिससे टी० वी० लाइसेंसों के लिये परियोजनाओं को कार्यान्वित करना कठिन हो जाए।

संगठित क्षेत्र में 105,000 टी० वी० सैट प्रतिवर्ष की क्षमता हेतु दस लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किये गये हैं। इनमें से, 4 पार्टियों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और 3 ऐसा शीघ्र ही करने जा रही हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में 1,91,100 सैटों की क्षमता के लिये 67 स्वीकृतियाँ प्रदान की जा चुकी हैं। आवश्यक पूंजीगत माल के लिये 30 पार्टियों से अधिक को निपटा दिया गया है। दस यूनिटों में पहले ही उत्पादन आरम्भ हो चुका है।

आकाशवाणी का रीवा स्थित केन्द्र

5013. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आकाशवाणी का रीवा स्थित केन्द्र कब तक चालू हो जायेगा ; और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ट्रान्समिटर के 1974-75 में तथा स्टूडियों के 1975-76 में चालू हो जाने की आशा है ।

(ख) देरी का मुख्य कारण आकाशवाणी के लिए स्टूडियो के लिए स्थान प्राप्त करने में लम्बा समय लगना है । ट्रान्समिटर के लिए गैर-सरकारी भूमि अधिग्रहण करने में भी कुछ देरी हुई । अब स्थान अधिग्रहण कर लिए गए हैं तथा ट्रान्समिटर के लिए भवन निर्माण-कार्य चालू हो गया है।

विभिन्न राज्यों में औद्योगिक स्वास्थय विक्षान प्रयोगशालाएं (इंडस्ट्रीयल हाईजोन लेबोरेटरोज़)

5014. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों के किन-किन स्थानों पर औद्योगिक स्वास्थ्यविज्ञान प्रयोगशालाएं (इण्डस्ट्रीयल हाईजीन लेबोरेटरीज़) स्थापति की गई हैं,

(ख) उन उत्पादन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां अब तक पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन किये गये हैं,

(ग) औद्योगिक धूलि तथा अन्य उत्पादन यूनिटों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(घ) बुराईयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा इस सम्बन्ध में क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना संकलित की जा रही है जिसे सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् का कार्य

5015. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादिता संबंधी जानकारी का प्रसार करने तथा आर्थिक कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने क्या सेवाएं की हैं; और

(ख) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के कार्य को देश में तहसील अथवा तालुक स्तर पर आरंभ करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा उत्पादिता संबंधी जानकारी का प्रचार निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है :--

1. संचार के विभिन्न माध्यमों के जरिये जैसे वृत्तचित्र-दैनिक समाचार-पत्र, रेडियो और टेलीविजन और उद्यम स्तर पर उत्पादिता फिल्में दिखाना ।

2. स्थानीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर गोष्ठियां और सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, समाचार-पत्रों के परिशिष्टों, वार्ताओं व्याख्यानों, बैठकों, आदि के आयोजन के माध्यम से अब तक 1300 से अधिक गोष्ठियों, परिसम्वादों और सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। जिनमें 57000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था।

3. फिल्मों, सालडों फिल्म स्ट्रिपों, जैसे दृश्य श्रव्य साधनों का उत्पादन और बिक्री के जरिए और उत्पादन संबंधी फिल्म उधार देने वाले पुस्तकालय का संचालन करने। इस समय रा०उ०प० के फिल्म उधार देने वाले पुस्तकालय में उत्पादिता फिल्मों की कुल संख्या 814 है। रा० उ० प० ने सात फिल्मों का उत्पादन स्वयं किया है जिनमें कृषि उत्पादिता संबंधी एक फिल्म शामिल है और उनमें से कुछ देश की क्षेत्रीय भाषाओं में 'डब' कर दी गई हैं और देश के सिनेमाग्रहों में दिखाई गई हैं। सरकार के फिल्म डिवीजन ने अपने ग्राम प्रचार एककों के जरिए देहातों में इनमें से एक फिल्म प्रदर्शित भी की है।

4. कामारों, सुपरवाइजरों, उत्पादिता प्रशिक्षकों, तकनीशियनों, माध्यम और उच्च प्रबन्ध कार्मिकों के लाभ के लिए किताबों, पुस्तिकाओं, मनुअलों और शिक्षा-संबंधी अन्य सामग्री का उत्पादन और बिक्री करके इनमें तीन पत्रिकाएं शामिल हैं, जिनमें से एक हिन्दी में है।

5. उत्पादिता, परामर्शदाताओं, व्यवसाय-कार्यकारियों, अनुसंधान कर्त्ताओं, विद्यार्थियों आदि के लाभ के लिए पुस्तकालय, उत्पादिता प्रलेखन और सूचना सेवा का संचालन करके।

6. देश के अन्दर और देश के बाहर उत्पादिता अध्ययन दल प्रायोजित करके।

7. व्यावहारिक अनुसंधान परियोजनाओं के जरिए।

रा०उ०प० ने आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में जिन अन्य सेवा की व्यवस्था की है उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

1. कार्मिकों के विभिन्न स्तरों के लिए उत्पादिता पारबोध प्रशिक्षण, कार्यक्रम उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बानए गए अन्तः कम्पनी प्रयोग कार्यक्रम, औद्योगिक इन्जीनियरी में द्विवर्षीय व्यवहारीन्य प्रशिक्षर्ण कार्यक्रम, एक वर्ष का पर्यवेक्षी प्रशिक्षण जिसके पश्चात् पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र दिया जाता है, ट्रेड यूनियनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उत्पादिता कार्यक्रम 1959-60रा०उ०प० ने 3750 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें विभिन्न श्रेणियों के 69,000 व्यक्तियों ने भागलिया था। स्थानीय उत्पादिता परिषदों को प्रोत्साहित किया गया है जिससे वे न केवल प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीशियनों और श्रमिकों के संयुक्त दलो का ही प्रयोजन करें बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों में उत्पादिता तकनीकों के प्रयोग का अध्ययन करने के लिए पूर्णरुपेण कामारो के दलों को भी प्रायोजित करें। अब तक 26,00 से अधिक सदस्यों वाले 270 से ऊपर दलों का प्रायोजन किया जा चुका है।

2 उत्पादिता सर्वेक्षण और कार्यान्वियन सेवा केवल लघु उद्योगों के लिए उत्पादिता को बढ़ावा देने के हेतु उत्पादिता प्रकोष्ठ और ईंधन क्षमता संबंद्व इन्जीयरी और उत्पादन इंजीनियरी के क्षेत्रों में टेक्नोलाजी संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करना।

(ख) इस समय रा०उ०प० अर्थ-व्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात उद्योग जनोपयोगी और सार्वजनिक प्रशासन में उत्पादिता सेवा प्रदान करती है। इसका विचार पांचवीं योजना की अवधि में कृषि के क्षेत्र में फसल के बाद की समस्याओं तक अपने कार्यकलापों को बढ़ाने का है, जिसके लिए इसे तहसील/ताल्लुक स्तर तक अपना कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह भी विचार है कि विभिन्न केन्द्रों में और अधिक स्थानीय उत्पादिता परिषदों की स्थापना की जाए, जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके ताकि देश एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उत्पादिता के संदेश को पहुंचाया जा सके।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो

5016. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के कृत्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का काम लागत में कमी, औद्योगिक दक्षता में सुधार और औद्योगिक लागत के संबंध में कीमत लगाने की समस्याओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर सरकार को सलाह देना है।

कटिहार सब-डिवीजन में टेलीफोन से आय

5017. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार सब-डिवीजन में अप्रैल 1970 से टेलीफोन से होने वाली आय में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो आय में कितनी कमी हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) कटिहार सबडिवीजन में वर्ष-वार वसूल किया गया टेलीफोन राजस्व नीचे दिया गया है :—

वर्ष	वसूल किया गया राजस्व
1970-71	12,84,000 रुपये
1971-72	12,69,000 रुपये
1972-73 (फरवरी 1973 तक)	12,89,000 रुपये

हालांकि वर्ष 1971-72 के दौरान वसूली 15,000 रुपये कम हुई थी, लेकिन वर्ष 1972-73 में स्थिति में सुधार हो गया है।

(ग) वर्ष 1971-72 के दौरान वसूली में जो थोड़ी सी कमी आई थी इसका कोई खास कारण नहीं बताया जा सकता।

भारत और मिश्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग संबंधी करार

5018. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973-74 के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और मिश्र के बीच 2 फरवरी 1973 को नई दिल्ली में एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देश परम्परागत तथा गैर-परम्परागत साधनों से प्रोटीन के उत्पादन कीटनाशी औषधियों, चमड़ा रंगाई तथा खाद्य पदार्थों ि डिब्बा बन्दी के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में सहयोग करेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) जी हां ।

Doing away with English as Medium of answering questions in U.P.S.C. Examinations

5019. SHRI NARENDRA SINGH BISHT: **will the PRIME MINISTER be pleased to state:**

(a) whether Central Government propose to remove the compulsion of English in all the competitive examinations conducted by the Union Public Service Commission so that persons who have not studied English or have not received their education through the medium of English should also get opportunity of Government Service;

(b) if so, the time by which it is proposed to be done; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN DEPARTMENT OF PERSONNEL : (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (c) In the Resolution adopted by both Houses of Parliament in December, 1967 on the question of Official Language of the Union, following has, *inter alia* , been provided :-

"That all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the All India and Higher Central Services Examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing ."

Accordingly, a beginning in the use of regional languages was made in 1969 when candidates appearing at the Combined Competitive Examination for recruitment to the I.A.S. etc. were given the option to write their answers in two of the compulsory subjects— Essay and General Knowledge -in any of the languages mentioned in the Eighth Schedule

to the Constitution, besides English. The question of extending such option to more subjects is under consideration of the Union Public Service Commission in the light of the experience gained so far.

Further, Hindi has been permitted as an alternative medium besides English, for answering Essay and General Knowledge papers at the Assistants' Grade Examination conducted by the Union Public Service Commission since 1964. From 1971, candidates appearing in the Stenographers' Examination have also been permitted the option to write answers to the General Knowledge papers and to take shorthand test either in Hindi or in English.

Government as well as the Union Public Service Commission are anxious for the speedy implementation of the decisions embodied in the Official Languages Resolution with regard to the use of all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English as media for the All India and Higher Central Services Examinations. The preparatory work involved in the introduction of the various Indian languages as alternative media in the Commission's examinations is stupendous in volume and intricacy. All the same the Commission are proceeding with the preparatory work. However, it is not possible at present to indicate the time by which the decision about use of regional languages as media of examinations could be fully implemented.

Setting up of Match Box Factory in Hill District of U.P.

5020. SHRI NARENDRA SINGH BISHT : will the Minister Of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether the production of match-boxes in Uttar Pradesh is only 30 per cent of the consumption and the remaining 70 per cent is met by supply from other States ;

(b) whether Government propose to set up any match- box factory in the hill districts of Uttar pradesh where raw material for manufacturing match-box is available in abundance; and

(c) if so, the time by which the said factory would be set up ?

The MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECH NOLGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): **(a)to(c)** Date regarding production and consumption of Safety matches is not available on a State wise basis. There is no proposal for the Govt. of India to set up a match factory in U.P. Production of match boxes is reserved fo the small scale sector.

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

5021. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित निदेशक समिति ने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए बहुत से टास्क फोर्सिज की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उनके निदेश पद क्या हैं तथा उनके द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने की अन्तिम तिथि क्या है; और

(ग) क्या टास्क फोर्सिज ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग ने डाक्टर बी० एस० मिन्हास, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक निर्देशन समिति का गठन किया है । इस समिति के कहने पर निम्नलिखित अभियान दलों, कार्यकारी दलों का गठन किया गया है :—

(1) औद्योगिक विकास के लिए अभियान दल ।

(2) वन विकास तथा उपयोग के लिए कार्यकारी दल ।

(3) पर्यटन विकास के लिए कार्यकारी दल ।

(4) उत्तर-प्रदेश के पहाड़ी जिलों में चालू कार्यक्रमों तथा स्कीमों के मूल्यांकन के लिए कार्यकारी दल ।

(5) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में संगठनात्मक तथा प्रशासनिक परिवर्तन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कार्यकारी दल ।

(6) पहाड़ी क्षेत्रों में त्वरित भूमि संसाधन सर्वेक्षणों की सम्भावना का पता लगाने के लिए कार्यकारी दल ।

कार्यकारी दलों/अभियान दलों के विचारार्थ विषय विवरण में दर्शाये गए हैं ।

पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासनिक तंत्र के पुनर्गठन, चालू कार्यक्रमों के मूल्यांकन (पौड़ी गढ़वाल) तथा त्वरित भूमि-संसाधन सर्वेक्षण से संबंधित कार्यकारी दलों ने पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और राज्य सरकार ने इन पर कार्रवाई आरम्भ कर दी है । अन्य दलों की रिपोर्टों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये राज्यसरकार को दे दी जायेंगी ताकि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए पांचवीं योजना तयार करते समय इन क्षेत्रों के संबंध में समेकित दृष्टिकोण निर्धारित करने में संबंधित रिपोर्टों का उपयोग कर सके ।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से संबंधित निर्देशन समिति के कहने पर गठित कार्यकारी दलों/अभियान दलों के विचारार्थ विषय :—

1. **औद्योगिक विकास से संबंधित कार्यकारी दल** : (1) इन जिलों में वर्तमान उद्योगों की जांच-पड़ताल करना;

(2) औद्योगिक विकास के लिए इन जिलों में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों की जांच, तथा

(3) उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अगले पांच-दस वर्षों में इन जिलों में इन उद्योगों की स्थापना की सम्भावनाओं की जांच करना तथा उन स्थानों का अभिनिर्धारण करना जहां उद्योगों की स्थापना करनी है ।

2. **वन विकास तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यकारी दल** : (1) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न वन उत्पादों के क्षेत्र, मात्रा, कोटि तथा मूल्य का मोटा अनुमान लगाना;

(2) कतिपय मुख्य तथा गौण वन उत्पादों के आधार पर औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाना तथा जो उद्योग सुझाए गए हों उनके संबंध में आर्थिक अथवा परियोजना-रूपरेखा तैयार करना;

(3) कृषि, बागवानी, चरागाह विकास, वन भूमि, संरक्षण आदि से संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए उपाय सुझाना; तथा

(4) स्थानीय निकायों, पंचायतों, राजस्व विभागों तथा लोगों के पास जो वन भूमि है उसके रख-रखाव तथा विकास के लिए नीति संबंधी उपाय सुझाना।

3. **पर्यटन विकास संबंधी कार्यकारी दल** : (1) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन योग्य स्थानों का अभिनिर्धारण करना तथा उन विभिन्न प्रकार के पर्यटकों के वर्गों का अनुमान लगाना जिनके लिए पर्यटन-सुविधाओं की व्यवस्था करनी है ;

(2) पर्यटकों के विभिन्न वर्गों के लिए सुविधाओं के मानकों का निर्धारण करना ;

(3) प्रत्येक स्थान पर वर्तमान सुविधाओं तथा अवस्थापनाओं की जांच करना ;

(4) विभिन्न सेवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ;

(5) पांचवीं योजना अवधि में पर्यटन का विकास करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करना और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा भारत पर्यटन विकास निगम के उत्तर-दायित्वों को स्पष्ट करना; तथा

यह बतलाना कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन का आयोजन, विकास और विस्तार करने के लिए कैसे अध्ययन और सर्वेक्षण किए जायें।

4. **चालू कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए कार्यकारी दल** : पर्वतीय जिलों में चालू योजना स्कीमों को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की दृष्टि से मूल्यांकन करना और इन स्कीमों में संशोधन करना तथा संचालनात्मक प्राथमिकताओं में परिवर्तन सुझाना। ऐसा चालू कार्य-क्रमों के मुआयने के आधार पर उनका उसी स्थान पर मूल्यांकन करके किया जायेगा।

5. **आयोजन और विकास तंत्र का पुनर्गठन करने से संबंधित सरकारी दल** : (1) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन और उसे सुदृढ़ करने के लिए उचित सुझाव देना तथा व्यापक प्रशासनिक आशय तैयार करना ; तथा

(2) इस प्रकार के उपाय सुझाना जिससे प्रशासनिक तन्त्र को ऐसा बनाया जा सके कि वह निम्नलिखित कार्य कर सके :—

(क) सहायक स्रोतों तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षणों द्वारा सामाजिक आर्थिक सूचना एकत्र करना;

(ख) निर्दिष्ट समस्याओं के निदानात्मक अध्ययन करना;

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार करना;

(घ) एकीकृत संचालनात्मक योजनायें तैयार करना, जिनके द्वारा आंतरिक सुसंगत नीति के अनुरूप स्थानिक तथा क्षेत्रीय सम्पर्क स्पष्ट करे जायं ;

(ङ) कार्यक्रम कार्यान्वियन का अनुश्रवण और समीक्षा करना;

(च) मार्गदर्शी परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान और स्थानीय परीक्षणों की समस्याओं को निर्दिष्ट करना;

(छ) स्कीमों को वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना और जरूरतों की समीक्षा के आधार पर बजट व्यवस्थाओं का पुर्ननियतन करना।

6. **पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से भूमि उपयोग सर्वेक्षणों को बतलाने से सम्बन्धित कार्यकारी दल :** कुछ पर्वतीय जिलों में किए जाने वाले भूमि उपयोग सर्वेक्षण और ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण स्कीमों के एकीकरण के संबंध में विस्तृत ब्यौरे तैयार करना।

मनीआर्डर पाने वालों को भुगतान कर सकने योग्य रुपया न रखने वाले गढ़वाल के डाकघर

5022. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल के डाकघरों के पास गत कई महीनों से मनीआर्डर पाने वालों को भुगतान कर सकने योग्य रुपया नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मनीआर्डर पाने वालों के कष्टों को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : गढ़वाल के कुछ इलाकों में मनी-आर्डरों की समय से अदायगी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि मनीआर्डरों की अदायगी के लिए नकदी डाक हरकारों के जरिए भेजी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से ये हरकारे एक सीमा में ही रकम ले जाते हैं। नकदी ले जाने के लिए ज्यादा कर्मचारी तैनात कर के इन डाकघरों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और जहां कहीं उपलब्ध हों अच्छे मौसम में बस सेवाओं का भी लाभ उठाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली तथा नई दिल्ली के पचास डाकघरों को अपने कार्यालय वर्तमान स्थानों से हटाने का आदेश

5023. **श्री देवेंद्र सिंह गरचा :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **संचार** [मंत्री] यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली के रिहायशी मकानों में चल रहे 50 डाकघर बंद होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें अपने कार्यालय वर्तमान स्थानों से शीघ्र हटाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो जनता को असुविधा न हो, इसके लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) डी० डी० ए० कालोनियों में रिहायशी क्वार्टरों में अभी तक छह डाकघर खोले गए हैं। इनमें से डी० डी० ए० ने चार मामलों में एतराज उठाया है।

(ख) डी० डी० ए० से निवेदन किया गया है कि इन इलाकों में डाकघरों के लिए भूमि की व्यवस्था करे और जब तक विभागीय इमारतें तैयार नहीं हो जाती तब तक रिहायशी इमारतों में डाकघर चलाने की इजाजत दे।

Bangladesh Refugees Coming to India Clandestinely

5024. **Shri Jagdish Narain Mandal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) whether Government are aware of the day-to-day reports in the news-papers that many of the Bangladesh refugees came to India clandestinely and are living with their relatives; and

(b) if so, whether it has been left on the State Governments to make an enquiry in this regard or Government of India are also vigilant in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) : Attention in this connection is invited to the reply given to Lok Sabha Unstarred Question No. 5126 dated the 28th March, 1973. The Border Security Force and other concerned Central agencies also remain vigilant to prevent any unauthorised entry along the Indo-Bangladesh border.

विदेशी तम्बाकू और सिग्रेट उद्योगों द्वारा लाभ आदि बाहर भेजना

5025. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी तम्बाकू और सिग्रेट उद्योग द्वारा लाभ आदि बाहर भेजने के बारे में 29 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी तम्बाकू और सिग्रेट उद्योगों ने ट्रेड मार्क, साखा, अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का प्रयोग, तकनीकी जानकारी, तकनीकी शुल्क, रायल्टी, चालू लाभ, संचित लाभ, लाभांश, ब्याज तथा मुख्यालय एवं प्रशासनिक खर्च जैसे प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत कितना धन लाभ आदि के रूप में बाहर भेजा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मुख्यालय के व्यय, रायल्टी तथा तकनीकी जानकारी शुल्क से संबंधित कोई राशि बाहर नहीं भेजी गई थी। अन्य विभिन्न मदों में भेजी गई राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इण्डिया टुबैको कं० ने वे 'मुनाय' और 'ट्रेड मार्क्स' के 4.90 करोड़ रुपये के मूल्य के शेयर जारी किये हैं। इस कम्पनी द्वारा इन शेयरों पर, यदि कोई हैं दिये गये लाभांशों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Deportation of Underground Pakistani National From Maharashtra State

5026. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) the number of underground Pakistani nationals deported from the various districts in Maharashtra during the last three years; and

(b) the steps proposed to be taken by Government for the deportation of the remaining underground Pakistani Nationals ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Sixtynine such Pakistani Nationals were deported from Maharashtra State during the last three years.

(b) Special drives are undertaken to trace out underground Pakistani Nationals. Those traced out are detained or kept under restrictions. It will be possible to deport them when conditions get normalised.

Deportation of underground Pak Nationals from Bihar State

5027. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of underground Pakistani Nationals deported from the various Districts in Bihar during the last three years; and

(b) the steps proposed to be taken by Government for the deportation of the remaining underground Pakistani Nationals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The information being collected and will be laid on the table of the House.

अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह

5028. **श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने टापू हैं, इन सभी टापुओं में कुल कितनी जनसंख्या है तथा वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है;

(ख) क्या वहां के लिये मद्रास से नियमित स्टीमर सेवा है, और यदि हां, तो प्रति सप्ताह कितने स्टीमर चलते हैं, और

(ग) क्या वहां कोई पर्यटन स्थल है जिसका हमारे देश के अन्य भागों के लोग दौरा कर सकें तथा क्या इन टापुओं का दौरा करने के लिये विद्यार्थियों को कोई विशेष रियायत या सुविधा दी जाती है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डेमान, निकोबार द्वीप समूह में बड़े-छोटे दोनों प्रकार के टापुओं और चट्टानों की कुल संख्या (अस्थाई तौर पर) 585 है। 1971 की जनगणना के अनुसार इन टापुओं की कुल जनसंख्या 1,15,133 थी। इन टापुओं के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मत्स्य-पालन, निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाएं हैं।

(ख) इन टापुओं के लिए मद्रास से नियमित स्टीमर सेवा है और लगभग 20 दिन में एक बार इसकी फेरी लगती है।

(ग) इन टापुओं में अनेक स्थान ऐसे हैं जो शलानियों के देखने योग्य हैं और भारतीय नागरिक वहां जा सकते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सेलुलर जल, रोज टापू, हारीत पहाड़ी, कार्बियन का कोव-की-बेक, एनथ्रापोलाजिकल म्यूजियम, हॉर्टिकल्चरल गार्डन, मरीना पार्क, विपर टापू और चिड़िया टापू।

पोर्ट ब्लेयर तथा मुख्य भूमि के बीच चलने वाली नौकाओं और टापुओं की आन्तरिक नौकाओं द्वारा भी इन टापुओं में स्थित अपनी पाठशालाओं इत्यादि से अपने घरों को जाने वाले तथा वापस आने वाले छात्रों को छुट्टियों के दौरान संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त स्कूलों, कालेजों, खेल-कूद क्लबों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संगठित सभी पार्टियों जो पोर्टब्लेयर को अथवा वहां से यात्रा करती हैं और टापुओं के आन्तरिक जहाजों में भी यात्रा करती हैं आने-जाने की यात्राओं के लिए 50 प्रतिशत की छूट पाने के पात्र हैं। सामान्यतया यह छूट शायिका श्रेणी के स्थान तक सीमित है।

लक्षद्वीप समूह

5029. **श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, सभी द्वीपों की कुल जनसंख्या कितनी है और वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है ;

(ख) क्या त्रिवेन्द्रम से वहां के लिए नियमित स्टीमर सेवायें हैं और यदि हां, तो सप्ताह में कितनी,

(ग) क्या देश के अन्य भाग के लोगों के लिए वहां कोई पर्यटन स्थल हैं; और

(घ) क्या इन द्वीपों की यात्रा के लिए छात्रों को कोई विशेष रियायत या सुविधा दी जाती है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) लक्षदीव, मिनीकाय और अमिनदीवी द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 27 द्वीप (द्वीपिकाओं तथा चट्टानों समेत) है। 1971 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 31,810 है। मत्स्यपालन, नारियल की खेती, खोपरा बनाना और नारियल के रेशे बटना स्थानीय लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं।

(ख) त्रिवेन्द्रम से इन द्वीपों के लिए कोई स्टीमर सेवा नहीं है। किन्तु कोचीन/कालीकट से सप्ताह में लगभग एक बार नियमित स्टीमर सेवा चल रही है। हाल में ये सेवा यहां से महीने में दो बार मंगलौर के लिए भी शुरू की गई है।

(ग) सुन्दर समुद्रतालों से घिरे ये प्रवाल द्वीप पर्यटकों के लिए एक प्राकृतिक आकर्षण है। किन्तु इस समय इन द्वीपों में कोई विकसित पर्यटक स्थान नहीं है और पर्यटकों के ठहरने के लिए वहां कोई होटल अथवा अन्य सुविधायें नहीं हैं। इसके अतिरिक्त लक्षदीव, मिनीकाय तथा अमिनदीवी द्वीपसमूह (प्रवेश तथा आवास पर प्रतिबन्ध) नियम, 1967 के नियम 3 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के अधीन व अनुसार के अतिरिक्त कोई व्यक्ति, जो द्वीप समूह का निवासी नहीं है, द्वीपसमूह में प्रवेश अथवा वहां निवास अथवा प्रवेश करने अथवा निवास करने का प्रयत्न नहीं करेगा परन्तु उस नियम के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के मामले में कोई ऐसी अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

(घ) जिन छात्रों का मकान इन द्वीपों में है और मुख्य भूमि में अध्ययन करते हैं, तथा जिन छात्रों के मकान मुख्य भूमि में है और इन द्वीपों में अध्ययन करते हैं उनको अपनी शिक्षा संस्था के प्रधान से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छुट्टी के दौरान मुख्य भूमि द्वीप तथा अन्तर द्वीप रास्तों पर स्टीमर यात्राओं के लिए किराये में पचास प्रतिशत रियायत दी जाती है। इसके अतिरिक्त स्कूलों, कालेजों,

खेल-कूद क्लबों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी पार्टियों को जो इन द्वीपों के लिए और वहां से यात्रा करते हैं जाने और वापस आने की यात्राओं के लिए आधी दर पर रियायती यात्रा की अनुमति दी जाती है । साधारणतः यह सुविधा केवल बंक श्रेणी के आवास तक ही सीमित है ।

भूमि सुधारों को क्रियान्वित करना

5030. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भूमि सुधार क्रियान्वित करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं; यदि हां, तो वे बाधाएं क्या हैं ;

(ख) भूमि सुधार त्रियान्वित करने में विलम्ब न होने देने के लिए योजना आयोग ने क्या सुझाव दिये थे ;

(ग) क्या सरकार ने भूमि सुधारों की शीघ्र त्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी निरीक्षण समितियां नियुक्त करने पर विचार किया है जिसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल हों; यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) राज्यों में भूमि सुधारों को लागू करने में जो बाधाएं उत्पन्न हुई है वे इनसे संबंधित हैं :—भूमि सुधार को लागू करने में इससे लाभ पाने वाले व्यक्तियों द्वारा सहयोग न किया जाना, ठीक तथा अद्यतन अधिकार अभिलेखों का न होना, कानूनी बाधाएं, कानूनों में कमियां तथा तथा राजनीतिक संकल्प का अभाव । भारत सरकार ने, भूमि सुधारों के तेजी तथा कारगर कार्यान्वयन की आवश्यकता की ओर बार-बार राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया है। पांचवीं योजना (1974-79) के प्रति दृष्टिकोण में भूमि सुधार संबंधी उपायों पर, उच्च प्राथमिकता के रूप में बल दिया गया है । इस संबंध में आवश्यक कानून दिसम्बर 1973 तक बनाने तथा लागू करने का निश्चय किया गया है । 23 जुलाई, 1972 को हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में लिए गये निर्णयों के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यह कहा गया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त स्तरों पर गैर सरकारी संगठनों का गठन करना चाहिए तथा उच्चतम सीमा संबंधी कानून का संचालन करने के लिए सक्षम सरकारी संगठनों की स्थापना करनी चाहिये ।

Number of applications for Telephone connections in Rajasthan

5032. **Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications for telephone connections pending in Rajasthan at present;

(b) the reasons for not installing the telephones applied for; and

(c) whether Government propose to instal all the telephones applied for during the current Five Year Plan period ?

The Minister of communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 3795

(b) Due to limited financial and physical resources it is not possible to meet all the demands.

(c) No.

Inadequate space at Telephone Exchange and Post Office at Boron, District Kotah

5033. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the space in the Telephone Exchange and Post Office at Boron in the Kotah District is so inadequate that the public is put to inconvenience;.

(b) whether land has been acquired for the construction of a new building for the Post Office; and

(c) if so, the difficulties experienced by Government in constructing a building thereon ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) The Post Office is slightly congested but the space is not so inadequate as to put the public to inconvenience. As regards Telephone Exchange, there is no shortage of accommodation.

(b) Land has not been acquired so far. However, a case for purchase of the present Post Office building with a view to putting up extensions thereto has been taken up with the State PWD.

(c) Does not arise.

Telephone Exchanges and Post Offices in rented buildings in Rajasthan

5034. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Telephone Exchanges and Post Offices functioning in rented buildings in Rajasthan; and

(b) the amount of the annual rent paid therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :

(a) (i) Telephone Exchanges　　160
(ii) Post Offices　　888

(b) (i) Rs. 1,79,434. 00
(ii) Rs. 5,51,212.00

Manufacture of All Types of Telephone Equipment Indigenously

5035 : Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether in view of the demand for telephone connections in the country Government propose to set up an industry for manufacture of all types of telephone equipment indigenously in order to meet the entire requirement of the country; and

(b) the names of the countries from which various types of telephone equipment are being imported at present ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Telecommunication equipment and stores are already being manufactured in the existing public sector undertakings, to a considerable extent. However, indigenous production is not yet sufficient to meet the entire requirements of the country. Besides expanding the production capacity of the existing factories, new units are being set up to meet the demands to the extent possible.

(b) Canada, Hungary, Japan, United Kingdom, West Germany and Holland.

गुजरात में योजना बोर्ड

5036. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में योजना बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ग) क्या पांचवीं योजना के दौरान राज्य में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के निर्माण में यह बोर्ड राज्य सरकार और संघ योजना आयोग को सहायता देगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर आयोजना बोर्डों का गठन करने की सलाह दी है तथा आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए हैं। योजना आयोग, इस दिशा में राज्य द्वारा की गई कार्रवाई का स्वागत करेगा ।

(ग) आयोजना बोर्ड को जो-जो कार्य सौंपे जाने हैं, उन पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम केन्द्र

5037. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम कर रहे ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन केन्द्रों को क्या काम सौंपे गए हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों को कितनी सफलता मिली है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अन्सारी) : (क) 54 केन्द्र हैं।

(ख) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय उपलब्ध साधन स्रोतों पर आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से भिन्न रोजगार बढ़ाकर रोज़गार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना है । संभावी उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है । थोड़े से प्रभारों द्वारा अन्य विभिन्न कार्यों जैसे प्रशिक्षण तथा सेवा सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है ।

(ग) इस कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित उपलब्धियां हुईं :—

संकेतक	निम्नतिथि तक हुई प्रगति		वृद्धि दर का प्रतिशत
	मार्च 1970	मार्च 1971	
1. उन औद्योगिक एककों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई (इकट्ठी)	28,641	30,171	5.4
2. निवेश (इकट्ठी) (करोड़ रुपये में) .	16.68	18.58	11.3
3. उत्पादों का संकल मूल्य (करोड़ रुपये में)	21.74 (वर्ष 69-70 में)	26.41 (वर्ष 70-71 में)	23.9
4. उत्पन्न रोजगार अवसर (व्यक्ति इकट्ठा) .	1,16,500	1,33,343	14.6
5. उत्पादन की सुधरी तकनीकों में प्रशिक्षित व्यक्ति (इकट्ठा) .	35,325	39,575	12.0

छोटे औद्योगिक एककों के लिए कच्चे माल संबंधी प्रचार-व्यवस्था

5038. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में छोटे औद्योगिक एककों को विभिन्न प्रकार का जो कच्चा माल उपलब्ध कराया जायगा उसकी किस्म और मात्रा के प्रचार के लिए क्या व्यवस्था विद्यमान है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : हर वित्त वर्ष में मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात द्वारा प्रकाशित रेड बुक म आयातित कच्ची सामग्री के विषय में नीति और प्रक्रिया का ब्यौरा दिया जाता है । देशी कच्चे माल के बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उद्योगों के निदेशकों और लघु उद्योग औद्योगिक निगम को आवंटित इस्पात और अलौह धातुओं की दुर्लभ वस्तुओं की सूचना अन्य के साथ-साथ फडरेशन ऑफ एसोसियेशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इण्डिया को भी दी जाती है ।

लघु उद्योगों की स्थापना के लिए मार्ग-दर्शन करने वाले संस्थान

5039. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) उन संस्थानों या केन्द्रों की संख्या कितनी है जिन्हें देश में लघु उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में की गई पूछताछ की जानकारी देने तथा मार्ग-दर्शन करने का कार्य सौंपा गया है, और

(ख) उनके बीच इस समय किस प्रकार का समन्वय है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) समस्त देश में लघु उद्योग स्थापित करने के संबंध में पूछताछ और मार्गदर्शन हेतु शीर्षस्थानीय प्रमुख संगठन लघु उद्योग विकास संगठन है जिसके अधीन 16 लघु उद्योग सेवा संस्थान, 6 शाखा संस्थान, 58 विस्तार केन्द्र और उत्पादन केन्द्र हैं। 9 शाखा संस्थानों के लिए और मंजूरी दी गई है जो शीघ्र ही कार्य करने लगेंगे । राज्य सरकारों के मुख्यालयों (हेडक्वार्टरों) में लघु उद्योग सेवा संस्थान स्थित हैं तथा उन क्षेत्रों में जहां

औद्योगिक एककों का जमाव है, विस्तार केन्द्र तथा शाखा संस्थान स्थित हैं। लघु उद्योग विकास संगठन के अलावा, अन्य अनेक संगठन भी हैं जो लघु उद्योग एककों का मार्गदर्शन करते हैं जैसे :—

1. कुछ राज्यों में राज्य निदेशक (उद्योग)।

2. फेडरेशन ऑफ एसोसियेशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परामर्शदायी ब्युरो।

3. भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा स्थापित उद्यम मार्गदर्शी ब्यूरो।

4. राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् सलाहकारी सेवायें।

5. राज्य वित्त निगमों, लघु उद्योग विकास निगमों तथा केरल, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के संबंधित प्रमुख बैंकों के सहयोग से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित परामर्शदायी सेवायें।

6. केरल इंडस्ट्रियल एण्ड टैक्नीकल कन्सल्टेन्सी आरगानाइजेशन।

7. राज्य वित्त निगम।

(ख) लघु उद्योग विकास संगठन भारत व्यापी आधार पर लघु उद्योगों के विकास कार्य का निम्नलिखित कार्य करके समन्वय करता है :—

(1) लघु उद्योगों के विकास हेतु अखिल भारतीय नीति और कार्यक्रम बनाकर;

(2) विभिन्न राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय करके;

(3) विभिन्न राज्य सरकारों साथ ही केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि तथा राज्यों के बीच संपर्क के रूप में।

(4) बड़े और लघु उद्योगों के विकास में समन्वय करके;

(5) समस्त देश में औद्योगिक बस्तियों और सहायक उद्योग के विकास के कार्यक्रमों में समन्वय करके; तथा

(6) पिछड़े क्षेत्रों, संवर्धन केन्द्रों (ग्रोथ सेन्टरों) आदि के विकास हेतु नीतियां बनाने में राज्य सरकारों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करके।

Power of a member of Delhi Telephone Advisory Committee to sanction Telephones

5040. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of members of the Telephone Advisory Committee in Delhi; and

(b) the number of telephones which can be sanctioned by a member of the Committee ?

The Minister of Communications (Shri Shri H. N. Bahuguna) : (a) A list showing the names of members of Delhi Telephone Advisory Committee is attached. (Placed in Library See No. LT 4641/73)

(b) A member of the T.A.C. cannot sanction a connection. Priorities for telephone connections to be sanctioned under 'Special' category up to the extent of half the number of connections available for release in that category are however, allotted as per recommendations of this Committee. The General Manager, Telephones may also sanction on out of turn basis any OYT connection which may be recommended by T.A.C. as such.

Arrest of a Pakistani Spy at Meerut U.P.

5041. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Pakistani spy was caught at Meerut;

(b) whether a Central Minister and two Members of Parliament have written letters to the Minister of State in the Ministry of Home Affairs recommending his release; and

(c) if so, whether Government propose to lay a copy each of those letters on the Table of the Sabha ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir. However, one Shri Mehtab Alam Khan who had come to India from East Pakistan in April, 1971, and who had been registered as a foreigner under the provisions of the Foreigners Act, 1946, was arrested in Meerut on the 25th February, 1973 for alleged violation of certain restrictions that had been imposed on his movements. Government have no information that Shri Khan is involved in any espionage on behalf of Pakistan.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise

क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना

5042. **श्री वरके जार्ज :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने और जिलावार योजना बनाने के लिए सशक्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। कुछ संसद् सदस्यों ने अखिल भारतीय पिछड़े जिलों पर संगोष्ठी की प्रारंभिक समिति की ओर से एक ज्ञापन दिया था।

(ख) ज्ञापन में दिए गए सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रयास किए हैं जिनकी सूची विवरण में दी गई है।

5 LSS/73—7

विवरण

क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए किए गए प्रयास

1. चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन करते समय विशेष समस्याओं वाले राज्य असम, नागालैण्ड और जम्मू व कश्मीर की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करने के बाद केन्द्रीय सहायता के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध राशि का 10 प्रतिशत बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन छह राज्यों में, जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम थी, वितरित किया गया है;

2. नौ राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) के संसाधनों के लिए गैर योजना अन्तराल की अनुमानित राशि 795.23 करोड़ रुपये थी, इसकी पूर्ति केन्द्र द्वारा की जा रही है जिससे ये राज्य चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने द्वारा जुटाए गए सभी अतिरिक्त संसाधनों को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करने में प्रयुक्त कर सकें;

3. पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की एक उदारनीति विकसित की गई है। संबंधित प्रत्येक राज्य के विकास कार्यक्रम पर किया जाने वाला पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, पर यह व्यय उस राज्य के लिए निर्धारित कुल केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत होना चाहिए। मेघालय, असम, नागालैण्ड, जम्मू और कश्मीर (लद्दाख) तथा हिमाचल प्रदेश (लाहौल, स्पिती और किन्नौर जिलों में) इस मद पर किए गए व्यय का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है और 10 प्रतिशत को ऋण माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों, दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल) और नीलगिरि (तमिलनाडु) में केन्द्रीय सहायता का स्वरूप 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण है।

4. सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के कारण सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए धन की पूरी व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है। उनके गैर योजना व्यय में आई हुए कमी की पूर्ति भी केन्द्र द्वारा की जाती है;

5. आन्ध्र प्रदेश सरकार को 45 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी जा रही है जिससे 31-3-74 को समाप्त होने वाली अवधि में वह यह राशि तैलंगाना क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पर खर्च कर सके; यह राशि उस क्षेत्र के लिए किए गए योजना परिव्यय के अतिरिक्त होगी;

6. पुनर्वास विभाग के तत्वाधान में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 50 करोड़ रुपये की लागत का एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

7. असमानताओं को दूर करने के लिए प्रमुख उपाय पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति तेज कर रहे हैं। जिन जिलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें पांडे तथा वान्चू समिति की रिपोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के आधार पर राज्य सरकारों की सहायता से निर्धारित तथा घोषित कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र में लगाए जा रहे बड़े पैमाने पर उद्योग परि-

योजनाओं के लिए प्राथमिकता दी जा रही है बशर्ते तकनीकी-आर्थिक आधार पर इनके लगाए जाने की संभावना पाई जाये। लाइसेंस देने वाली समिति भी पिछड़े क्षेत्रों के आवेदनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है;

8. चौथी योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 484 आदिम जाति विकास खण्डों और 20 उप-खण्डों के लिए 32,50 करोड़ रुपये नियत कर दिए गए हैं;

9. पिछड़े राज्यों के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया जा चुका है। उड़ीसा के पिछड़े जिले अर्थात् काला हांडी, बोलन्दगिरी एवं फूलबानी, पंजाद के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की प्रागैतिहासिक आदिम जातियों का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। एक अध्ययन टोली ने आदिम जाति क्षेत्र के विकास कार्यक्रम का सर्वेक्षण किया है। एक केन्द्रीय टोली ने आन्ध्र प्रदेश में आदिम जाति के लोगों का भी अध्ययन किया है।

10. कुछ राज्यों में जिला योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिनके फलस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता चल जायेगा तथा इन समस्याओं को हल करने के लिए उपाय निकालने में सहायता मिलेगी ।

11. उत्तर प्रदेश में एक पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन किया जा चुका है पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों तथा बुन्देलखण्ड के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना कर दी गई है।

12. तेलंगाना में विकास के कार्यक्रमों को तेज करने के लिए एक तेलंगाना विकास समिति तथा योजना क्रियान्वित समिति का गठन किया जा चुका है।

13. वित्तीय तथा ऋण संस्थान से नये उद्योगों के लिए रियायती वित्त के लिए सारे देश में 227 औद्योगिक पिछड़े हुए जिले चुने गये हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में पिछड़े हुए राज्यों (अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, विहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश) में से प्रत्येक राज्य में छः चुने हुए जिलों तथा शेष राज्यों में से प्रत्येक में तीन चुने हुए जिलों में केन्द्रीय सरकार ऐसी नई इकाईयां जिनमें प्रत्येक का स्थिर पूंजी निवश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं, तथा ऐसी मौजूदा इकाइयों जो पर्याप्त मात्रा में विस्तार करने का आश्वासन देती हैं, को एकदम सीधा अनुदान अथवा आर्थिक सहायता दे रही है जो उनकी स्थिर पूंजी के 1/10 के बराबर होता है। 50 लाख रुपये से अधिक के स्थायी निवेश वाले एकक भी 5 लाख रुपये तक की सहायता पाने के पात्र होंगे।

14. सीमा क्षेत्रों में, सीमा मार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी पूंजी लगाई जा रही है।

15. ग्रामीण जनसंख्या के आर्थिक रूप से गिरे हुए लोगों के लाभ के लिए तथा सूखे और बंजर क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर विशेष कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। इन विशेष कार्यक्रमों का अनुमोदन तथा क्रियान्वित एक केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्देशन में की जा रही है जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के एक सदस्य हैं। अपर सचिव के स्तर के एक अधिकारी इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। 46 लघु कृषक विकास अभिकर्ता परियोजनायें, उपसीमा तक कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लिए 41 परियोजनायें तथा सूखा क्षेत्र में कृषकों के लिए 24 परियोजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं। 54

निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यो के एकीकृत कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

16. 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था के साथ ग्रामीण बेरोजगारी के लिए एक तूफानी योजना (क्रैश स्कीम) आरम्भ की गई है।

17. अभी हाल ही में एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है जो कि पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राज्य विद्युत बोर्ड की रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता दे रहा है।

18. केन्द्र ने राज्यों में आयोजना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता की एक स्कीम आरम्भ की है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य, इस सम्बन्ध में किए गए अतिरिक्त व्यय में से दो-तिहाई वापिस लेने के हकदार हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस तन्त्र की स्थापना से आयोजना प्रक्रिया तथा इसके कार्यान्वयन को और अच्छा बनाने में सहायता मिलेगी, जो कि पिछड़े राज्यों के लिए विशेषरूप से लाभदायक होगी।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद

5043. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा विवाद का समाधान करने के लिए वर्ष 1972-73 में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की उदासीनता का अर्थ लोग यह समझने लगे हैं कि अन्तर्राज्यीय विवाद और राज्य के अन्दर के विवाद केवल हिंसात्मक आन्दोलन और कानून का उल्लंघन करके ही हल किए जा सकते हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) तथा (ख) सरकार इस विवाद के सौहार्दपूर्ण हल ढूंढ़ने की आवश्यकता के प्रति सजग है और 1972-73 वर्ष में कोई आपसी समस्त हल निकालने की दिशा में भी अपने प्रयत्न जारी रखे हैं। इस धारणा के लिए कोई औचित्य नहीं है कि केन्द्र सरकार इस मामले में कोई उदासीनता दिखा रही है। दोनों राज्यों के बड़े क्षेत्र पिछले कुछ महीनों से सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं और सरकार आशा करती है कि लोग इस बात को समझेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मुख्य मंत्रियों और राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। हालांकि सीमा निर्धारण के प्रश्न का हल ढूंढने में कुछ विलम्ब हो सकता है।

केन्द्रीय सरकार में राज्यों से प्रतिनियुक्ति भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

5044. **श्री शंकरराव सावंत :**
श्री धामनकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों के अधिकारियों की संख्या कुछ कम है; और

(ग) यदि हां, तो असन्तुलन दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) केन्द्रीय सरकार के पदों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का, राज्यवार, ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1-3-1973 की स्थिति)

राज्य	केन्द्र में कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	45
असम तथा मेघालय	22
बिहार	47
गुजरात	34
हरियाणा	15
हिमाचल प्रदेश	8
जम्मू एवं कश्मीर	5
केरल	14
मध्य प्रदेश	39
महाराष्ट्र	35
मैसूर	21
नागालैण्ड	1
उड़ीसा	34
पंजाब	18
राजस्थान	30
तमिलनाडु	27
संघ राज्य क्षेत्र	12
मणिपुर तथा त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	83
पश्चिम बंगाल	32

(ख) उपरोक्त दी गई स्थिति स्थायी नहीं है, किन्तु जैसे ही भारत सरकार की सेवा में नियुक्तियों पर अधिकारी आते ही रहें या अपनी सेवावधि/नियोजनों की समाप्ति पर अपने संबंधित राज्यों को वापिस लौटते रहें, उसी प्रकार से स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। यह सच है कि कुछ राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व मिलता रहा है।

(ग) विभिन्न राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारियों की स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है। भारत सरकार के पदों में जन-प्रबन्ध के लिए प्रत्येक राज्य की संवर्ग स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अधिकारियों को प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाते हैं।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ ग्रेड में पदोन्नत करने के लिए चयन सूची में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों को शामिल करना

5045. **श्री अम्बेश : क्या प्रधान मंत्री** भारतीय सांख्यिकीय सेवा, चतुर्थ ग्रेड की प्रथम सूची में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों के नामों को शामिल करने के बारे में 24 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7356 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांख्यिकीय विभाग के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के दो वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ ग्रेड में पदोन्नति संबंधी प्रथम चयन सूची में सम्मिलित करने का मामला, जिस पर कार्मिक विभाग गत तीन वर्षों से विचार कर रहा था, अब भी उनके पास अनिर्णीत पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जातियों के दो वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों को भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ ग्रेड में पदोन्नति सम्बन्धी प्रथम चयन सूची में सम्मिलित करने के मामले को अंतिम रूप दिया जा चुका है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन दो अधिकारियों में से एक को नियमित पदोन्नति देने के लिए अनुमोदित किया गया है और उस सेवा के चतुर्थ ग्रेड में नियुक्त किया गया है। दूसरे अधिकारी को चतुर्थ ग्रेड के पदों में अल्पावधि के आधार पर नियुक्त करने के लिए अनुमोदित किया जा चुका है और उसे चतुर्थ ग्रेड के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त भी किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार और ऊड़ीसा में भारतीय सर्वेक्षण संख्या के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

श्री गिरिधर गोमांगो : श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1972-73 और 1973-74 के दौरान भारतीय सर्वेक्षण संख्या को, बिहार और उड़ीसा में प्राथमिकता कार्य आरंभ करने के लिये, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त धनराशि देना स्वीकार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार राज्य, सर्वेक्षण कर्मचारियों के लिये कार्यालय आदि स्थापित करने में मदद देने को राजी हो गया है, और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार कर्मचारियों के आवास के लिये भूमि आवंटन करने तथा अन्य सहायता भी देने को राजी हो गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी सब्रमण्यम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बिहार और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में नये कार्यालय तथा एककों के स्थल के लिए सभी संभव सहायता और सहयोग देना स्वीकार किया है।

जनसाधारण के शिक्षण के लिए उपग्रह संचार अवस्थ

5047 **श्री गिरिधर गौमांगो**
श्री रामेशेखर प्रसाद सिंह

क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उपग्रहों का उपयोग किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि जनसाधारण के शिक्षण तथा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अन्तरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह संचार के क्षेत्र में हर संभव प्रयास किए जाने चाहिये;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के निदेशक ने बताया है कि बड़े पैमाने पर समस्त राष्ट्र में टेलीविजन सैट लगाने के विकास के हर क्षेत्र में सहायता मिल सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वैज्ञानिकों का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परमाणु ऊर्जा मंत्री ईलैक्ट्रानिक्स मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) जी, हां। अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह संचार को राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में—जिनमें जनसाधारण को शिक्षा देना तथा सामाजिक परिवर्तन लाना भी शामिल है, उपयोग में लाने की आवश्यकता के संबंध में वैज्ञानिकों एवं अन्यों द्वारा सुझाव दिया गया है।

(घ) "उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन परीक्षण' नामक एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें दूरदर्शन प्रसारण के लिए उपग्रहों का प्रयोग करने हेतु वर्ष 1975-76 में परीक्षण प्रारम्भ किया जायेगा। इसके पश्चात् समस्त राष्ट्र में टेलीविजन सैट लगाने की परियोजना बनाई जायेगी जिसमें उपग्रह दूरदर्शन का कार्यक्रम भी सम्मिलित होगा। ऐसे टेलीविजन सैट लगाने से जन साधारण को शिक्षण देने और सामाजिक परिवर्तन लाने के संबंध में सुन्दर परिणाम निकलने की आशा है। संचार, भूमि-संसाधनों का सर्वेक्षण करने, मौसम-विज्ञान, भू-मापन, नौपरिवहन आदि सहित विकास के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी अंतरिक्ष अनुसंधान का उपयोग करने तथा अंतरिक्ष संबंधी अन्य लाभ उठाने की योजना बनाई गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

10 वर्ष सेवा-काल वाले अस्थायी स्टाफ आर्टिस्ट

5048. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई स्टाफ आर्टिस्ट, जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक सेवा-काल पूरा कर लिया है, अभी तक नैमित्तिक अथवा अस्थायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सेवाओं को नियमित करने और उनके पदों को स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नैमत्तिक संविदा पर लगातार दस वर्ष से अधिक सेवा में हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शॉ वैलेस, कलकत्ता को अपने नियंत्रण में लेना

5049. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या कुछ संगठनों ने शां वेलेस, कलकत्ता के सरकारीकरण का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमयम) : (क) और (ख): मै० शां वेलेस एण्ड कंपनी कलकत्ता के शेयरों के लेन-देन तथा प्रबन्ध में अनियमितता के अभिकथन संबंधी अभ्यावेदन सरकार को मिला था। सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई थी हस्तक्षेप के उपायों में से एक उपाय कंपनी का प्रबंध सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने संबंधी था।

इस मामले की भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। कंपनी-कार्य विभाग ने 18-12-1972 को कंपनी अधिनियम की धारा 250(4) के अधीन यह आदेश जारी किया है कि तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रमुख अनिवासी अंशधारिता का किसी प्रकार का हस्तांतरण रद्द करार दिया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़ा मिलों में अंशधारियों को मुआवजा दिया जाना

5050 **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों के अंशधारियों को मुआवजा देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या औचित्य है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 और सूती वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन संकटग्रस्त सूती वस्त्र मिलों का प्रबन्ध ही केवल अपने हाथ में लिया है।

इस उपक्रमों का अधिग्रहण अभी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इसलिये इस समय इन उपक्रमों के अंशधारियों को मुआवजे के भुगतान का प्रश्न ही नहीं होता।

औद्योगिक अवशिष्ट का प्रयोग

5051. क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "मैटीरियल साइन्स एण्ड टैक्नोलोजी" पर हुई गोष्ठी में सामग्री तथा औद्योगिक अवशिष्ट के अधिकतम उपयोग के लिये एक केन्द्रीय निकाय स्थापित करने की सिफारिश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार सिफारिश पर, जब कि उसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाय, विचार करेगी।

Prosecution launched under the Prevention of Untouchability (Offences) Act

5052. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the State-wise number of the prosecutions launched under the Prevention of Untouchability (Offences) Act during 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Conversions to Christianity in District Sarguja

5053. **Shri Dhan Shah Pradhan :**

Shri Lalji Bhai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether 85 Adivasis of Latori village under Lakhanpur Police Station of Sarguja district were converted to Christianity on the allurement of bread and money as reported in the 'Nav Bharat Times' dated the 20th February, 1973; and

(b) the action proposed to be taken by Government against the persons who proselytise the innocent and helpless Adivasis by giving them allurements and check such conversions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) Government have seen the relevant news-item published in the 'Nav Bharat Times' dated the 20th February, 1973. Facts are being as ascertained from the State Government.

Incentive to Small Industries

5054. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) where any scheme to provide new incentives to small industries has been formulated, State-wise; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) Several incentives are being given for promotion of small scale industries; no new incentives are immediately under consideration at present.

(b) Does not arise.

इण्डियन ग्राक्सीजन लिमिटेड द्वारा लाभ आदि बाहर भेजना

5055. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान इण्डियन ग्राक्सीजन लिमिटेड ने वार्षिक लाभ, रायल्टी सेवा-शुल्क और तकनीकी परामर्श शुल्क के रूप में कितना धन बाहर भेजा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

	1969-70 (लाख रु० में)	1970-71 (लाख रु० में)
लाभांश .	55.03	कुछ नहीं
तकनीकी जानकारी	14.35	कुछ नहीं
रायल्टी	कुछ नहीं	कुछ नहीं

दिल्ली टेलोफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलोफोन मैकेनिकों के रिक्त पद

5056. **श्री पन्नालाल बारुपाल :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन्स डिस्ट्रिक्ट में इस समय काम कर रहे टेलीफोन मैकेनिकों तथा रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) दिल्ली सर्किल से तीन वर्ष अथवा उस से अधिक की अवधि के लिये टी० एण्ड डी० सिर्कल में प्रतिनियुक्ति पर गए टेलीफोन मैकेनिकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनमें से कितने मैकेनिकों को उन के मूल दिल्ली सर्किल में स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) (i) काम कर रहे मैकेनिकों की संख्या 718।

(ii) रिक्त पदों की संख्या 164।

(ख) 12 टेलीफोन मैकेनिक प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन अब 4 टेलीफोन मैकेनिक प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ग) 8 मैकेनिक।

आगरा जिले की बाह तहसील में तारघर

5057. **श्री पन्नालाल बारूपाल** :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा जिले की बाह तहसील में तार घरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बाह तहसील के तारघर में काम का अधिक भार है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाह और जसवन्त नगर के बीच वाया जैतपुर कला चित्राहाट और कचौराघाट होते हुए तार लाईन बनाने और जैतपुर कला, चित्राहाट और कचौराघाट में तार घर खोलने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) आगरा जिले की बाह तहसील में दो तारघर हैं।

(ख) जी नहीं। बाह के तारघर में काम बहुत ज्याद नहीं है।

(ग) और (घ) : बाह और जसवंत नगर के बीच वाया जैतपुर कलां, चित्राहाट और कचौराघाट तार लाइन खड़ी करने और जैतपुर कलां, चित्राहाट और कचौराघाट में तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं आई है।

उत्तर प्रदेश में उप डाक-घर तथा शाखा डाक-घर

5058. **श्री पन्नालाल बारूपाल** :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार उप-डाकघरों तथा शाखा डाकघरों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) वित्तीय वर्ष 1973-74 में उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितने उप डाकघर तथा शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) आगरा जिले के बाह तहसील में कितने नए डाकघर तथा शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) नए शाखा डाकघर अथवा उप डाकघर खोलने की कसौटी क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) यह सूचना अनुबन्ध 'क' में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4642/73]

(ग) नए डाकघर खोलने का लक्ष्य तहसील वार निर्धारित नहीं किया जाता है। इसलिए आगरा जिले की बाह तहसील में 1973-74 के दौरान उप और शाखा डाकघरों का खोला जाना डाक तार विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले विशेष प्रस्तावों की जांच पर निर्भर करेगा।

(घ) नए डाकघर खोलने के बारे में सामान्य शर्तें अनुबन्ध 'ख' में बताई गई हैं।

आगरा में रेडियो स्टेशन और टेलिविजन केन्द्र

5059. **श्री पन्ना लाल बारूपाल :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आगरा में एक रेडियो स्टेशन और टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए स्थान चुनने के विचार से वर्ष 1973-74 में कोई सर्वेक्षण किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना में रेडियो तथा टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

Take over of Small Sick Industries

5060. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state whether Government propose to take over the small sick industries by paying them compensation like the large scale industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : No, Sir.

Government Advertisements to Newspapers Propagating Communalism

5061. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to give advertisements for publication in newspapers which propagate communalism; and

(b) if so, the names of the newspapers which propagate communalism and to whom Government stopped giving advertisements during 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) : It is the policy of Government to withhold advertisements from newspapers and periodicals which indulge in virulent and persistent propaganda inciting communal passions. During 1972-73, Government have not stopped giving the advertisements on this ground to any newspaper which was already being used by the Directorate of Advertising and Visual Publicity for Central Government advertisements.

Patna P. & T. Employees without Government Accommodation

5062. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of P&T employees working at Patna;

(b) whether Government accommodation has not been provided to them; if so, the number of employees to whom Government accommodation has not been provided ;

(c) whether Government have formulated any scheme for constructing quarters for them; and

(d) if so, the road outlines thereof ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) 2998 employees.

(b) 382 employees have been provided with Govt. accommodation so far. 2116 employees have yet to be provided with Govt. accommodation.

(c) Yes.

(d) 60 quarters have been sanctioned for construction on 28-12-72 and another 294 quarters have been approved for construction. It is likely that these may be ready by 1975.

आनन्दमूर्ति को विष देने का कथित प्रयास

5065. **श्री राम भगत पस्वान :**

श्री एम०एम० जोजफ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आनन्दमूर्ति के अनुयायियों द्वारा की गई शिकायतों की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें जेल में विष देने का कथित प्रयास किया गया है जैसा कि दिनांक 27 फरवरी, 1973 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार छपा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने संबंधित समाचार देखा है ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, श्री पी० आर० सरकार उर्फ आनन्द मूर्ति को जहर देने का आरोप नितान्त झूठा है। श्री सरकार की, जिसने 12-2-1973 को कुछ तकलीफ की शिकायत की थी, कई एक प्रमुख फिजीशियनों द्वारा जांच की गई थी, किन्तु तथाकथित जहर दिये जाने के कोई संकेत नहीं पाये गये। राज्य सरकार ने भी श्री सरकार के स्वास्थ्य की पूरी जांच के लिये विशेषज्ञों के एक बोर्ड का गठन किया था किन्तु उसने बोर्ड के सामने आने से इन्कार कर दिया है।

Agreements with developed countries for advancement in space Science

5066. **Shri K. M. Madukar :** Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) whether Government has sought the cooperation of developed countries for the advancement of Space Science in the country;

(b) whether Government have arrived at any agreement in this regard with certain countries ; and

(c) if so, the names of those countries and the progress made in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : India has collaborative programmes in the area of space research with Federal Republic of Germany, France, Japan, U.K., U.S.A. and U.S.S.R. Agreements have been signed with these countries. Details of the progress made in this regard are contained in the annual reports of the Department of Atomic Energy.

Cases of Human Sacrifice in States

5067. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the places, Statewise in India where human sacrifices were offered during the year 1971-72; and

(b) the action taken against the guilty persons ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) According to the available information received from the State Govenments and the Union Territory Administrations, four cases of alleged human sacrifices took place in 1971 and seven cases in 1972 (upto October). The information, Statewise, is given in the attached statement. [Placed in Library see No. LT 4643/73]

इलैक्ट्रोनिक्स के सामानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पांच-सूत्री कार्यक्रम

5068. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स आयोग इलैक्ट्रोनिक्स के सामान के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पांच-सूत्री कार्यक्रम बना रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) तथा (ख) देश में आत्म-निर्भरता की बढ़ती हुई मात्रा को प्राप्त करने के साथ-साथ इलैक्ट्रानिक्स उत्पादन की वृद्धि हेतु जो कुछ उपाय किये जाने की आशा है वे इलैक्ट्रानिक्स आयोग (इलैक्ट्रानिक्स विभाग) द्वारा किये जा चुके हैं :—

(1) पंच वर्षीय योजना के लिये दूर-संचार तथा इलैक्ट्रानिक्स उद्योग पर एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु इलैक्ट्रानिक्स कमीशन ने एक कृतिक बल की स्थापना की है जिसमें इलैक्ट्रानिक्स कमीशन के अध्यक्ष ही इसके भी अध्यक्ष होंगे। विभिन्न क्षेत्रों के अवलोकनार्थ-कृतिक बल ने सात कार्य-ग्रुप स्थापित किये हैं। कार्य-ग्रुप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कृतिक-बल ने विचार विमर्श किया है और योजना आयोग को एक अंतरिम रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है। कृतिम-बल की अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार हो जायेगी। इस रिपोर्ट में पंच योजना अवधि के मध्य इलैक्ट्रानिक्स उद्योग की प्रगति का उल्लेख होगा।

(2) उद्योग के हित में विशिष्ठ क्षेत्रों में जैसे इलैक्ट्रानिक्स डेस्क कलक्यूलेटर्स, अर्थ-कंडक्टर डिवाइसेस, टी० वी० ग्लास ट्यूब, फैराइट्स, लघु कंप्यूटर्स तथा कनक्टर्स, इलैक्ट्रानिक्स आयोग ने विशेषज्ञों का तकनीकी पैनल स्थापित किया था। पहले चारों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इनमें की गई सिफारिशों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति पर है। सिफारिशें लाइसेंसिग मार्ग-दर्शक सिद्धान्त, नये उत्पादन तथा वाणिज्य सुविधाओं की स्थापना से संबंधित हैं।

(3) इलैक्ट्रानिक्स विभाग ने (योजना आयोग की प्रार्थना पर) दो मूल्यांकन दलों की एक भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड और दूसरा इंडिया टेलीफोंस इंडस्ट्रीज में उनके उत्पादन कार्य-क्रम की समीक्षा करने तथा क्षमता की उपयोगिता को प्राप्त करने एवं अपने समस्त निष्पादन को सुधारने हेतु कार्रवाई मूलक उपायों की सिफारिश करने के लिये, स्थापना की है। दोनों दलों की प्रारूप रिपोर्ट तैयार हैं। और प्रस्तुत करने के लिये शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समस्त कार्य-क्रमों की इलैक्ट्रानिक्स आयोग द्वारा जांच की जा चुकी है और स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त, इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया, हैदराबाद, भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र उपक्रम में लघु तथा मध्यम साइज के कंप्यूटरों के निर्माण कार्यक्रम की इलैक्ट्रानिक्स कमीशन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और उपक्रम को कर्ज तथा अनुदान दोनों ही रूपों में वित्तीय सहायता दी गयी है।

(4) तकनीकी रूप से योग्य उद्योगकर्ताओं को विशिष्ट प्रोत्साहन दिये गये हैं ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें जैसे :—टी० वी० रिसीवर उद्योग, इलैक्ट्रानिक्स डेस्क कलक्यूलेटर्स तथा अन्य। इस क्षेत्र में लाइसेंस/स्वीकृतियां अधिक मात्रा में प्रदान की गयी है और इस वर्ष टी० वी० रिसीवरों का उत्पादन विशेषरूप से बढ़ेगा। पिछले वर्ष 1,000 से अधिक इलैक्ट्रानिक्स डेस्क कलक्यूलेटर्स की बिक्री की गयी और इस वर्ष संख्या चौगुनी होने की आशा है।

(5) भारत सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार वर्तमान क्षमता की संपूर्ण उपयोगिता के लिये प्रार्थना-पत्र विभाग द्वारा प्राप्त हुये और तत्काल कार्रवाई की गयी। इस आधार पर छः मामलों में स्वीकृति प्रदान की जो वर्तमान कंपनियों को अपना हाल का उत्पादन बढ़ाने में आवश्यक रूप से समर्थ बनायेगी।

(6) लघु उद्योग युनिटों द्वारा उत्पादित इलैक्ट्रानिक्स मद्दों की कोटि तथा उत्पादन दोनों को उन्नत करने के लिये, इलैक्ट्रानिक्स आयोग ने प्रत्येक राज्य सरकार को हर राज्य में

परीक्षण तथा विकास केन्द्र की स्थापना हेतु, लागत का 75% तक वहन करने के लिये 25 लाख रुपये अनुदान के रूप में देने का प्रस्ताव किया है। शेष खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। आगे, इलैक्ट्रोनिक्स कमीशन विभिन्न राज्य सरकारों के निकट संपर्क में है और अपने अपने राज्य में नये इलैक्ट्रानिक्स यूनिटों की स्थापना के लिये योजना बनाने में सहायता कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में एक विशेष इलैक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कमेटी गठित की गयी है और केराला में एक इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम की स्थापना की गयी है।

(7) बम्बई के निकट सांताक्रूज पर इलैक्ट्रानिक्स के लिये एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया जा रहा है जो वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत ट्रेड विकास प्राधिकरण के सहयोग से कार्य करेगा शत प्रतिशत निर्यात मूलक आधार पर इस जोन में विभिन्न इलैक्ट्रानिक्स घटों तथा उपकरणों के निर्माण का प्रस्ताव है यूनिटों घटों तथा उपकरणों के निर्माण का प्रस्ताव है यूनिटों को क्षमता की सर्तकता पूर्ण मूल्यांकन द्वारा और उन पर निर्यात-बाध्यता को थोपते हुये उद्योग में निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(8) इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास प्रयासों को आर्थिक तथा अन्य ढंगों से सहायता प्रदान की जा रही है जो प्रभावकारी ढंग से आत्म-निर्भरता तथा बढ़े उत्पादन में अपना योगदान दे सकें इलैक्ट्रानिक्स आयोग द्वारा जनवरी, 1973 में इलैक्ट्रानिक्स में अनुसंधान तथा विकास पर एक राष्ट्रीय सेमिनार गठित किया गया था। जिन क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य किया जाना है विशेषज्ञों के वर्किंग-ग्रुप द्वारा निश्चित कर दिये गये। इलैक्ट्रानिक्स के संस्कारित क्षेत्रों में विशेष विकास कार्य को संपन्न करने हेतु संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के संगठनों को अनुसंधान तथा विकास अनुदान दिया जा रहा है।

गुजरात में उद्योग लगाने के लिए आशय/पत्र/लाइसेंस देना

5069. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में उद्योग लगाने के लिए गत दो वर्षों में दिए गए आशय पत्रों/लाइसेंसों की मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : वर्ष 1971 और 1972 के दौरान गुजरात में उद्योग स्थापित करने हेतु 199 आश्यपत्र तथा 128 औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए थे। ये धातुकार्मिक उद्योग, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, परिवहन, औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल, विविध मशीनरी, इंजीनियरी उद्योग, वाणिज्यिक कार्यालय संबंधी और घरेलू उपकरण, औद्योगिक औजार, वैज्ञानिक औजार, उर्वरक, रसायन, रंगाई का सामान, दवाइयां और भेषज, वस्त्र, कागज उत्पाद लुगदी सहित कागज, खाद्य परिष्करण उद्योग, वनस्पति तेल और वनस्पति, रबर का माल, कांच, मिट्टी का सामान, सीमेंट और जिप्सम उत्पादों के संबंध में थे। अनेक पत्रिकाओं जैसे :— दि वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसज, इम्पोर्ट लाइसेंसज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसज, दि वीकली इण्डियन ट्रेड जार्नल एण्ड दि मन्थली जर्नल आफ़ इंडस्ट्री एण्ड ट्रैड में समय समय पर इन सभी बनाए जाने वाली वस्तुओं, एकक आदि तथा जारी किये गये आशयपत्रों और लाइसेंसों का ब्यौरा प्रकाशित किया जाता है। संसद पुस्तकालय में इन प्रकाशनों की प्रतियां उपलब्ध हैं।

Extent of Success Achieved in Pin Code System

5070. **Shri Shrikrishna Agarwal :**
Shri Ajit Kumar Shah :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the extent of success achieved so far in the Pin Code system introduced last year;

(b) whether this system is being applied to all the delivery zones in the country; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Response of the general public in such matters as usual is slow. The progress is however, satisfactory.

(b) Yes Sir. This system has been applied to all the Delivery Sub and Head Post Offices in the country. Branch Post Offices have not been allotted **Pin** so far. The reasons for not allotting independent **Pin** to Branch Post Offices is that their mail is generally being received through their accounting Sub Post Offices. However, the question of allotment of independent Pin to the Branch Post Offices will be considered when public begins writing **Pin** in sufficient numbers.

(c) Does not arise.

काश्मीर के सुरक्षा क्षेत्र में पर्यटकों का जबरदस्ती प्रवेश

5072. **श्री वयालार रवि :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1973 के 'पेट्रियट' में "टूरिस्ट इट्रड इन टू काश्मीर सेक्यूरिटी जोन (काश्मीर के सुरक्षा क्षेत्र में पर्यटकों का जबरदस्ती प्रवेश)" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) समाचार में उल्लिखित दोनों घटनाओं में संबंधित पर्यटकों ने जम्मू व कश्मीर राज्य के कुछ निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश किया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में न्यायालय द्वारा दण्ड दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किये जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनायें रोक दी जायें।

सार्वजनिक वितरण पद्धति के विस्तार द्वारा रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना

5073. **श्री वयालार रवि :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण पद्धति का विस्तार करके रोजगार के अवसरों को उत्पन्न कराने के लिये योजना आयोग ने कोई योजना बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रुपरेखा क्या है और शिक्षित बेरोजगारों में बेरोजगारी की बढ़ रही प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार कहां तक सफल हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) योजना आयोग ने सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार कर रोजगार के अवसर सुलभ करने के विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख कर कोई स्कीम तैयार नहीं की है। बढ़ती हुई बेरोजगारी खासकर रोजगार चाहने वाले शिक्षितों पर असर डालने के लिए हाल ही में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे सरकारी वितरण प्रणाली के विस्तार सहित विभिन्न स्रोतों से रोजगार के अवसर सुलभ करने की संभावनाओं का पता लगायें। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि सरकारी वितरण प्रणाली को मुख्यतः आवश्यक जिन्सों की उपलब्धि और मूल्य लाइन को बनाये रखने के लिए सुदृढ़ किया जायेगा फिर भी इन उपायों का बेरोजगारी की समस्या पर भी प्रभाव पड़ेगा।

आकाशवाणी के गठन में परिवर्तन करना

5074. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के गठन में कोई परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब किया जायेगा; और

(ग) इसमें किस प्रकार के परिवर्तन किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) किये जाने वाले परिवर्तन विचाराधीन हैं। प्रस्ताव में विभिन्न प्राधिकारियों से विस्तार से विचार-विमर्श निहित है। अतएव, इस अवस्था में यह कहना संभव नहीं कि अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा।

डाक तथा तार विभाग को टेलीफोन लाइनों के आबंटन के लिए लोक लेखा समिति का सुझाव

5075. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने अपने इस सुझाव को दोहराया है कि डाक तथा तार विभाग को प्रतीक्षा-सूची में नामों की संख्या और प्रतीक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों के आवंटन के लिये प्राथमिकतायें निर्धारित करने के लिये स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने चाहियें और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) लोक लेखा समिति ने यह पाया है कि टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में दो तिहाई से ज्यादा अर्जियां गैर ओ० वाई० टी० श्रेणी में दर्ज हैं और इस श्रेणी में टेलीफोन के लिये ज्यादा समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समिति ने यह राय दी है कि प्रतीक्षा सूची में दर्ज अर्जियों की संख्या और प्रतीक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त लाइनें देने के लिये प्राथमिकतायें देकर लाइनों का तदर्थ बंटवारा करने की जो मौजूदा प्रणाली है, उसकी जगह इस सम्बन्ध में विभाग को चाहिये कि वह तुरन्त निर्णय लेकर सुनिश्चित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करे।

डाक-तार बोर्ड में इस मामले की जांच हो रही है।

दिल्ली प्रदेश साम्प्रदायिकता विरोधी समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन में साम्प्रदायिक संस्थाओं पर रोक लगाने की मांग

5076. **श्री एम० एम० जोजफ़:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में 5 मार्च, 1973 को दिल्ली प्रदेश साम्प्रदायिकता विरोधी समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में साम्प्रदायिक संस्थाओं पर कोई रोक लगाने के बारे में मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : सरकार ने मार्च, 1973 में दिल्ली प्रदेश साम्प्रदायिक विरोधी समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन में की गई मांगों के बारे में प्रैस रिपोर्टें देखी हैं। उन संस्थाओं के विरुद्ध जिनकी गतिविधियां साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने और राष्ट्रीय एकता के हित के प्रतिकूल हैं, दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 1972 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है और क्या कानून के उपबन्ध किसी संस्था पर लागू किये जाने चाहिये, इस प्रश्न की जांच ऐसी संस्था के बारे में सरकार को उपलब्ध सामग्री के अनुसार सरकार द्वारा समय समय पर की जाती है।

दिल्ली के काजी होज क्षेत्र में पड़ी डकैती के बारे में जांच

5077. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरानी दिल्ली के काजी होज क्षेत्र में 5 मार्च, 1973 को पड़ी डकैती के मामले में कोई जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री एफ एच० मोहसिन : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पुलिस द्वारा अभी तक मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

5078. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वी प्रदेश के विकास के लिये मुख्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन बातों पर चर्चा की गई और उस के क्या निष्कर्ष निकले?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (एफ० एच० मोहसिन) : (क) हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी सहायता हेतु भारत और जंजीबार के बीच करार

5079. **श्री एम० एम० जोजफ : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंजीबार ने हाल ही में भारत से औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और इस बारे में हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) जंजीबार सरकार के निवेदन पर लघु उद्योग विकास संगठन के एक विशेष प्रतिनिधिमण्डल ने उस देश का जनवरी, 1973 में दौरा किया तथा अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ उस देश में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का भी सुझाव दिया है। यद्यपि जंजीबार के अधिकारियों के साथ किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए, फिर भी, भारत सरकार ने जंजीबार में एक औद्योगिक बस्ती के अन्दर स्थापित की जाने वाली सामान्य सुविधा वर्कशाप के लिये अपेक्षित मशीनों और मशीनों का सम्भरण करने पर विचार करने तथा जंजीबार के नामांकित व्यक्तियों को भारत में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिये उपयुक्त विशेषज्ञों को प्रशिक्षण की सुविधायें देने का भी प्रस्ताव किया है।

Implementation of the recommendations of Administrative reforms commission by the Centre and the States

5080. **Shri M.C. Daga :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of reports presented by the Administrative Reforms Commission and the total number of recommendations made therein and the number of recommendations out of them considered over and the number of recommendations which have not been considered so far; and

(b) the number of recommendations to be implemented by the State Governments and the number of thoso implemented by the State Governments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs in the Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) : The ARC presented 20 reports which contain 578 recommendations. Of these recommendations, 527 (including 5 part) recommendations concern the Centre and on the remaining 56 (including 5 part) reconmendations, decisions are to be taken by the State Governments. Out of 527 (including 5 part) recommendations concerning the Centre, decisions have been taken on 387 (including 30 part) recommendations and the remaining 165 (including 25 part) recommendations are still at various stages of consideration. Three comprehensive statements showing the decision taken and the implementation of these decisions from time to time were presented to the House, the last one showing the developments upto 30th November, 1972. These statements were laid on the Table of the House on 31st July 1970, 17th November, 1971 and 20th December 1972.

The recommendations concerning the State Governments have been brought to their notice. It is essentially for them to consider those recommendations and implement such of them as are acceptable to them.

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान संस्था, रुड़की द्वारा आविष्कृत सोलर वाटर हीटर

5081. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान संस्था, रुड़की द्वारा विकसित सोलर वाटर हीटर की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सी० बी० आर० आई०), रुड़की द्वारा निम्नलिखित तीन प्रकार से सौर जल तापक (सोलर वाटर हीटर) विकसित किये गये हैं :—

(1) बड़े सौर जल तापक :

यह अस्पतालों, छात्रावासों और रसोईघरों में गरम पानी की आवश्यकताओं को सविराम पूरा करने के लिये उपयुक्त हैं। सर्दी के दिनों में दोपहर के बाद यह तापक 600 लीटर जल 55 अंश सेंटीग्रेड तक गरम करता है और प्रातःकाल पानी का ताप 48 अंश सेंटी० से 50 अंश सेंटी० तक रहता है यह जलतापक स्थानीय सामग्री से आसानी से बनाया जा सकता है और इसकी लागत का अनुमान 2500)– रुपये प्रति यूनिट के आधार पर लगाया गया है।

(2) घरेलू सौर जल तापक :

तापक में एक तापविसवाहक जलकोठी (140 लीटर क्षमता वाली) लगी होती है जो पानी भरने के लिये जुड़ी होती है। दोपहर बाद इसमें पानी अधिक से अधिक 55 अंश सेंटी तापमान में गरम किया जाता है और सर्दी के दिनों में यह पानी अगले दिन सुबह के समय 48 अंश सेंटी से 50 अंश सेंटी तापमान में उपलब्ध रहता है। रात्रि के समय इसका ताप 20 अंश सेंटीं के हिसाब से कम हो जाता है। ऊष्मास्पैतिक नियंत्रण 1.5 के डब्ल्यू० तापक पदार्थ के साथ कोठी को फिट किया जाता है और सर्दी के नम दिनों में इससे गरम पानी संभरित किया जा सकता है।

(3) सस्ती कीमत का सौर जल-तापक

कम लागत वाला सौर जल-तापक (90 लीटर क्षमता) सर्दी के मौसम (दिसम्बर-फरवरी) में सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय में नल के पानी के ताप से 40 अंश सेंटी० तक अधिक पानी गरम करता है। इसकी प्रतिपादन और संचालन संबंधी लागत कुछ नहीं है। प्रति यूनिट इस तापक को बनाने की अनुमानत: लागत करीब 250/– रुपये बैठती है।

हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार देने के अधिक अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपसमितियों का गठन।

5082. **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने हरिजनों, पिछड़ें वर्गों और अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के अधिक अवसरों को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों से उप-समितियों का गठन करने के लिये कहा है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री एम० आर० यार्डी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल ने सिफारिश की कि केन्द्र में और राज्यों में विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों की भरती के मामले में विभाग के कार्य का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति बनाना वांछनीय होगा। यह सिफारिश सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई थी। अधिकांश राज्य सरकारों ने ऐसी समितियां गठित कर ली हैं।

लापरवाही के आरोप में मुअत्तिल अंडमान के पुलिस इन्स्पैक्टरों की पदोन्नति

5083. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान के पुलिस इन्सपैक्टर की, जिसे निकोबार के समुद्री सीमा में पकड़े गये ताईवान के पोत में पुलिस की हिरासत में चालकों के बच कर भाग निकलने के सम्बन्ध में की गई लापरवाही के आरोप में मुअत्तिल किया गया था, पदोन्नति की गई है तथा उसे सभी वरिष्ठ इंस्पैक्टरों के ऊपर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले में उसे सब जिम्मेदारियों से दोषमुक्त किया गया है; और

(ग) क्या इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने की थी?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त पोत ताइ-वान का नहीं था बल्कि सिंगापुर का पोत था। सम्बन्धित पुलिस इन्स्पैक्टर पदोन्नति नहीं किया गया है। वह अभी तक निलम्बित है। अन्डमान व निकोबार प्रशासन के अधीन स्थाई पुलिस इन्सपैक्टर की सूची में उसका नाम उनकी वरीयता के कारण सबसे ऊपर है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। उनके विरुद्ध आरम्भ की गई विभागीय जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

कोरी सिनेमा फिल्म पर कर

5084. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या कोरी सिनेमा फिल्मों पर प्रस्तावित कर को देखते हुये सरकारी वृत्त फिल्मों और फीचर फिल्मों की लागत बढ़ जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन छोटे निर्माताओं अथवा युवा उद्यमकर्त्ताओं को, जो वाणिज्यिक फिल्म अथवा फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित फिल्म बनायेंगे, उपयुक्त रियायतें देने के बारे में उनके मंत्रालय ने कोई प्रस्ताव अथवा सुझाव दिये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

पांचवीं योजना के दौरान शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर

5085. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने तक शिक्षित बेरोजगार युवकों की वास्तविक संख्या कितनी होगी; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के कुल कितने अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) देश में कितने शिक्षित युवक बेरोजगार हैं, इस सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1972 के अन्त तक लगभग 33 लाख मैट्रिक पास तथा इससे ऊपर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति रोजगार की तलाश में थे। बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिये हाल ही में कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इसके अलावा 1973-74 में एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिससे 500,000 शिक्षित बेकारों को रोजगार मिलेगा। इससे बेरोजगारी की स्थिति पर निश्चित रूप से काफी प्रभाव पड़ेगा। फिर भी इस समय पांचवीं योजना के शुरू होने के समय रोजगार चाहने वालों की वास्तविक संख्या ठीक ठीक आंकना सम्भव नहीं है।

(ख) पांचवीं योजना अभी तैयार की जा रही है और इन ब्यौरों पर काम हो रहा है।

क्षेत्रीय विषमताओं के कारणों का पता लगाने के लिए बनाई गई समिति

5086. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय विषमताओं के कारणों का पता लगाने के लिये कोई समिति बनाई है, यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ संभाव्य हाल सुझाये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उन राज्यों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें उद्योग और कृषि क्षेत्रों में क्षेत्रीय विषमताग्रस्त राज्य समझा जाता है; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान को आयोजन के अर्थों में ऐसे राज्य समझा जाता है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) पिछड़े क्षेत्रों व पिछड़े राज्यों के निर्धारण करने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका अध्ययन करने तथा उनके त्वरित विकास के लिये तौर तरीके सुझाने के वास्ते योजना आयोग ने एक आन्तरिक समिति का गठन किया है।

(ख) पिछड़े राज्यों व क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी नीति का उल्लेख "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक दस्तावेज में किया गया है। इसे पहले ही सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ग) केन्द्रीय सहायता आवंटित करने के लिये उड़ीसा और राजस्थान, चौथी योजना में भी पिछड़े राज्य माने गये हैं। संस्थागत वित्त रियायती दर पर उपलब्ध करने तथा चुने गये जिलों में अचल पूंजी निवेशों पर 10 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने के लिये भी ये औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य मान लिये गये हैं। पश्चिम बंगाल के विकास का जहां तक सम्बन्ध है इस बारे में यह भी मालूम हुआ है कि यहां अन्तःक्षेत्रीय विषमतायें हैं।

कलकत्ता के टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रमों की मांगों को पूरा करने के लिए बंगाल के फिल्म स्टूडियो को नया रूप देना

5087. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गोल्फ क्लब, टालीगंज, पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्र को ध्यान में रखते हुये, क्या उनके मंत्रालय ने कलकत्ता के टेलीविजन केन्द्र के टेलीविजन कार्यक्रमों की आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिये बंगाल के फिल्म स्टूडियो को नया रूप देने पर विचार आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये आधारभूत प्रस्ताव क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख): जी, नहीं। फिल्म सामग्री के लिये किसी टेलीविजन केन्द्र की प्रोजक्टिड आवश्यकता के लिये ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, यदि स्टूडियो टेलीविजन के प्रयोग के लिये फिल्म तैयार करते हैं तो सरकार उसका स्वागत करेगी।

बड़े राज्यों में तेजी से अधिक विकास तथा साधारण व्यक्ति कल्याण योजनाओं की क्रियान्विति के तरीकों का सुझाव देने के लिए अध्ययन दल

5088. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े आकार के राज्यों में तेजी से आर्थिक विकास करने तथा साधारण व्यक्ति के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं की दक्षतापूर्ण क्रियान्विति के लिये तरीकों का सुझाव देने हेतु एक अध्ययन दल स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराँधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Provision of Telephone Lines in Areas of Surat District hit by Sand Storms

5089. **Shri Amar Singh Chaudhari :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated for providing telephones in those areas of Surat District (Gujarat), which are hit by sand storms every year endangering human lives;

(b) if so, the names of those places where telephones would be provided and the time by which telephones would be provided at those places; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) (a) : No Sir. However, further enquiries are being made.

(b) Question does not arise.

(c) Revenue authorities at Surat have intimated that no areas in Surat District are hit by sand Storms.

Quality of Paper Manufactured in India

5090. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the quality of paper manufactured in India is deteriorating; and

(b) if so, the steps taken to improve the quality of paper ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Mukherjee):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise .

Response for setting up of Industries by Industrial Houses in Backward Areas

5091. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether some big industrial houses have taken initiative to set up industries in the backward areas; and

(b) if so, their names and the names of the industries to be set up by them in each State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) Yes, Sir.

(b) A Statement is attached . [Placed in library. See No. LT 4644/73]

विकास योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए आधुनकि प्रबन्धक प्रक्रियाओं को लागू करना

5092. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकास योजनाओं को कार्य रूप देने के लिये आधुनिक प्रबन्धक प्रक्रियाओं को लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग क्रमिक योजना दस्तावेजों में परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा स्कीमों के कार्यान्वयन तथा परिचालन में प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की सिफारिश करता रहा है।

(ख) चौथी योजना के दस्तावेजों में प्रबन्ध सम्बन्धी जिन तकनीकों को सिफारिश की गई हैं वे हैं :–

(1) **परियोजना निर्माण चरण**–: आयोजन, कार्यक्रम निर्धारण तथा नियंत्रण, सूचना तथा रिपोर्ट-पद्धति आदि की उन्नत तकनीकें।

(2) **परियोजना परिचालन चरण**: –उत्पादन आयोजन तथा नियंत्रण पद्धतियां, वैज्ञानिक तालिका का प्रबन्ध, लागत तथा कोटि नियंत्रण पद्धतियां, समुचित प्रोत्साहन स्कीमें आदि।

दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में नागरिक सुविधायें

5093. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह कौन सा अधिनियम अथवा उपनियम है जिसने दिल्ली नगर निगम को चितरंजन पार्क जैसी एक कालोनी को अभी तक अपने नियंत्रण में न लेने और निगम की कोई भी सेवायें वहां उपलब्ध न करने से रोक रखा है जब कि इस कालोनीं के सभी आलाटियों से सम्पत्ति कर वसूल किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो चितरंजन पार्क में नागरिक सुविधायें जैसी सेवाओं की व्यवस्था किन परि-स्थितियों के कारण नहीं की गई है जब कि वहां से सम्पत्ति कर वसूल किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) : दिल्ली नगर निगम ने रिपोर्ट दी है कि गैर सरकारी गलियां जिनको दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 315 तथा 316 के अधीन सार्वजनिक गलियां घोषित किया गया हैं चनिगम को सौंप दी गई हैं । दिल्ली नगर निगम गलियों का अनुरक्षण करता है जो निगम को सौंपी जाती हैं। कालोनियों के अनुरक्षण का कार्य अपने हाँथ में लेने से सम्बन्ध में नगर निगम अधिनियम में कोई विशिश्ट व्यवस्था नहीं है। निगम की स्थाई समिति ने अनुमोदित कालोनियां का अनुरक्षण अपने हाथ में लेने के लिये एक निश्चित प्रणाली बनाई है जो अधिनियम की धारा 315 तथा 316 के अधीन बनाये गये सिद्धान्तों पर आधारित है। निगम अधिनियम की धारा 313 की व्यवस्थाओं के अधीन कालोनियों के विकास के लिये निगम की स्थाई समिति खाका योजना सेवा योजना का अनुमोदन करता है। कालोनियां बनाने वालों विकास एजन्सी को नगर निगम द्वारा निश्चित किये गये मानको के अनुसार अनुमोदित खाका योजना सेवा योजना के अनुरूप आवश्यक सेवा में पूरी करनीं होतीं हैं । चित्तरंजन पार्क के मामले में जो एक अनुमोदित कालौनीं है और जिसका पुनर्वास विभाग द्वारा विकास किया जा रहा है कुछ शर्तों के साथ निगम की स्थाई समिति द्वारा संशोधित खाका योजना

अनुमोदित की गई थी। उन शर्तों में से दो इस प्रकार थी, (I) अनुमोदित मानकों तथा आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार सभी सेवाओं का अनुरक्षण आवेदक द्वारा किया जायगा और (II) बाद में अनुरक्षण के लिये यदि सेवायें निगम को स्थानान्तरित की जाती हैं तो आवेदक या तो सेवाओं को अच्छी हालत में हस्तान्तरण करेगा अथवा यदि कोई कमी हो तो उसका व्यय जो निगम द्वारा बता दिया जायगा वहन करेगा। जबकि इस कालौनीं का विकास पुनर्वास विभाग द्वारा किया जा रहा है, सभी सेवाओं के पूरा करने से पूर्व हीं कालौनीं में निर्माण करने कीं अनुमति दे दीं गई थीं ताकि प्लाटों के अलाटियों को अपने मकान बनाने में समर्थ किया जा सके।

सेवाओं को अपने हाथ में लेने के लिए शर्तों को परा करने का प्रश्त दिल्ली नगर निगम तथा पुनर्वास मंत्रालय के विचाराधीन है।

तकनीकी बिभागाध्यक्षों के रुप में टैक्नोक्रैटों को नियुक्त करना

5094. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तकनीकी विभागों के विभागाध्यक्षों के रूप में टैक्नोक्रेटों को ही नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या लाभ हैं?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख): भारत सरकार के सचिवों के पदों पर नियुक्तियां विभिन्न सेवाओं के पात्र अधिकारियों में से चयन द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती हैं। सचिवों के किन्हीं विशेष पदों के लिये चयन के क्षेत्र को इसलिये किसी विशेष श्रेणी के अधिकारियों के लिये ही सीमित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्ज, लिमिटेड, नार्थ कनारा (मेसूर)

5095. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्ज लिमिटेड ने दिनांक 23 फरवरी, 1973 के ज्ञापन में मैसूर राज्य के नार्थ कनारा में दंडेली स्थित कागज कारखाने की, वहां पर कच्चे माल अर्थात् बांस की कमी होने से, बन्द हो की संभावना के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने कागज कारखाने को इस आशंका के बारे में जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इन जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से सूचना मांगी गई थी। उनके उत्तर से ज्ञात होता है कि, बांस की रायल्टी के भुगतान के सम्बन्ध में कुछ पुरानी समस्यायें थीं, और उनका अब समाधान हो गया है। कारखाने को कच्चे माल का संभरण भी पुनः होने लगा है यह भी सूचना प्राप्त हुई है।

अन्तरक्षेत्रीय और अन्तरमंत्रालयी प्राथमिकता निश्चित करने के लिए वार्षिक बजट तैयार करने से पहले योजना आयोग से परामर्श

5096. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तिम परिव्ययों में उल्लिखित रूप में अन्तरक्षेत्रीय और अन्तरमंत्रालयी प्राथमिकता निश्चित करने के लिये वार्षिक बजट तैयार करने से पहले क्या योजना आयोग से परामर्श किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष प्रति वर्ष विभिन्न विभागों और मंत्रालयों का व्यय एक समान रहने के क्या कारण हैं और यदि कोई अन्तर होता है तो वह नगण्य ही होता है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि व्यय प्रत्येक वर्ष समान रहा। जैसा कि व्यय तथा परिव्यय के नीचे दिये गये आंकड़ों से पता लगेगा कि पूर्व वर्षों की अपेक्षा प्रत्येक वर्ष व्यय में काफी वृद्धि होती रही है:—

वर्ष	(करोड़ रुपये)
1969-70 (वास्तविक व्यय)	1022.67
1970-71 (")	1305.64
1971-72 (")	1558.54
1972-73 (योजना परिव्यय)	2307.17
1973-74 (")	2441.83

आबद्ध सिविल सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव

5097. **श्री बी० बी० नायक:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आबद्ध सिविल सेवा की स्थापना हेतु योजना आयोग के समक्ष कोई ठोस प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार की सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति

5098. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवा में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए वर्तनाम विनियम क्या हैं?

(ख) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित नियमों का संशोधन करने का है जिससे कि सरकार की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों को पर्याप्त पेंशन तथा सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ मिल सकें ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (1) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 43 के अधीन कोई सरकारी कर्मचारी जो 30 सितम्बर, 1938 को या उससे पूर्व स्थायी था और जो कुछ विशिष्ट पदों पर कार्य कर रहा हो, 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद कम-से-कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है ।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972, के नियम 48 के अधीन कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने 1938 के बाद सेवा में प्रवेश किया हो अर्थात् कोई भी सरकारी कर्मचारी जो पहली अक्तूबर, 1938 को या उसके बाद स्थायी हुआ हो, 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद कम-से-कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकता है ।

(3) मूल नियम 56 (ट) के अधीन श्रेणी-I अथवा श्रेणी-II सेवा अथवा पद पर कार्य कर रहा कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सरकारी सेवा में प्रवेश किया हो, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कम-से-कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकता है और कोई अन्य सरकारी कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद किसी भी समय ऐसा कर सकता है ।

(4) मूल नियम 56 (ड) के अधीन श्रेणी III सेवा या पद का कोई भी सरकारी कर्मचारी जो किसी भी पेंशन नियम से नियंत्रित नहीं होता हो, 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद, कम-से-कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर किसी भी समय सेवानवृित्त हो सकता है ।

(5) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के अधीन श्रेणी-IV की सेवा या पद पर कार्य कर रहा कोई भी सरकारी कर्मचारी 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद कम-से-कम तीन माह का नोटिस देकर किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकता है । श्रेणी-VI की सेवा या पद का कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने 23-7-1966 के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश किया हो, वह भी मूल नियम 56 (अ) के अनुसार 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कम-से-कम तीन माह का लिखित नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकता था ।

(ख) तथा (ग) : विद्यमान नियमों में स्वंय ही ऐसे सरकारी कर्मचारीयों को पेंशन लाभों की मंजूरी के लिए व्यवस्था है जो पेंशन नियमों द्वारा नियन्त्रित किए जाते हैं और जो उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा की अवधि के अनुसार उपर्युक्त विभिन्न उपबन्धों के अधीन स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होते हैं ।

नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों की मांगें

5099. श्री रामसहाय पांडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों ने पेंशन योजना लागू किये जाने तथा बेहतर सेवा शर्तों सम्बन्धी अपनी मांगों को मनवाने के लिए "रिले" भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका मजदूर सघं ने 2-3-1973 से भूख हड़ताल की और इसे 12-3-73 को समाप्त कर दिया । उनकी मुख्य मांगें नई दिल्ली नगरपालिका के सभी कर्मचारीयों के लिये पेंशन योजना लागू करना तथा अनुग्राहत भुगतान करना थी । पेंशन योजन के बारे में सरकार ने पेंशन योजना के अनुसार, जो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए लागू है, उन्हीं रूपरेखाओं पर नई दिल्ली नगरपालिका के कर्मचारियों के लिए एक तदर्थ योजना लागू करने का निश्चय किया है । नई दिल्ली नगरपालिका के सभी कर्मचारियों के लिए अनुग्राहत भुगतान की मांग की दिल्ली प्रशासन परीक्षा कर रहा है ।

मध्य प्रदेश के चम्बल घाटी क्षेत्र में डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण

5100. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के चम्बल घाटी क्षेत्र में सभी डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है और यदि नहीं, तो अभी तक अनमानत कितने डाकू छिपे हुए हैं ;

(ख) उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(ग) इन डाकूओं तथा जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है उनके परिवारों की स्थिति को सुधारने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) अद्यतम सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसके प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

धर्मशाला में रेडियो स्टेशन

5101. **श्री नारायणचन्द पाराशर :**

श्री विक्रम महाजन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना का कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना में रेडियो स्टेशनों की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

देश में हिन्दी भाषी और गैर-हिन्दी भाषी राज्य

5102. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, 1973 को भारत सरकार ने कौन-कौन से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हिन्दी भाषी अथवा गैर-हिन्दी भाषी माना है ; और

(ख) राज्यों को हिन्दी भाषी अथवा गैर-हिन्दी भाषी घोषित करने का क्या आधार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को हिन्दी भाषी क्षेत्र और अन्य को अहिन्दी भाषी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र माना गया है ।

(ख) उपर्युक्त राज्यों को हिन्दी भाषी मानने का आधार यह है कि उन्होंने हिन्दी को अपनी राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है और उनकी जनसंख्या में अधिकांश संख्या हिन्दी भाषी लोगों की है ।

भूतपूर्व नरेशों के समाप्त हुए विशेषाधिकार

5103. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन भूतपूर्व नरेशों पर भारतीय संसद् के अधिनियम द्वारा समाप्त की गई निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों का प्रभाव पड़ा है, उनके नाम क्या हैं;

(ख) इस समाप्ति से प्रत्येक मामले में निजी थैलियों की धनराशि पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ग) भूतपूर्व नरेशों के कौन-कौन से विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) दो विवरण संलग्न हैं। [मंत्रालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4645/73]

केरल में नारियल जटा उद्योग आसान शर्तों पर ऋण

5105. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री केरल में नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन के बारे में 22 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3144 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 1.50 करोड़ रुपये का ऋण आसान शर्तों पर दिए जाने के केरल सरकार के अनुरोध पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया ;

(ख) क्या यह राशि राज्य को दे दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) केरल सरकार ने नारियल जटा सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण के रूप में कुछ सहायता की मांग की थी । मामलों पर राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया, अन्य संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया है । अब यह निश्चय किया गया है कि नारियल जटा सहकारी समितियों के पुनर्गठन करने तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त करने के लिए ग्राह्य बनाने हेतु राज्य सरकारें एक प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम अपनायेगी । राज्य सरकार से इस संबंध में आगे कार्यवाही करने को कहा गया है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया के परामर्श से निर्धारण के आधार पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए 3 वर्ष तक योजनेत्तर सहायता देगी ।

थोरियम का प्रयोग

5106. **श्री सी० के० चन्द्राप्पन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में आयोजित इंडियन साइन्स कांग्रेस में दिए गए इस सुझाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि थोरियम निक्षेपों, जो कि मुख्य तौर पर केरल में पाये जाते हैं, के उचित प्रयोग करने के लिए थोरियम उपयोगिता टैक्नालोजी को लागू किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्सि मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) विद्युत् रिऐक्टरों में थोरियम को काम में लाने की तकनीक का विकास करने के महत्व से भारत सरकार पूरी तरह से अवगत है। इस तकनीक के विकास से संबंधित अध्ययन, देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है ।

नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन

5107. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन के लिये योजना आयोग द्वारा स्थापित अध्ययन दल द्वारा किए गए प्रस्तावों की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उक्त अध्ययन दल द्वारा क्या प्रस्ताव किए गए ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा कयर उद्योग के बारे में गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न सुझाव दिये हैं, महत्वपूर्ण सुझाव संक्षेप में ये हैं :

(1) सहकारी क्षेत्र

सहकारी समितियों के सरकारी ऋण के कुछ भाग को इक्विटी पूंजी के रूप में बदलना तथा शेष भाग को समिति के सदस्यों को शेयरों के हेतु ऋणों में बदलना वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर ब्याज सहायता ।

मूल्य घटा-बढ़ी के लिए निधि ।

प्रबंधकों तथा सचिवों के प्रशिक्षण के लिए सहायता

(2) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

उत्पादन विधि तथा उत्पाद विकास में सुधार करने तथा आधुनिक विधि में प्रशिक्षण की सुविधा देने के लिए अधिक प्रयास करना ।

(3) आंतरिक विपणन

जनता में अधिक से अधिक प्रचार करके कयर तथा कयर उत्पादों के देश में विपणन का विकास करना।

(4) निर्यात

धागे पर नर्यात शुल्क कम करना तथा ई० ई० सी० देशों में कयर उत्पादों पर लिये जाने वाले आयात शुल्क का उन्मूलन ।

अधिकतर सुझावों को कार्यन्वित करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं । शेष सुझावों के लिये विभिन्न योजनाएं की गई हैं जो कि कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख योजना ये हैं :–

(1) कुछ चुनी हुई कयर सहकारी समितियों की उत्पादन सह बिक्री संगठन के रूप में पुनर्संरचना करना तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं से वित्त प्राप्त करने का पात्र बनाने के लिए आर्थिक दृष्टि से जीव्य । इन समितियों को प्रबंधकीय तथा विपणन सहायता भी दी जाएगी । केरल सरकार को प्रवस्था बद्ध रूप में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आगे कदम उठाने को कहा गया है ।

(2) एक गहन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना स्वीकृत की गई है इसमें लगभग 54 लाख रुपये व्यय होगा तथा जो 1973-74 से तीन वर्ष के लिए चलाई जायेगी इसके लिए कयर बोर्ड बजट में आवश्यक वित्त व्यवस्था की गई है ।

(3) कयर बोर्ड द्वारा भारत के महत्वपूर्ण शहरों में और प्रदर्शन कक्ष खोलने की अनुमति दी गई है तथा प्रेस, रेडियो, फिल्मों आदि जैसे अनेक प्रचार साधनों के माध्यम से गहन प्रचार करने के लिए बजट व्यवस्था की गई है ।

(4) विदेशों में आयातकों तथा संबंधित भण्डारों के सहयोग से विदेशों में गहन प्रचार करने के लिए राशि का आबंटन बढ़ाना ।

निर्धनता स्तर से भी नीचे के स्तर पर रहने वाले लोग

5108. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **योजना मंत्री** निर्धनता स्तर से नीचे स्तर पर रहने वाले लोगों के बारे में 16 अगस्त 1972, के अतारांकित प्रश्न संख्या 2277 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धनता स्तर से नीचे के स्तर पर इस समय अनुमानतः कितने लोग गुज़र करते हैं;

(ख) क्या इन निर्धन लोगों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के कुछ परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) 16 अगस्त, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2277 का उत्तर देने के पश्चात् कोई नया तथ्य सामने नहीं आया । अतः उक्त प्रश्न के उत्तर में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों का जो अनुमान दिया गया था उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है । गरीब लोगों के अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । ये लगभग 22 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है ।

(ख) और (ग) : गरीबी हटाने के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये हैं उनसे कोई खास प्रभाव पड़ने की अपेक्षा इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए । फिर भी चौथी योजना के ये कार्यक्रम अधिकांशतः अलग-अलग तैयार किये गये थे और इनके संचालन को स्थान अनुसार छितरा दिया गया था । योजना आयोग ने गरीबी हटाने की कार्य-नीति तथा कार्यक्रमों पर पांचवीं योजना के विकास उद्देश्यों के एक अभिन्न अंग के रूप में विचार किया है । विकास की जिस दर और प्रणाली का अनुमान लगाया गया है उसके परिणामस्वरूप अधिक प्रभावशाली जनसंख्या संबंधी नीति अधिक. रोजगार अवसरों के सृजन और न्यूनतम आवश्यकताओं संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्यवस्था पर बल दिया गया है। इसके साथ-साथ परिकल्पित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कल्पना इस प्रकार की गई हैं जिससे स्थिर मूल्यों पर निम्न आय वाले लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके । आशा है कि जनसंख्या के 30 प्रतिशत सब से गरीब लोगों का प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग उस स्तर तक बढ़ जाएगा जो न्यूनतम वांछित उपभोगस्तर के लिए आवश्यक है ।

Tendency of States to Secede From Centre

5109. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the tendency to secede from the Centre is on the increase in the various States;

(b) whether the Centre is not paying equal attention in regard to the economic, political and social upliftment of all the States and at least of the backward States; and

(c) if so, the scheme proposed to be formulated by Government so that equal attention is paid to all the States to combat such a tendency?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (c) : Government have no information of such tendency on the part of the States. Relations between the Union and the States are governed by the provisions of the Constitution. The Administrative Reforms Commission in their report on Centre-State Relationships have recommended that "no constitutional amendment is necessary for ensuring proper and harmonious relations between the Centre and the States, inasmuch as the provisions of the Constitution governing Centre State relations are adequate for the purpose of meeting any situtation or revolving any problems that may arise in this field." Distribution of Central assistance to States is done in accordance with the criteria laid down by the National Development Council. The States enjoy considerable freedom in the sphere of formulation of plans, sanctioning of development schemes and spending of funds. Finance Commissions have been progressively weighting the distribution of States' shares in Central taxes in favour of backward States. Criteria for distribution of Central assistance for State Plans, decided by the National Development Council, also take into account the backwardness and special problems of the States.

परमाणु बिजली घरों का बन्द होना (ब्रेक डाउन) :

5110. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **पामाणु ऊर्जा** मंत्री देश में परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के बारे में 28 फरवरी 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1278 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी परमाणु बिजलीघरों में कुल कितनी बार कामबन्द (ब्रेक डाउन) हुआ ;

(ख) इसके क्या कारण थे : और

(ग) त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे काम बन्द न हो ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : वर्तमान में तारापुर परमाणु बिजलीघर ही एकमात्र चालू परमाणु बिजजलीघर है। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले रिऐक्टर ने 11 अगस्त, 1972 को क्रान्तिकता प्राप्त कर ली है तथा अब उसे चलाकर उसकी जांच की जा रही है । आशा है कि बिजलीघर सन् 1973 के मध्य तक पूरी उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगा । राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट तथा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के दोनों यूनिट अभी निर्माणाधीन हैं । अतः नीचे दी जा रही सूचना केवल मात्र तारापुर परमाणु बिजलीघर के बारे में है :–

तारापुर परमाणु बिजलीघर को व्यावसायिक स्तर पर चालू किए जाने की तिथि से लेकर अब तक बिजलीघर के लम्बे समय तक बंद रहने (चार दिन से अधिक बंद रहने) की घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :–

क्रम संख्या	बंद रहने की अवधि	यूनिट	उत्पादन में गिरावट
1.	14-7-1970 से 29-8-1970 तक	I 210 मेगावाट	योजनाबद्ध तरीके से बंद रखा जाना
2.	2-9-1970 से 21-10-1970 तक	II 210 मेगावाट	
3.	8-4-1971 से 25-7-1971 तक	II 210 मेगावाट	
4.	26-6-1971 से 8-7-1971 तक	I 210 मेगावाट	योजनाबद्ध तरीके से बंद रखा गया
5.	19-11-1971 से 25-11-1971 तक	II 210 मेगावाट	
6.	17-8-1971 से 26-4-1972 तक	I 210 मेगावाट	
7.	15-2-1972 से 25-2-1972 तक	II 110 मेगावाट	योजनाबद्ध तरीके से बंद रखा गया
8.	23-3-1972 से 20-12-1972 तक	II 210 मेगावाट	
9.	12-8-1972 से 18-8-1972 तक	I 140 मेगावाट	
10.	9-9-1972 से 23-9-1972 तक	I 140 मेगावाट	
11.	27-1-1973 से अब तक	I 140 मेगावाट	

क्रमसंख्या 1,2,4,5,7,8,9,10 तथा 11 पर उल्लिखित अवधियों में बिजलीधर को उसके अनुरक्षण के लिए पूर्वनियोजित तरीके से बंद रखा गया । क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित 8-4-1971 से 25-7-1971 तक बिजलीघर के बंद रहने की घटना । बड़ी घटना थी जिसका कारण महाराष्ट्र राज्य की विद्युत प्रणाली में खराबी का होना था तथा इसके परिणामस्वरूप बिजलीघर में बिजली का उत्पादन पूरी तरह से रुक गया था । बिजली का उत्पादन बंद होने की इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य की विद्युत प्रणालियों की सुरक्षात्मक व्यवस्था

में आवश्यक सुधार शुरू किए गए हैं । पहले यूनिट को ईंधन बदलने और अनुरक्षण के लिए 17 अगस्त 1971 को बंद किया गया था । इसकी गाइड ट्यूब होल्डिंग डाउन व्यवस्था में कुछ सुधार करने के बाद और ईंधन बदलने का काम पूरा हो जाने पर यूनिट ने 27 अप्रैल 1972 को बिजली का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया । यूनिट-2 को ईंधन बदलने और अनुरक्षण के लिए 23 मार्च 1972 को बंद किया गया था तथा ईंधन बदलने का काम समाप्त हो जाने पर इसे 21 दिसम्बर 1972 को दोबारा चालू किया गया । उसके बाद से यह यूनिट लगभग 200 मेगावाट के स्तर पर बिजली पैदा कर रहा है । क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित बंद रहने की अवधि का लाभ यूनिट के ड्राइवल के अन्दर के केवल में हुई खरावी को दूर करने के लिए उठाया गया । खराव केबल को पूरी तरह से बदल दिया गया । बिजलीघर को बंद रखने की क्रम संख्या 10 पर उल्लिखित अवधि का लाभ ड्राइवेल में भाप के लीक होने को रोकने और रेडियोसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण को हटाने के लिए उठाया गया । भाप के लीक होने के सभी स्थानों को बंद कर दिया गया तथा अपशिष्ट द्रव पदार्थो को बिजलीघर के साँथ लगे ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र में भेज दिया गया ताकि उसका शोधन करके उसका निबटान सुरक्षित रूप से किया जा सके । यूनिट एक को दूसरी बार ईंधन बदलने के लिए 27 जनवरी 1973 को बंद किया गया था । आशा है कि यह बिजलीघर मई 1973 में फिर से बिजली का उत्पादन करने लगेगा । बिजलीघर के बंद रहने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार उपकरणों में सुधार करने और संचालन प्रविधियों में परिवर्तन करने का काम किया गया है ।

उत्तर प्रदेश के लिए पांचवीं योजना

5111. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को पांचवीं पंचवर्षीय योजना संबन्धी कोई दृष्टिकोण पत्र केन्द्रीय सरकार को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) योजना आयोग राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावों और दृष्टिकोण प्रपत्र की जटिलताओं की जांच कर रहा है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 3500-3700 करोड़ रुपये के विनियोजन का सुझाव दिया है । इसमें से 1000 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होंगे । राज्य सरकार ने अपने दस्तावेज में जो व्यापक उद्देश्य बताये हैं वे नीचे दिए जा रहे है :

(1) उपभोग का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार करने वाले लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना और छोटे किसानों और ग्रामीण शिल्पियों की उत्पादक क्षमता में बढ़ोतरी करना (रोजगार सघन कार्यक्रम) ।

(2) बिजली सिंचाई तथा सड़कों के आधारभूत बुनियादी आधार को मजबूत करना (ख) कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि करना तथा (ग) औद्योगिक उत्पादन प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाना ताकि आर्थिक विकास में तेजी लायी जा सके ।

(3) जिलास्तर पर आधारभूत न्यूतम आवश्यकतायें उपलब्ध करना (न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम) ।

(4) संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना ।

(5) जन्म दर पर रोक लगाना ।

(6) मूल्यों को स्थिर करना ।

(7) विकास केन्द्र विकसित करना तथा शहरी विकास को प्रोत्साहन देना ।

(8) जन सहयोग प्राप्त करना ।

राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित किये गये उद्योग

5112. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए अत्यावश्यक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने में उसकी घोर असफलता का पता है ;

(ख) उन्हें गत तीन वर्षों में दिए गए कितने आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंसों में बदले जा सके हैं;

(ग) क्या जहां ये लाइसेंस दिए भी गए हैं वहां भी प्रगति आशा से बहुत ही कम हुई है ; और

(घ) यदि हां तो गत तीन वर्षों में किन राज्यों को लाइसेंस दिए गए और धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) से (घ) : सरकार को यह पता है कि अनेक राज्य औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये गत तीन वर्षों में उन्हें जारी किए आशयपत्रों को कार्यन्वित करने में सभी आवश्यक प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं । 1970 से 1972 की अवधि में विभिन्न औद्योगिक विकास निगमों को 141 आशयपत्र जारी किए गए थे जिनमें से केवल 13 को इस अवधि में औद्योगिक लाइसेंस में बदला गया है इस अवधि में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस आंध्रप्रदेश, आसाम, हरियाणा, गुजरात, केरल, मैसूर और पंजाब के औद्योगिक विकास निगमों को दिये गये थे ।

इन आशयपत्रों को धीमी गति से कार्यान्वित करने का मुख्य कारण यह है कि राज्य औद्योगिक विकास निगमों ने उन परियोजनाओं के संबंध में जिनके लिये उन्हें आशयपत्र जारी किए गये है पर्याप्त प्रारंभिक कार्य नहीं किया था ।

परमाणु ऊर्जा विकास के लिए अन्य देशों के साथ करार

5113. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए हंगरी के साथ करार के बारे में 21 फरवरी 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने अन्य देशों के साथ भी ऐसे ही करार किए हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हंगरी के अलावा भारत सरकार ने अफगानिस्तान, ब्राजील, चैकोस्लवाकिया, मिस्र. अरब गणराज्य, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मन संघीय गणराज्य, फिलिपीन, रूमानिया स्पेन तथा सोवियत संघ के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिमय प्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए द्विपक्षीय करार किए हुए हैं।

अहमदाबाद में प्रायोगिक उपग्रह संचार भू-केन्द्र का विस्तार

5114. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1973 के दूसरे सप्ताह में आई० टी० यू० के सेक्रेटरी जनरल की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने उनसे बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई;

(ग) क्या भारत ने अहमदाबाद स्थित प्रोयोगिक उपग्रह संचार भू-केन्द्र के विस्तार के लिए कोई सहायता 'मांगी' हैं ; और

(घ) यदि हां तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) सामान्यत: दूरसंचार से सम्बद्ध आपसी हितों के मामलों पर बातचीत की गई महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की सहायता से दिल्ली के निकट गाजियाबाद में उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए केन्द्र की स्थापना और अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के समनुदेशन में संचार के विभिन्न भागों में मूल्यवान सेवायें अर्पित करने वाले भारतीय दूरसंचार विशेषज्ञों के कार्यों का उल्लेख किया ।

(ग) जी हां, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा ।

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के कार्यकारी अभिकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तकनीकी सहायता प्रायोजना के अधीन अगस्त, 1971 से ही अहमदाबाद में प्रायोगिक उपगृह संचार भू-उपगृह केन्द्र की सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत को तकनीकी सहायता दे रहा है।

Grants of Indian Citizenship to Refugees from West Pakistan

5116. **Shri Mahadeepak singh Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of refugees from West Pakistan who have been granted Indian citizenship during the last one year;

(b) the number of refugees who applied for Indian citizenship and the number of such cases which are under consideration; and

(c) the name of the State in which they predominate?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पांचवीं योजना में उद्योगों की स्थापना

5117. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले पांच वर्षों में कितने उद्योगों की स्थापना की जायेगी और राज्यवार वे कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया ।

गोवा, दमन और दीव की विधान सभा के लिए सदस्यों को नामजद करना

5118. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा, दमन और दीव सरकार से वहां की विधान सभा के लिए सदस्य नामजद करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितने नामों का प्रस्ताव किया गया है और उन्हें नामजद करने के लिये किस कसौटी का सुझाव दिया गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) से (ग) : कुछ समय पहले इस मामले में संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुऐ थे । अभी तक कोई नामजदगियां नहीं की गयी हैं ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी गाडगिल फार्मूले का पुनरीक्षण

5119. श्री बसन्त साठे : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा सुझाई गई विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने के बारे मे गाडगिल फार्मूले को पुनरीक्षित संशोधित करने का विचार है और यदि हां, तो मामला इस समय किस प्रक्रम पर है ;

(ख) पुनरीक्षित फार्मूले की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने में पुनरीक्षित फार्मूला किस हद तक सहायक होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन के सिद्धान्तों की परिभाषा का प्रश्न अभी भी योजना आयोग के विचाराधीन है ।

विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटे आई० ए० एस० अधिकारी

5120. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में कितने आई० ए० एस० अधिकारी विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटे हैं,

(ख) वहां उन्होंने किस-किस विषय का अध्ययन किया और लौटने पर उन्हें किस-किस पद पर नियुक्त किया गया; और

(ग) उन में से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अधिकारी कितने हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि

5121. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात नाईलोन, पोलिस्तर यार्न, रंगों और रसायनों जैसे औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हो गई है क्योंकि इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के वर्तमान मूल्य जनवरी, 1972 के मूल्यों की तुलना में अब कितने हैं ;

(ग) मूल्यों में वृद्धि किस हद तक उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि अनुरूप है और किस हद तक यह उत्पादन शुल्क के अनुपात से अधिक है ;

(घ) इन वस्तुओं के मूल्यों में असमान्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० के० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) : उत्पादन शुल्क में वृद्धि (बजट पूर्व की कीमतों के संबंध में) का इस्पात की अधिकांश श्रेणियों (इस्पात की उन श्रेणियों को छोड़कर जिनके उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है) पर 3.4 से 5 प्रतिशत तक लाइलोन धागों की कुछ किस्मों पर 5 रु० प्रति किलोग्राम, पोलिस्टर यार्न और फाईबर (जिसके अंतर को पोलिएस्टर/पोलिवर चिप्स पर छूट देकर कम किया जाता है) पर 1 रु० 90 पैसे प्रति किलोग्राम तथा रबड़ रसायनों पर 10 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा उल्लिखित सभी वस्तुओं के बजट से पहले और बजट के बाद की कीमतों के संबंध में ठीक-ठीक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। 4 मार्च को इस्पात के घोषित किए गए संशोधित जी०पी०सी० मूल्यों से बजट में घोषित संशोधित उत्पादन शुल्क का पता चलता है। नाइलोन के धागों का उत्पादन करने वालों ने अभी तक संशोधित मूल्य घोषित नहीं किया है। किसी भी दिशा में औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि केवल उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण ही नहीं होती है। कभी-कभी विद्यमान सीमांत अंतर से बढ़े हुए उत्पादन शुल्क का कीमतों में वृद्धि किए बिना समन्जन कर लिया जाता है।

दूर संचार व्यवस्था की स्थापना में तंजानिया को भारतीय सहायता

5122. **श्री के० मालन्नाः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजानिया ने दूर-संचार व्यवस्था के लिये भारतीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार, मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) (1) दूरसंचार तंत्र की स्थापना में सहायता के लिए कोई अनुरोध सीधे तंजानिया सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी, पूर्वी अफ्रीका के देशों के संगठन, पूर्वी अफ्रीकी डाक और दूरसंचार निगम ने (जिसमें केन्या, यूगाण्डा और तंजानिया है), भारतीय दूरसंचार इंजीनियरों की सेवाओं की मांगें की हैं और डाक-तार विभाग के कुछ दूर-संचार इंजीनियरों की नियुक्ति के प्रस्ताव भेजे हैं । इस विषय पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) तंजानिया के प्रथम उप-राष्ट्रपति और जंजीबार के राष्ट्रपति ने फरवरी, 1973 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान इच्छा व्यक्त की थी कि जंजीवार और पेम्बार क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ साथ, टेलीफोन प्रणाली में आवश्यक सुधारों और अतिरिक्त उपस्कर का अध्ययन करने के लिए, भारत से किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का दल भेजा जाए ।

यह अनुरोध सरकार के विचाराधीन है ।

मैसूर में सीमेंट का कारखाना लगाने के लिए लाइसेंसे देना

5123. **श्री के० मालआ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में सीमेंट के उत्पादन के लिये लाइसेंसों या आशय पत्रों के लिये अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक पार्टी का विस्तार संबंधी आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है । एक अन्य मामले में विस्तार सम्बन्धी प्रार्थना विचाराधीन है और दो अन्य मामलों में आशयपत्र जारी किए गए हैं ।

महाराष्ट्र सरकार का 'वन्दे मातरम्' को राष्ट्रिय गीत घोषित करने का अनुरोध

5125. **श्री मालवी भाई परमार :**

श्री हुकम चन्द कछवाया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 'बन्दे मातरम' को राष्ट्रीय गीत घोषित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जन गण मन राष्ट्रीय गीत (नेशनल एंथम) है । महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि बन्दे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित किया जाये ।

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की बिहार में घुसपैठ

5126. **श्री मालजी भाई परमार :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च 1973 के 'हिन्दुस्तान' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 50 हजार पाकिस्तानी राष्ट्रीय अवैध रूप से बिहार में आ गये हैं ;

(ख) इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार ने सम्बन्धित समाचार देखा है । उलिखित आंकड़े बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिये गये प्रतीत होते हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार जो पहले बिहार सरकार से प्राप्त की गई थी, मार्च, 1971 में बंगलादेश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रारम्भ होने के बाद वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना लगभग 1600 गैर-बंगाली मुस्लमान बंगलादेश से बिहार आये हैं । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून सम्बद्ध उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाती है । भारत-बंगलादेश सीमा पार से किसी अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा भी कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

गोरखपुर मुख्य डाकघर और स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिये भूमि

5127. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर मुख्य डाकघर और स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए योजनानुसार भूमि अर्जित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां तो कब और इन भवनों के निर्माण की प्रगति क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) **1. मुख्य डाकघर**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन गोरखपुर मुख्य डाकघर के लिए भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी की जा चुकी थी और भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे इस भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर रहे हैं। इस मामले पर राज्य सरकार को लिखा गया है । राज्य सरकार के साथ भूमि-अधिग्रहण के मामले में अंतिम रूप से फैसला हो जाने के बाद इमारत बनवाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

2. टेलीफोन एक्सचेंज

1.72 एकड़ जमीन के एक प्लाट का अधिग्रहण 13-9-70 को किया गया था।

टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत बनवाने के लिए टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

6 हजार से भी अधिक कम्युनिस्टों को बिहार से बिना टिकट दिल्ली जाने की अनुमति दिये जाने का समाचार।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लेते हैं। श्री कछवाय।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इससे पहले आप

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमों के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट मामलों को ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में गृहीत किया जाता है। इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में कैसे गृहीत किया जा सकता है, जबकि रेल मंत्री ने इस बात का खंडन कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और मैंने सुना। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, I call the Attention of the Minister of Railways to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported permission given by the Railway Ministry to more than 6,000 Communists to travel without tickets to Delhi from Bihar and other parts of the country to participate in the demonstration before the Parliament House organised by the Communist Party of India on the 27th March, 1973."

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि बिना टिकट दिल्ली को यात्रा के लिये रेल मंत्रालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी ने किसी को कोई अनुमति नहीं दी थी।

27-3-1973 को दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने के लिये भारतीय साम्यवादी दल के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने लगे थे। उनके प्रथम आगमन की सूचना 24-3-73 की सुबह मिली जब 29 अप 83 अप और 13 अप तीन विभिन्न गाड़ियों द्वारा दिल्ली और नयी दिल्ली पहुंचने वाले ऐसे लगभग 240 यात्री टिकट जांच दस्ता द्वारा पकड़े गए। अम्बाला और लखनऊ के रेलवे मजिस्ट्रेटों ने, जो दिल्ली क्षेत्र में क्रियाशील हैं, इन यात्रियों से किराया वसूल करने में हमारी सहायता की। 73 यात्री किराया नहीं दे सके। इनमें से 39 को अदालत उठने तक की सजा दी गई और 34 को जेल भेज दिया गया। आसपास के सभी मंडलों और रेलों को एक संदेश भी भेज दिया गया कि ऐसे यात्रियों पर कड़ी निगाह रखी जाए।

2. 24-3-73 की शाम को ऐसे कार्यकर्ता भारी संख्या में 29 अप, 83 अप और 351 अप सवारी गाड़ियों में चढ़ने के इरादे से लखनऊ स्टेशन पर इकट्ठे हो गए। 351 अप सवारी गाड़ी मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाली 1 एम डी से मेल करती है। धुलाई लाइन से प्लेटफार्म पर रेलों के पहुंचने से पहले ही ये कार्यकर्ता 29 अप और 83 अप के डिब्बों में जा बैठे थे। समझाने-बुझाने पर भी वे गाड़ी से नहीं

उतरे। अंत में, स्थानीय मंडल अधिकारियों ने यह विनिश्चय किया कि प्लेटफार्म पर आ चुके रेलों को धुलाई लाइनों पर वापस ले जाया जाए। रेकों को खाली कराने के लिये मंडल अधिकारियों के प्रयास विफल होने पर, लखनऊ के ज़िला मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिरीक्षक से रेलवे की सहायता करने का अनुरोध किया गया। उनकी सहायता से दो आरक्षित सवारी डिब्बों को खाली कराया जा सका।

3. लखनऊ के ज़िला मजिस्ट्रेट ने जो 24-3-73 को 21.45 बजे लखनऊ स्टेशन के प्लेटफार्म पर मौजूद थे, मंडल अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों को सलाह दी कि रेलवे उन दोनों गाड़ियों को जाने दे जिनमें यात्री पहले ही बैठ चुके हैं, क्योंकि इसमें तनिक भी देर होने से स्थिति काबू से बाहर हो जाने का अंदेशा है।

राज्य सरकार के प्राधिकारियों की इस सलाह को देखते हुए कि उस बड़ी भीड़ को लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण नगर से यथाशीघ्र हटा दिया जाना चाहिये, यथासंभव अधिक-से-अधिक यात्रियों के टिकट चैक करने के बाद गाड़ियों को रवाना होने की अनुमति दे दी गई। इस प्रकार, गाड़ियां कुछ घंटों के विलम्ब के बाद ही रवाना हो सकीं।

4. 25-3-73 की शाम को, एहतियात के तौर पर, लखनऊ मंडल में प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री रोक दी गई तथा स्टेशन के अन्दर जाने वाले व्यक्तियों की छानबीन करने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल की सहायता ली गई। 25-3-73 को लगभग 11 बजे मंडल अधीक्षक और स्थानीय सिविल एवं पुलिस प्राधिकारियों की एक बैठक भी हुई। यह विनिश्चय किया गया कि शाम के समय लखनऊ के बड़ी लाइन और मीटर लाइन स्टेशन में प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री रोक दी गई। साप्ताहिक देहरादून जनता गाड़ी में और डिब्बे लगाए गए और जिन लोगों ने टिकट खरीद लिये थे, उनसे 65 अप साप्ताहिक जनता से यात्रा करने को कहा गया जो दिल्ली जाने वाली 1 एम डी से मेल लेती है। 25-3-73 को 83 अप और 29 अप दोनों गाड़ियां पहले से आरक्षण करा लेने वाले यात्रियों को लेकर ठीक समय पर छूटीं। जो यात्री 24-3-73 को नहीं जा सके थे, उन्हें तत्काल किराया लौटा दिया गया था अगले दिन जगह दे दी गई।

5. इस रैलो में भाग लेने वाली भीड़ की वापसी कल शाम से शुरू हुई। उत्तर रेलवे ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर एहतियाती व्यवस्था की थी और सदाशायी यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हुई। स्टेशनों पर घेरा डाल दिया गया था और प्रवेश करने वालों की जांच-पड़ताल की गई थी। हवड़ा से दिल्ली और वापस हावड़ा को जाने वाली एक विशेष गाड़ी जिसके लिये भुगतान किया गया था, नयो दिल्ली से कल रवाना हुई।

Shri Hukam Chand Kachwa : It is c ear from the statement given by the hon. Minister that people boarded the trains forcibly. People from different parts of the country participated in yesterday's demonstration. The people who have hitherto been supporting the Government, are now compelled to demonstrate against the Government (*Interruptious*)

The former Minister of Railways, Shri Hanumanthaiya, said in this House that a large number of people in Bihar travel without tickets, (*Interruptions*) The District Magistrate of Lucknow has said in his statement that a situation arose there which could not be controlled. May I know the number of tickets issued at Lucknow station for journey to Delhi on that day, the number of people who bought the Platform tickets and also the number of those who bought the tickets but could not travel and how many such passengers returned their tickets ? (*Interruptions*).

The hon. Minister has also said that contact was established from Lucknow with the Minister. The name of the Prime Minister was also dragged into this controversy. (*Interruptions*)

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : The hon. Member is dragging and nobody else. (*Interruptions*)

Shri Hukam Chand Kachwai : A statement of a Market leader of Punjab appeared in an Urdu newspaper "Pradip"....(*Interruptions*)....in which it was stated that the Central Government had instructed the State Governments and the high officials not to interrogate the persons willing to go to Delhi to participate in the demonstration. (*Interruptions*).

On that occasion, special coaches were attached to the trains and special trains were run and I want to know as to how much money collected for that purpose? What steps the Government are going to take to see that no such incidents occur in future (*Interruptious*)

Shri L. N. Mishra : I strongly contradict the statement that contact was established either with the Prime Minister or with me. Being the Minister of Railways, I am responsible for any wrong act and I am prepared to pay the price for that. But there is politics behind whatever is being said. On the 24th instant, 917 passengers intended to travel and 498 passengers out of them returned their tickets. Some of them who could not travel on that day were allowed to travel on the same tickets the very next day. Four special trains from Calcutta to Delhi were reserved for the Communist Party on payment basis. Out of those four trains, one has been utilised by them for their return journey to Calcutta.

I request the hon. Member not to raise such political issues.

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी गई थी तो समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए थे कि रेल विभाग ने 6000 से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी है। अतः इस बात से सदस्यों के मन में विचार आया कि यह तथ्य है या नहीं। अब मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट हो गया है कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी। अतः मैं अब कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य पढ़ा है और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 6000 बिहारी कम्युनिस्टों को बिना टिकट दिल्ली तक यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। (**व्यवधान**) मैं थोड़ी देर के लिये रेल मंत्री के आश्वासन को मानने को तैयार हूं कि उन्होंने 6000 बिहारियों को बिना टिकट दिल्ली आने की अनुमति नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये 6000 बिहारी वापस कैसे जा रहे हैं ? मैं देश के अन्य भागों से आए 30,000 या 40,000 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं।

मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूं कि यह घटना सच्ची है या झूठी। मंत्री महोदय के आश्वासन और वक्तव्य मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। मंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए हैं कि जो लोग वापिस जाएं वे अपने टिकटों के लिये पैसे दें ?

व्यवधान

18,000, 20,000, 50,000—वे तो दो लाख का दावा करते हैं। रेलवे को दो लाख टिकटें एकत्र करनी चाहियें।

क्या मुझे अगले रेल बजट तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब मंत्री महोदय अपने घाटे की घोषणा करेंगे या मुझे अगले एक-दो सप्ताह में मालूम हो जाएगा कि अगले कुछ दिनों में रेल मंत्री कितने टिकट बेच सके हैं ? यदि उस संख्या के कम-से-कम आधे भाग अर्थात् एक लाख टिकट अधिक नहीं दिखाए तो मुझे यही निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं, वे सही हैं और रेल मंत्री ने जो आश्वासन दिये हैं, वे सब व्यर्थ हैं।

(व्यवधान)

श्री एल० एन० मिश्र : यदि श्री पीलू मोदी वक्तव्य का पैरा 6 पढ़ते . . .

श्री पीलू मोदी : मेरे पास जो वक्तव्य है उसमें तो 5 पैरे ही हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : यदि आप चाहें तो मैं इसे पढ़ सकता हूं।

श्री पीलू मोदी : वह गुप्त पैरा है।

श्री एल० एन० मिश्र : हमने नई दिल्ली और दिल्ली स्टेशनों पर घेरा डाल दिया है। हमने स्थानीय पुलिस की सहायता ली है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि कोई भी बिना टिकट यात्री गाड़ी में न बैठने पाए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में 6000 लोगों के बिहार और अन्य स्थानों से आने का उल्लेख है। परन्तु बिहारी या गैर-बिहारी का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : रेल मंत्री ने अपने वक्तव्य में माना है कि दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर 24 मार्च, 1973 को यात्रियों की जांच की गई और जो बिना टिकट पाए गए, उन्हें पकड़ा गया, दंड दिया गया आदि।

क्या रेलवे के कर्मचारियों ने दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर 25 से 27 मार्च के बीच बिना टिकट यात्रा के मामलों का पता लगाया और यदि हां, तो उनसे कितनी राशि वसूल की गई या उनके विरुद्ध क्या अन्य कार्यवाही की गई ?

बिना टिकट यात्रा के परिणामस्वरूप रेलवे को कितना अनुमानित घाटा हुआ ?

इस प्रकार के प्रदर्शनों के लिये क्या रेल मंत्री अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य को बिना टिकट यात्रा नहीं करने दी जाएगी। परन्तु दुर्भाग्यवश इस देश में बिना टिकट यात्रा होती है और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, बिना टिकट यात्रा के कारण हमें प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक का घाटा उठाना पड़ता है।

24 तारीख को 712 और 25 तारीख को 218 व्यक्ति पकड़े गए। किराये के रूप में 24 तारीख को 6,012 रुपये और 25 तारीख को 3,911 रुपये वसूल किये गए। 24 तारीख को 116 और 25 तारीख को 31 आदमियों पर मुकद्दमा चलाया गया। 24 तारीख को 3,095 रुपये और 25 तारीख को 431.70 रुपये का जुर्माना किया गया (**व्यवधान**)।

श्री के० एस० चावड़ा: 26 और 27 तारीख को क्या हुआ?

श्री एल० एन० मिश्र: उसके लिये मुझे सूचना दीजिये क्योंकि उस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

Shri M. C. Daga (Pali) : According to Mahatma Gandhi, means and ends should both be pious. I would like to refer to the news item published in "Hindustan Times", dated 27th March wherein it is stated that Mr. Rao has also admitted that party workers from Bihar have travelled without railway tickets. (*Interruption*). I would like to know from the hon. Minister the number of tickets issued at Lucknow and Patna Railway Station on 24th, 25th and 26th of the month. May I also know whether checking was conducted at any places in the way? May I also know the amount of panalty to be realised from the ticket less passengers? (*Interruption*) Democracy can not be maintained in the country, if law and order situation is disturbed like this. If you have committed a mistake you should realize it.

I would like to know the reasons for which trains were allowed to leave the stations when large number of passengers were reported to have been entered into the compartments without tickets? How many persons were arrested at that time and what was the amount of panalty recovered from such persons?

Shri L. N. Mishra : I have already indicated the amount of panalty recovered from passengers and I do not want to repeat it. Information regarding the number of persons arrested there is not available with me at present. I will supply all the information but for that I require some time.

In view of the unfavourable circumstances at Lucknow, the officers did not think it proper to keep the trains standing there.

Shri K.M. Madhukar - It is not correct that I was instigating the demonstrations to travel without tickets. (*Interruptions*) Jana Sangh do not want to let democracy proper in the country. (*Interruption*)

Shri Atal Bihari Bajpayee : On a points of order, sir, May I know whether the hon. Member is giving personal explanation or he is casting aspersions (*Interruptions*)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन अधिसूचना

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत औरंगाबाद मिल्स लिमिटेड, औरंगाबाद के प्रबंध के बारे में अधिसूचना संख्या सां० आ० 131(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी।

[मंत्रालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4628/73]

संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड 5 के अधीन पत्र और व्याख्यात्मक ज्ञापन आदि

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० ओ० एम० संख्या 615 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमों में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ख) जी० ओ० एम० संख्या 822 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के जारी किये जाने तथा उनके हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 4629/73]

(2) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 को उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश सिविल सेवा (अनुशासनिक कार्यवाही न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 862 की एक प्रति, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश सिविल सेवा (अनुशासनिक कार्यवाही न्यायाधिकरण) नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना जारी किये जाने तथा उसका हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी० 4630/73]

(3) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 205 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4631/73]

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4632/73]

संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अधीन पत्र

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन दिनांक 28 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 181(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के उपखण्ड (एक) (ग) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च, 1973 को जारी किये गए आदेश की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 182(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए दिनांक 27 मार्च, 1973 के प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 4633/73]

मैं अंग्रेज़ी संस्करण सभा-पटल पर रखता हूं। हिन्दी संस्करण तैयार हो रहे हैं तथा बाद में रख दिये जाएंगे।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सभा को सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को विनियोग (रेल) विधेयक, 1973, जो लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1973 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1973, जो लोक सभा द्वारा 21 मार्च, 1973 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

25वां प्रतिवेदन

श्री वीरेन एंगती (दीफू) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 25वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

75वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुटबकोणम) : महोदय, मैं औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार (औद्योगिक विकास विभाग), स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास (दिल्ली विकास प्राधिकरण) मंत्रालयों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 और 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदनों (सिविल) पर लोक लेखा समिति का 75वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मणिपुर की घटनाओं के बारे में

RE: DEVELOPMENTS IN MANIPUR

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमयड हार्बर) : महोदय, आज के 'इंडियन एक्सप्रेस' में चकित कर देने वाला एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें मणिपुर के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि अलीमुद्दीन सरकार ने इस कारण त्यागपत्र नहीं दिया है कि उसे बहुमत प्राप्त नहीं था, वरन् इसका कारण यह है कि कुछ सदस्यों का अपहरण कर लिया गया तथा उन्हें लगभग 60 किलोमीटर दूर करंग के पहाड़ी इलाके में शिविरों में बंदी रखा गया तथा उन पर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस का कड़ा पहरा रखा गया और उनसे उनकी पत्नियों तथा सम्बन्धियों को भी नहीं मिलने दिया गया। महोदय, सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रजातंत्र प्रणाली का इस प्रकार अपहरण किया जा रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि यह अत्यंत गम्भीर मामला है **(व्यवधान)**।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस प्रकार की घटनाएं बहुत जल्दी-जल्दी घट रही हैं। मैंने जब यह समाचार पढ़ा तो मैं हतप्रभ रह गया। समाचार पत्र के अनुसार कुछ सदस्यों का वास्तविक रूप से अपहरण किया गया। सरकार ने इस समाचार का अभी तक कोई खण्डन नहीं किया है। महोदय, आप मंत्री महोदय से इस बारे में संक्षिप्त वक्तव्य देने को कहिये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : राज्यपाल का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है तथा इसमें सभी तथ्य दिये गए हैं। इस बारे में सभा को वाद-विवाद करने का अवसर भी मिलेगा।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिलों के लिए सिंचाई योजना के बार में

RE : IRRIGATION SCHEME FOR PURULIA AND BANKURA DISTRICTS OF WEST BENGAL

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : बंगाल के पुरुलिया तथा बांकुरा जिलों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्र तथा केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के आदेशों के अनुसार लगभग 850 लाख रुपयों की लागत की अपर बांसवती परियोजना की योजना केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को प्रस्तुत कर दी है। दिनांक 8-3-1973 को कुछ अपेक्षित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर दिये गए हैं। मेरी मांग है कि उक्त आयोग इस योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री इस पर एक वक्तव्य दें।

कोयला खान प्रबन्धक ग्रहण विधेयक

COAL MINES (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला उत्पादन के युक्तिपूर्ण और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिये, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने तक, लोक हित में, उनके प्रबन्ध ग्रहण और उससे सम्बंद्धी या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :—

"Clause 7

(i) That at page 8 line 16, for the word 'from' the words 'in relation to' be substituted,

(ii) That at page 8, after line 19, the following be inserted :—

'(5) All sums deducted under sub-section (4) shall, in accordance with such rules as may be made under this Act, be credited by the Central Government to the relevant fund or paid by that Government to the persons to whom the said sums are due, and on such credit or payment, the liability of the owner in respect of the amount of arrears due as aforesaid shall to the extent of such credit or payment, stand discharged. "

"**खण्ड 7**:

[(एक) कि पृष्ठ 8, पंक्ति 41, "ऐसी निधि में से" के लिये "ऐसी निधि के सम्बन्ध में" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

(दो) कि पृष्ठ 8, पंक्ति 45 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाए, अर्थात् :—

'(5) उपधारा (4) के अधीन काटी गई सभी रकमें, ऐसे नियमों के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा सुसंगत निधि में जमा कर दी जाएंगी अथवा उस सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को दे दी जाएंगी जिन्हें उक्त

रकमें देय हों और इस प्रकार उनके जमा किये जाने या दे दिये जाने पर यथापूर्वोक्त देय बकाया रकम के सम्बन्ध में स्वामी का दायित्व, ऐसी जमा की गई या दी गई रकमों तक, उन्मोचित हो जाएगा'।"]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला उत्पादन के युक्तिपूर्ण और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिये, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने तक, लोक हित में, उनके प्रबन्ध ग्रहण और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :—

"Clause 7

(i) That at page 8 line 16, for the word 'from' the words 'in relation to' be substituted,

(ii) That at page 8, after line 19, the following be inserted, namely :—

'(5) All sums deducted under sub-section (4) shall, in accordance with such rules as may be under this Act, be credited by the Central Government to the relevant fund or paid by that Government to the persons to whom the said sums are due, and on such credit or payment, the liability of the owner in respect of the amount of arrears due as aforesaid shall, to the extent of such credit or payment, stand discharged. "

"खण्ड 7

[(एक) कि पृष्ठ 8, पंक्ति 41, "ऐसी निधि में से" के लिये "ऐसी निधि के सम्बन्ध में" **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(दो) कि पृष्ठ 8, पंक्ति 45 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तः स्थापित** किया जाए, अर्थात् :—

'(5) उपधारा (4) के अधीन काटी गई सभी रकमें, ऐसे नियमों के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा सुसंगत निधि में जमा कर दी जाएंगी अथवा उस सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को दे दी जाएंगी जिन्हें उक्त रकमें देय हों और इस प्रकार उनके जमा किये जाने या दे दिये जाने पर यथापूर्वोक्त देय बकाया रकम के सम्बन्ध में स्वामी का दायित्व, ऐसी जमा की गई या दी गई रकमों तक, उन्मोचित हो जाएगा'।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"Clause 7

(i) That at page 8, line 16, for the word 'from' the words 'in relation to' be substituted.

(ii) That at page 8, after line 19, the following be inserted, namely :—

'(5) All sums deducted under sub-section (4) shall, in accordance with such rules as may be made under this Act, be credited by the Central Government to the relevant fund or paid by that Government to the persons to whom the said sums are due, and on such credit or payment, the liability of the owner in respect of the amount of arrears due as aforesaid shall, to the extent of such credit or payment, stand discharged. ' "

"खण्ड 7

[(दो) कि पृष्ठ 8, पंक्ति 45 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(5) उपधारा (4) के अधीन काटी गई सभी रकमें, ऐसे नियमों के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा सुसंगत निधि में जमा कर दी जाएंगी अथवा उस सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को दे दी जाएंगी जिन्हें उक्त रकमें देय हों और इस प्रकार उनके जमा किये जाने या दे दिये जाने पर यथापूर्वोक्त देय बकाया रकम के सम्बन्ध में स्वामी का दायित्व, ऐसी जमा की गई या दी गई रकमों तक, उन्मोदित हो जाएगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री एस० मोहन कुमारमंगलन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गए संशोधनों पर सहमति दी जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गए संशोधनों पर सहमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

अनुदानों की मांगे, 1973–74

DEMANDS FOR GRANTS 1973—74

गृह मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में गृह मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 46 से 57 पर चर्चा की जाएगी । इसके लिये आठ घंटे का समय निर्धारित किया गया है । जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे 15 मिनट में अपनी पर्चियां भेज दें ।

गृह मंत्रालय की वर्ष 1973-74 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
46.	गृह मंत्रालय . .	1,44,69,000
47.	मंत्रिमंडल	83,51,000
48.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	4,14,18,000
49.	पुलिस	1,02,32,47,000
50.	जनगणना	2,89,83,000
51.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय .	56,07,43,000
52.	दिल्ली	65,21,00,000
53.	चण्डीगढ़	8,00,91,000
54.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	11,52,91,000
55.	अरुणाचल प्रदेश . .	14,50,66,000
56.	दादर और नागर हवेली . .	62,97,000
57.	लक्षीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	1,88,91,000

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

श्री सरोज मुखर्जी (कटवा) : महोदय, गृह मंत्रालय के गत वर्ष के कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए मैं इस मंत्रालय की मांगों का पूर्णतः विरोध करता हूं।

वास्तविकता यह है कि मंत्रालय ने गलत विवरण प्रस्तुत किये हैं तथा धनराशि को उन कार्यों पर खर्च नहीं किया जिनके लिये नियत की गई थीं। भारत का विगत इतिहास सराहनीय तथा गौरवपूर्ण रहा है, किन्तु आज सम्पूर्ण देश में काले धन, चोरबाजारी, नारी जाति और पिछड़े वर्गों के शोषण, हिंसा तथा गरीबी का बोलबाला है। क्या कारण है कि ऐसे समाज विरोधी तत्वों को पनपने दिया जाता है, जो हमारी लड़कियों, बहिनों का अपहरण और अपमान करते हैं? इन असफलताओं के कारण सरकार का लज्जा से सर नीचा हो जाना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी एक विशेष तर्क का सहारा लेती हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है तथा इतने बड़े देश में अनेक समस्याएं आती रहती हैं। उनका यह भी तर्क है कि विकासशील देश के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां आती ही हैं। यह तर्क उसी प्रकार का है जैसे यह कहा जाए कि बच्चा बड़ा हो रहा है अतः उसे रोगी होना ही चाहिये। यदि गम्भीरता से सोचा जाए तो देश की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी की समस्या ही अन्य अनेक समस्याओं की जननी है। अतः कृषि, उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्रों में साथ-साथ प्रगति की जानी चाहिये थी। गृह मंत्रालय सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और यदि वह

कार्यकुशलता से कार्य करे तो योजना, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में स्वतः विकास होने लगे। सरकार कभी विपक्षी दलों को दोष देती है, कभी नौकरशाहा को और कभी अपने कर्मचारियों को। वास्तव में सरकार की नीतियां ही लोक हितों के प्रतिकूल हैं। अतः अधिकारी और कर्मचारी इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं ? अतः हमारी मांग है कि देश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के सभी बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए अथवा उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए।

तीन दिन पूर्व के 'ब्लिट्ज़' में श्री के० ए० अब्बास ने नौकरी पेशा उन तीन लड़कियों की दुःखद घटना का हवाला दिया है जिनके शव कुएं में पड़े पाए गए। हमारे देश में इस समय ऐसी घटनाएं घटती हैं। हम चाहते हैं कि अपनी मांगें पेश करने के लिये आने वाले लोगों, छात्रों आदि को गिरफ्तार करने, उन पर लाठी-चार्ज करने आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। वे लोग आपसे रोटी, कपड़ा तथा वस्त्र मांगते हैं और आप पुलिस भेज कर उन पर आंसू-गैस छोड़ते हैं, लाठियां चलाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, यह तो दमन की नीति है। श्री ज्योति बसु जब पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार में गृह मंत्री बने तो उन्होंने कह दिया था कि पुलिस को सार्वजनिक प्रदर्शनों या आंदोलनों में कोई कार्यवाही करने का हक नहीं होगा। परन्तु इसके पश्चात् क्या हुआ ? कुछ भ्रष्ट तथा स्वार्थी अधिकारियों ने चारों ओर भ्रष्ट तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों को कत्ल कर देने की खुली छूट दे दी ताकि हमारी सरकार को गिराया जा सके। इस कार्य का नेतृत्व यहां से इन्द्रा जी द्वारा किया गया। यहां से नौकरशाहों तथा पुलिस ने यह सब षड्यंत्र रचाया वरना तो वहां स्थिति बिलकुल ठीक-ठाक थी।

अब मैं राष्ट्रीय अखण्डता, क्षेत्रीय स्वायत्ता तथा भाषायी समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगा। आंध्र तथा आसाम की समस्याओं को हल नहीं किया जा रहा है। सरकार ने आसाम के मामले में कोई कारगर कार्यवाही नहीं की जबकि केन्द्र में तथा वहां राज्य में भी कांग्रेस का ही शासन है। भाषा के प्रति लगाव के बारे में कामरेड लेनिन तथा महान स्टालिन ने कहा है कि मनुष्य की भाषायी, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक भावुकता को बदलने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। ये बड़ी नाज़ुक बातें होती हैं और इनके बारे में बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण सावधान तथा सतर्क होकर कार्यवाही करनी होती है।

भारत में 227 भाषाएं हैं जिनमें से केवल 19 भाषाओं की अपनी लिपि है। गृह मंत्री को चाहिये कि वे सभी भाषाओं के विकास की व्यवस्था करें जिसके लिये आदिवासी लोग वर्षों से चिल्ला रहे हैं। कुछ दिन पूर्व त्रिपुरा के संसत्सदस्यों ने आदिवासी लोगों के लिये एक क्षेत्रीय परिषद् बनाने का अनुरोध किया था, परन्तु सरकार इस बारे में क्या कर रही है। आप इसका हल सोचने की बजाय ऐसे नाज़ुक मामलों को उठने देते हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि आपने गत सात वर्षों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये भी कुछ नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार रोज़गार के मामले में सारे भारत में अनुसूचित जातियों के केवल 2500 तथा अनुसूचित जनजातियों के केवल 4700 व्यक्तियों को ही प्रति वर्ष रोज़गार मिल रहा है। इससे स्पष्ट है कि इन जातियों के लोगों को यथेष्ट संख्या में सरकारी कार्यालयों में भर्ती नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार मुस्लिम लोगों की संख्या में भी निरन्तर कमी होती जा रही है। भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों का भी यही हाल है। उनकी सहायता करने की बजाय आप उन्हें परस्पर लड़ाते हैं। यह सत्य है। इसीलिये मैं इस मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं। इस मंत्रालय ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया है।

साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में भी सरकार ने अपना उपेक्षापूर्ण रवैया ही प्रदर्शित किया है। वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में क्रमशः 521, 321 तथा 240 ऐसी घटनाएं घटीं फिर भी आप कहते हैं कि स्थिति सुधर रही है जोकि सही नहीं है।

गत वर्ष चर्चा के समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि कमज़ोर वर्ग को सुदृढ़ किया जाएगा तथा उनके विकास के लिये हर संभव मार्ग ढूंढा जाएगा। परन्तु हम देखते हैं कि ठीक उसके विपरीत हुआ है। आज एक गुट दूसरे गुट से लड़ रहा है। आंध्र में भी यही हो रहा है। देश की विभिन्नता में अखंडता को बनाए रखने हेतु सरकार को चाहिये कि वह विभिन्न समस्याओं को शीघ्रता से हल करे।

मेरा सुझाव है कि इन सभी समस्याओं के हल के लिये सरकार सभी दलों की एक संसदीय समिति गठित करे। यह समिति एक वर्ष के भीतर इन सभी समस्याओं के बारे में अपनी सिफारिशें करे तथा सरकार तुरन्त इन्हें क्रियान्वित करे।

कानून और व्यवस्था के बारे में, स्वयं श्री पन्त ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में सबसे अधिक अपराध होते हैं। इसके पश्चात् कानपुर, बंगलौर तथा कलकत्ता का नम्बर आता है। इन घटनाओं में महिलाओं के साथ बलात्कार, नर्सों की हत्या, मिरान्डा हाऊस की घटना जैसी घटनाएं शामिल हैं। परन्तु सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि रवीन्द्र सरोवर की घटना को बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित करके सरकार ने पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया। दिल्ली की घटनाओं के बारे में देखिये आपको शर्म आ जाएगी।

आन्ध्र में क्या हुआ ? जब स्थिति सामान्य होने लगी तो केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस ने कुडप्पा में गोली चला दी। केरल में अराजपत्रित अधिकारियों के आन्दोलन को दबाया गया। वहां स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। यहां तक कि एक भूतपूर्व संसत्सदस्य श्री जनार्दनन को पुलिस अधिकारियों ने थप्पड़ मारे। पश्चिम बंगाल में दिन-दहाड़े एक भूतपूर्व महापौर का घर लूट लिया गया। मगर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। हालांकि पश्चिम बंगाल विधान सभा के 21 कांग्रेसी सदस्यों ने भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। पश्चिम बंगाल में अपराधों के मामले निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इनके कारणों का पता क्यों नहीं लगाती। शासक वर्ग समाज-विरोधी तत्वों को प्रोत्साहित कर रहा है। पुलिस को हत्या, बलात्कार आदि करने की पूरी छूट मिली हुई है। गत वर्ष एक महिला श्रीमती गीना चैटर्जी अपने बच्चों को गोद में लिये प्रधान मंत्री से मिलीं। उसके पति की हत्या कर दी गई थी तथा स्वयं उसके साथ शासक दल के लोगों ने बलात्कार किया था। प्रधान मंत्री ने हालांकि उसे आश्वासन दिया था कि उचित कार्यवाही की जाएगी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कुछ महीने हुए, श्री ज्योतिर्मय वसु तथा श्री ज्योतिबसु की बैठकों को भंग किया गया। यद्यपि कांग्रेसी सदस्यों ने भी इस कृत्य की निन्दा की तथा प्रधान मंत्री ने भी कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं, परन्तु तीन महीने से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। **(व्यवधान)**

इसीलिये हम कहते हैं कि हिंसा तथा उपद्रवों की कार्यवाही शासक दल के लोग ही कराते हैं, जबकि इन्द्रा जी कहती हैं कि हिंसात्मक कार्यवाही करना तो विपक्ष का काम है। हम समझते हैं कि जनता कभी हिंसात्मक कार्य नहीं करती बल्कि आन्दोलनों तथा प्रदर्शनों द्वारा अपनी मांगें पेश करती है। इतिहास बताता है कि सदैव शासकवर्ग ही हिंसात्मक रवैया अपनाता है। आप यह प्रतिबंध लगा दीजिये कि पुलिस लोगों पर आक्रमण नहीं करेगी और फिर देखिये कि स्थिति किस प्रकार सुधरती चली जाती है।

आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र तथा संसदीय लोकतंत्र का विघटन किया जा रहा है। गत एक वर्ष में विपक्ष तथा लोकतंत्र में विश्वास करने वाले वाम-पंथी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आज कितने ही किसान तथा मजदूर जेलों में पड़े हैं और वहां उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं। 301 लाठी-चार्ज, 91 बार गोली चलाने तथा राजनैनिक हत्याओं के भी अनेक मामले हुए। वर्ष 1972 के चुनावों के बाद

पश्चिम बंगाल में 79 राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। ये गत वर्ष के आंकड़े हैं। समाज-विरोधी तत्वों का बोलबाला है तथा कांग्रेस के विरुद्ध बोलने वाले को जान से मार डालने तक की धमकी दी जाती है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, सरदार पटेल तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री भी गृह मंत्री रहे हैं तथा उन्होंने सदा ही विपक्ष का सम्मान रखा है। यहां तक कि जेलों में भी विपक्ष के लोगों को विशेष दर्जा दिया जाता था। ये नेता पुरानी कांग्रेस के थे परन्तु वर्तमान गृह मंत्री श्री पन्त तथा उनके सहयोगी दल-बदलू नई कांग्रेस के लोकतंत्र का मान रखना नहीं चाहते। इससे तो देश में लोकतंत्र नहीं रह सकेगा।

उपाध्यक्ष : महोदय श्री **सतपाल कपूर** :

Shri Sat Pal Kapoor (Patiala) : Sir, in view of the conditions which the C.P.M. and their allies, *viz.* Jan Sangh, Swatantra and others create in our country, I do not think the suggestion made by Shri Saroj Mukherjee for stopping the use of CRP and also lathi charge do not hold water. These parties are engaged in or support or cause violent and destructive activities, create tensions and communal conflicts in the name of language and religious and regions. Therefore, to deal with forces of destructions and division, deployment of CRP has became necessary. The Jana Sangh party has been having a dual policy. They had all along been asuing for a strong centre but now they ask for a new state Re-organisation Commission and demand for dividing the country into 60 small states, so that even the little units like districts, regions, communities, etc. are disturbed. And then this party would get another opportunity to denounce the Government of Mrs. Indira Gandhi to whom they would attribute this action their object is only to weaken the Government in any way possible for them.

Secondly, they want to create an atmosphere in which people at large may start beleiving that the progress of the country has come to a stand-still. Five year Plans have flopped and the check on the rising prices is impossible . They have given undue publicity to the rise in prices, but when the Government took steps, like that of taking over whole-sale trade of foodgrains, they opposed the measure and incited not only the traders to strike but also created so many other obstacles. The opposition thus want that the traders should not be touched and be allowed to have their own way. Why do the Jana Sangh not oppose and Criticise the traders when even maize is caused to be sold at Rs. 120/- per quintal in Delhi whereas we sell it at Rs. 55 or 60 per quintal in Punjab? Thus we find that the Jana Sangh sympathises with the traders and black-marketeers whenever Government initiate any action against them.

Although we have effected as number of reforms in our country yet we cannot take the fullest advantage thereof until we properly tune and control our bureaucracy. I, therefore, suggest a change in the examination system of the Public Service Commission, particularly in respect of our Administrative Service's which should contain the spirit of the rule of life. At present our I.A.S., I.F.S. and I.P.S. services have got the personnel coming from big cities, big universities and public Schools and they do not know the problems of rule of life. Therefore 25 per cent of the posts in these services should be reserved for the persons belonging to rural life. M.A. should be the minimum qualifications

and also a minimum percentage of marks should be fixed. Rural people know more about the mass problems. They know more about how to control floods, use new kinds of seeds and fertilisers. Therefore, they would be able to handle the administration of the country more efficiently and effectively.

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : Ministry of Home Affairs plays a very vital role in respect of our security and also in respect of our minorities in India. But, unfortunately, this year has been very bad for the Muslims and Harijans, since they were subjected to indescribable torture and harassment at the hands of the majority Community. At several places, the houses of the Harijans were burnt and the Muslims were looted and they alongwith their innocent kids were murdered. Such atrocities were no doubt done at the instance and instigation of the Jana Sangh, but all was done with the connivance and under the supervision of the police. Naunari and Sajni in Azamgarh district of U.P. were the principal venues for such happenings. Several hon. Members of this House themselves visited these areas and ascertained the facts. It is therefore, a matter of shame, for our Ministry of Home Affairs, which on the one hand organises National Integration Conferences and takes a vow to take immediate actions in such matters and on the other hand does not care even to transfer the District Majistrate of these areas and the S.P. who have been clearly found responsible for those unfortunate incidents. How can then the minorities be protected and national integration brought about ? Similarly, the incident in Basti district was deplorable wherein the police themselves indulged in looting and arson of the houses of the Harijans and the minorities who look for the protection and security to the police. But, contrary to this, the S.D.M. laid the foundation stone of the Temple constructed by a habitual riot-creater on the Government land in Gaunda. In another case, the Deputy Commissoner of Lucknow Shri D.D. Joshi, I.A.S. issued a notice against the Editor of 'Beeswin Sadi' Shri Ram Rakha Mal Khushtar Grami, alleging that the latter had insulted Guru Golwalkar, who is universally loved and respected by Hindus at large . May I know how Shri D.D. Joshi claimed to be the defender of the R.S.S. leader Guru Golwalkar ? This shows how such persons are sabotaging the secular and democratic set up of the country.

The elections are ahead in U.P. and the Jana Sangh and the Muslim Majlis have formed an alliance. The former have started championing the cause of Urdu which they had been branding as a Pakistani language with all Muslims as the traitors for India thus, their double standards are just to mislead the persons who believe in democracy, and create confusion. Similarly, Dr. Faridi of Muslim Majlis has been giving a clear certificate to Jana Sangh in respect of riots in U.P. Thus, their main purpose is to mislead the Hindus and Muslims of U.P. and thereby gain political advantage in the forthcoming elections there.

Then, a lacuna has been allowed in respect of Food grain take over whereby the traders can purchase 20 quintals at a time and this lacuna gives enough scope for sabotaging the entire purpose of the measure. Large quantities of food grains were recovered from Modi Flour Mills but Shri Modi was released on bail. May I know why D. I. Rs. were not invoked against him? Many persons have been put into jails in the name of their being Naxalites or so, but the real hoarders, blackmarketeers are allowed to go scotfree. Is it justice.?

Another point of injustice is in respect of these people of Pakistan who had sought asylum in India as a result of being the victims of Yahya Khan's atrocities. Although the role of our Indian forces was praiseworthy as they very honestly and sympathetically handed those people over to the Government of India, but they have been put into jail. How far is it just ? They have been treated at par with the POWs and separated from their children and wives. Why don't you release them on bail if some one comes to stand for them.? Similarly, let Bangla Desh take away those POWs whom she wants to prosecute and let others be allowed to go back from India. We should shown some human sympathy.

Today, quite a number of communal organisations and also quite a good number of officers in different capacities are creating hatred against the democratic Government of Mrs. Indira Gandhi. In Bombay, the Muslims are being forced to recite *Vande Matram.* Shiv Sena is behind all the violence, and this organisation is getting full support for the Government there. Their processions are the medium of looting and arson. They claim that only Maharashtrians can live in Bombay and the rest should be shunted out. The authorities take no notice of such activities.

Then, there exist many undemocratic provisions in the Aligarh Muslim University Act. Vice-chancellor has been given unlimited powers and the Board exists only as an Advisory body. I demand that nomination-system should be done away with. All the universities should have some set of Rules and Regulations.

Several times it was demanded that the Muslim Personnel law should be amended. I think that it is neither necessary nor desirable. Such an action would create suspicion and fear in the minds of people of minorities, Nobody should think of changing the religions convictions and beliefs of any Community. How are you to change the principles of any religion or shariat ? If you want to bring about any change, first you educate the people about the validity and necessity of such a change and if the minorities themselves ask for that change, then only you welcome it. At present, the Muslims do not want any change in their personal law and they should not be forced for it.

Urdu is not being given its due status in the union Territory of Delhi despite repeated demands therefor not only by Muslims but Hindus also. Quite a number of my friends here have been struggling for securing the proper status for Urdu. But the Government are paying no heed to this demand. Non-urdu teachers are being deployed in Urdu Schools. Syllabii have also not been revised there as was recommended in the National Integration conference. On the contrary, fictitious stories are being published in Panchjanya, Motherland, Organiser, Pratap, etc. How can then you expect unity between the Hindus and the Muslims ?

It is a matter of great shame and sorrow that even after 25 years of our Independence sale and purchase of women and children still go on throughout the country, particularly in Delhi.

Men and women have been given equal rights in our country. But in Indian Airlines and Air India, an air hostess is removed from Service as soon as she gets married. Why so ? Such an unjustice should be eliminated.

The Government should not play with the sentiments of the masses. The people would not permit your bureaucracy to functions arbitrarily.

Finally, I demand a separate Ministry to look after the interests of the Harijans and Minorities in India and Minister in charge for that Ministry should be a non-controversial figure or let the Prime Minister herself look after that.

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं, पर मंत्रालय के प्रतिवेदन में मुझे यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि इसमें सभी तथ्यों का निरूपण नहीं हुआ ।

[**श्री के० एन० तिवारी** पीठासीन हुए]
Shri K.N. Tiwari *in the Chair*

इसमें आसाम के भाषायी दंगों और देश में विद्यमान छात्र असंतोष का जिक्र किया गया है, पर दक्षिण की घटनाओं का कोई जिक्र नहीं हुआ है। मैं यह मानता हूं कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, पर मेरे राज्य में आतंक का साम्राज्य है। सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम तो कई चीज़ों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु हमारे द्रविड़ मुनेत्र कसगम के साथियों ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण किया है।

श्री जी० विश्वनाथन : यह** केन्द्रीय सरकार पूर्णरूप से भ्रष्ट है और अपने दोष को छिपाने के लिये वे दूसरों पर आरोप लगाते हैं।

श्री के० गोपाल : मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच की जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो वहां विद्रोह उठ खड़ा होने का डर है। **(व्यवधान)** और इसकी ज़िम्मेदारी केन्द्र की होगी। अतः जब तक कोई उसमें रोक नहीं लगाएगा वहां के लोग सुरक्षित नहीं माने जाएंगे **(व्यवधान)**। इन भ्रष्ट लोगों को जब तक मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाएगा, तब तक दोष-रहित समाज की स्थापना नहीं हो सकती।

नक्सलवादियों के साथ जेलों में सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिये; आखिर ये युवा लोग एक सामाजिक परिवर्तन ही तो चाहते हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, नौकरशाही से बचा नहीं जा सकता। इसके बिना काम नहीं चलाया जा सकता। अतः आवश्यकता उसे सुधारने की है न कि उसे दोष देने की। इसके लिये उन्हें बिल्कुल भिन्न प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

आई० पी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों के साथ समान व्यवहार नहीं होता। मैं आई० ए० एस० अधिकारियों का विरोधी नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आई० पी० एस० अधिकारियों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये।

हरिजन कल्याण के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि हरिजनों की कालोनियों को गांवों अथवा कस्बों से बाहर नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करके हम फिर उन्हें मुख्य समाज से पृथक् कर देंगे।

समाचार पत्रों में रंग के आधार पर वधु चाहने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई जानी चाहिये।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the chair.

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : गृह मंत्रालय में ब्रिटिश काल में बनाए गए मूलभूत नियमों के आधार पर ही कार्य हो रहा है। ये नियम अब पुराने पड़ चुके हैं। इन नियमों में कुछ ऐसे स्थानों का ज़िक्र है जो अब भारत में न होकर पाकिस्तान अथवा बर्मा में हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने पुराने और समयातीत नियमों को बदलने में क्या कठिनाई आड़े आ रही है। इसके लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की नियुक्ति की जाए। क्योंकि इन नियमों से अलग जाकर मंत्रालयों में कुछ नहीं होता। यह एक साम्राज्यवादी दस्तावेज़ है, अतः इन्हें तुरन्त समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

मेरे मित्र श्री गोपाल ने ठीक ही कहा है कि तमिल नाडु मंत्रिमंडल के कार्यकलापों की जांच की जानी चाहिये। हरियाणा के मुख्य मंत्री पर जो मारुति के मामले को लेकर अनेक आरोप लगाए जाते हैं, उनकी भी जांच की जानी चाहिये।

मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करके निर्णय करें कि क्या इस जांच के कार्य को एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपा जा सकता है। यदि उस जांच के आधार पर कोई वास्तविक मामला बन सकता है तो सम्बन्धित मंत्रियों अथवा मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध दाण्डिक जांच के आदेश दिये जा सकते हैं। अतः यदि गृह मंत्री महोदय इस विचार से सहमत हैं तो द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम मंत्रिमण्डल पर ए० डी० एम० के और साम्यवादी दल ने जो आरोप लगाए हैं, उनकी जांच की जानी चाहिये। लोगों के मन में विद्यमान इस सन्देह को कि तमिल नाडु सरकार में अनैतिक और भ्रष्ट लोग हैं, दूर किया जाना चाहिये।

तमिल नाडु के मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि का कहना है कि केन्द्र को उनकी जांच करने का अधिकार नहीं है, जबकि श्री मिर्धा ने एक बार कहा था कि केन्द्र को ऐसा अधिकार है। अतः मैं श्री दीक्षित से साफ-साफ यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र को यह अधिकार है अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं कि केन्द्र को यह अधिकार संविधान तथा जांच आयोग अधिनियम, दोनों के अनुसार प्राप्त है। श्री बंसी लाल इसके प्रमाण हैं।

अन्त में, मैं राजधानी दिल्ली में अपराध, लूट, आतंक, बलात्कार आदि के मामलों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस ओर कई बार गृह मंत्रालय का ध्यान खींचा गया है, पर उस दिशा में कुछ किया नहीं गया है।

देश की जनता के जीवन की रक्षा करना आपका मूलभूत कर्त्तव्य है। विशेषकर महिला विद्यार्थियों का जीवन खतरे में है। उनका अपहरण किया जा रहा है। इससे राजधानी में स्थित विदेशी दूतावासों के लोगों के मन में भारत के प्रति गलत धारणा बनेगी।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि पुराने पड़ गए नियमों के स्थानों पर नये नियम बनाए जाने चाहिये। इसके बिना देश में समाजवाद नहीं लाया जा सकता। सरकार को चाहिये कि वह श्री बंसी लाल और श्री करुणानिधि के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिये जांच आयोग की नियुक्ति करे। इससे जनता में व्याप्त गलत धारणाएं मिट सकेंगी।

गृह मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
46	5	श्री ज्योतिर्मय बसु	"नेपाली" को भारतीय संघ की एक राजभाषा के रूप में मान्यता देने से इन्कार करके दार्जिलिंग ज़िले के नेपाली भाषी लोगों की इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं का आदर करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
46	6	,,	छात्र और अध्यापक के बीच देशव्यापी बेचैनी के मूलभूत कारणों को न समझना और इसे कानून और व्यवस्था की एक साधारण समस्या मानना।	,,
46	7	,,	स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर आसाम में भाषा की समस्या को हल करने के लिये आवश्यक कदम उठाने में असफलता।	,,
47	14	,,	(एक) मंत्रिपरिषद् (15 लाख रुपये); और (दो) प्रधान मंत्री सचिवालय (दस लाख रुपये) पर व्यय कम करने की आवश्यकता।	राशि में से 25,00,000 रुपये घटा दिये जाएं।
47	15	,,	पश्चिम बंगाल के मामलों में, जहां सत्तारूढ़ दल ने राज्य-तंत्र के साथ मिलकर आतंक मचा रखा है और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के हज़ारों कार्यकर्ताओं को उन क्षेत्रों में जाने से रोका गया है जहां उनके निवास स्थान हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने से इन्कार।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
47	16	,,	मंत्रिमण्डल सचिवालय के और प्रधान मंत्री सचिवालय के अधीन अनुसंधान तथा विश्लेषण शाखा (आर० ए० डब्ल्यू०) के कर्मचारियों का उत्पीड़न।	,,
47	17	,,	निम्नलिखित विषय, अर्थात्—संसद् सदस्यों के अधिकारों पर सरकार द्वारा उत्तरोत्तर प्रहार। यह लोक सभा की तथा विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की संख्या में की गई कमी से स्पष्ट है।	,,
48	18	,,	हरियाणा के मुख्य मंत्री, श्री बंसी लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक आयोग नियुक्त करने में सरकार द्वारा इन्कार।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
48	19	श्री ज्योतिर्मय बसु	हाल ही में चिथड़ों सम्बन्धी घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शीघ्र जांच करवाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
48	20	,,	सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार रोकने के लिये कड़े उपाय अपनाने की आवश्यकता।	,,
48	21	,,	गर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये जिन परिस्थितियों में एक विशिष्ट व्यक्ति अर्थात्, प्रधान मंत्री के पुत्र को आशयपत्र दिया गया, उनकी जांच कराने के लिये एक जांच आयोग, जिसका सभापति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, शीघ्र नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,
48	22	,,	गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने वाली फर्म, मारुति एण्ड को० लिमिटेड, हरियाणा के मामलों की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम के अधीन एक आयोग नियुक्त करने की शीघ्र आवश्यकता।	,,
49	26	,,	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को 34,30,21,000 रुपये की लागत पर बनाए रहने की अवांछनीयता, क्योंकि विधि और व्यवस्था एक राज्य विषय है।	राशि में से 34,30,21,000 रुपये घटा दिये जाएं।
51	30	,,	गुप्तचर विभाग पर अनावश्यक व्यय जिसका बजट पत्रों में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और जो मुख्यतः विरोधी दलों तथा लोकतंत्रीय आंदोलनों के विरुद्ध है।	राशि में से 8,94,88,000 रुपये घटा दिये जाएं।
51	31	,,	अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ठोस उपाय अपनाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
51	32	,,	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की निहित स्वार्थों द्वारा दमन, उत्पीड़न और शोषण से रक्षा करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
47	33	श्री ज्योतिर्मय बसु	प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सत्तारूढ़ दल द्वारा, जो कि अर्ध-फासिस्टवादी एक दल की तानाशाही स्थापित कर रहा है, श्रम जीवी लोगों की नागरिक स्वतन्त्रता तथा उनके लोकतंत्री अधिकारों का दमन।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाए।
47	34	,,	सत्तारूढ़ दल द्वारा व्यक्तिगत और दल के हितों के हेतु सरकारी शासन व्यवस्था का उपयोग किया जाना।	,,
47	35	,,	केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद सदस्यों के अधिकारों पर सब ओर से प्रहार, जो कि लोक सभा, राज्य सभा और विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध परामर्श-दात्री समितियों की बैठकों की संख्या कम कर दिये जाने से स्पष्ट है।	,,
48	36	,,	राजस्व आसूचना निदेशालय की गतिविधियां।	,,
49	37	,,	श्रमिकों, किसानों, सफेदपोश कर्मचारियों, अध्यापकों और छात्रों के लोकतंत्रात्मक आन्दोलनों का दमन करने के लिये केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रयोग।	,,
49	38	,,	देश में विधि और व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति को काबू में करने में केन्द्र की सर्वथा असफलता, जो कि हत्याओं और महिलाओं से छेड़-छाड़ आदि अपराधों के मामलों की तेज़ी से बढ़ती हुई संख्या से स्पष्ट है।	,,
49	39	,,	राजधानी (दिल्ली) में विधि और व्यवस्था सर्वथा भंग हो जाना और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की सर्वथा असफलता।	,,
49	40	,,	केन्द्रीय पुलिस पर व्यय की, जो 1950-51 में 3 करोड़ रुपये था, उसे 1973-74 में लगभग 125 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का कारण, जबकि विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है।	,,
49	41	,,	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के अत्याचार।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
51	42	श्री ज्योतिर्मय बसु	कांग्रेस-विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं तथा अन्य कार्यकर्ताओं का पीछा करने और इनके टेलीफोन बीच में सुनने, उनके मकानों पर निगरानी रखने और उनके पत्र-व्यवहार को बीच में अनाधिकृत रूप से पढ़ने के लिये गुप्तचर विभाग तथा अन्य गुप्तचर अभिकरणों का प्रयोग।	राशि में से 100 रुपये कटा दिये जाएं।
47	81	,,	केन्द्रीय मंत्रियों की सुरक्षा के लिये अधिक संख्या में अंग-रक्षकों का नियुक्त किया जाना, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं।	,,
47	82	,,	सत्तारूढ़ दल के हितों के लिये कांग्रेस-विरोधी राजनीतिक दलों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम का प्रयोग।	,,
46	8	श्री सरोज मुखर्जी	भाषायी अल्पसंख्यकों सम्बन्धी नीति बनाने और उस पर अमल करने में तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में असफलता।	,,
46	9	,,	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को समुचित तथा उत्तरोत्तर बढ़ावा देने में असफलता।	,,
46	10	,,	भारत के विभिन्न राज्यों में, जेलों में केन्द्रीय अधिनियम ('मिसा') के अधीन नज़रबन्द व्यक्तियों के लिये वर्गीकरण, व्यवहार तथा परिवार भत्ते के एक-समान स्तर की गारंटी देने में असफलता।	,,
46	11	,,	भारतीय जेलों में 'मिसा' के अधीन नज़रबन्द अथवा विचारणाधीन उन व्यक्तियों को जो राजनीतिक दलों और कार्मिक संघों, किसान सभाओं और अन्य लोकतांत्रिक जन संगठनों के कार्यकर्त्ता अथवा सदस्य हैं, राजनीतिक दर्जा देने के उपबन्ध की समाप्ति।	,,
46	12	,,	पश्चिम बंगाल में लोगों तथा विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं के लोकतंत्रात्मक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में केन्द्रीय गृह मंत्रालय की	,,

5 LSS/73—11

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			असफलता जिन पर पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी सरकार द्वारा बुरी तरह प्रहार किया जा रहा है, जबकि भारत के संविधान में इन अधिकारों की गारंटी दी गई है।	
47	13	श्री सरोज मुखर्जी	विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय तथा कार्य के शीघ्र निष्पादन में मंत्रिमंडल की असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
48	23	,,	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, उनकी शिकायतों तथा कर्मचारी कल्याण संबंधी सामान्य मामलों को निपटाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं।
49	24	,,	विशेष मामलों (उदाहरणार्थ हेमन्त कुमार बसु की हत्या आदि) की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने में असफलता।	,,
49	25	,,	प्रशासनिक सुधार के मामलों में संसद् के विरोधी दलों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने तथा लालफीताशाही को समाप्त कर समूचे प्रशासनिक तंत्र को नया रूप देने में असफलता।	,,
49	27	,,	विभिन्न समुदायों में शांति और सौहार्द बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों की असफलता।	,,
49	28	,,	समस्त देश में नवयुवकों और छात्रों के तीव्रता से पतन की ओर जाने की प्रवृत्ति को रोकने में पुलिस के उच्चाधिकारियों की असफलता।	,,
49	29	,,	हत्या, चोरी और बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने तथा असली अपराधियों को शीघ्र कड़ा दण्ड देने के लिये नीतियां बनाने तथा उन पर अमल करने में उच्चाधिकारियों की असफलता।	,,
46	49	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में खान ठेकेदारों द्वारा आदिवासी लड़कियों की बिक्री रोकने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
46	50	श्री डी० के० पंडा	जो बटाईदार भूस्वामियों द्वारा बेदखल किये जाने के खिलाफ अपने अधिकार जता रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस बल का प्रयोग रोकने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
46	51	,,	देश के विभिन्न जेलों से उन हजारों नक्सलपंथियों को जिन्होंने सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया है रिहा करने में असफलता।	,,
46	52	,,	उन राजनीतिक कैदियों के विचारण के सम्बन्ध में, जो लम्बे समय से विचारणाधीन हैं और विचारणाधीन कैदियों के रूप में जेलों में हैं, शीघ्र कार्यवाही करने में असफलता।	,,
46	53	,,	सामान्य रूप से सभी स्तरों पर और विशेषरूप से सरकारी उपक्रमों के अधीन ठेके पर लिये जाने वाले काम में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता।	,,
47	54	,,	विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आवश्यक सम्बन्ध लाने तथा कार्य के शीघ्र निष्पादन में असफलता।	,,
48	55	,,	उड़ीसा में उत्कल कांग्रेस और स्वतंत्र दल के मिले-जुले मंत्रिमण्डल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री आर० सिंह देव और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक आयोग तुरन्त नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,
48	56	,,	श्री हरेकृष्ण महताब के विरुद्ध और सरजू प्रसाद आयोग के आधार पर आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शीघ्र जांच करवाने की आवश्यकता।	,,
48	57	,,	खन्ना आयोग के निष्कर्षों के आधार पर उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
48	58	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा की भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्रीमती नन्दनी सत्पथी द्वारा केन्दु पत्ता व्यापारियों के सम्बन्ध में उनके पत्तों की अवधि बढ़ाने के लिये दिये गये आदेशों के आधार पर एक जांच आयोग तुरन्त नियुक्त करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
48	59	,,	लिक्स कम्पनी को, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वह अस्तित्व में ही नहीं थी, अग्रिम राशि देने के लिये उस कम्पनी के साथ धान का सौदा करने के सम्बन्ध में उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री. श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक आयोग नियुक्त करने में असफलता।	,,
48	60	,,	उड़ीसा राज्य वाणिज्यिक परिवहन निगम की ओर से 96 ट्रैलर-ट्रैक्टर मंगाने के लिये, जबकि यह ट्रैक्टर बेकार पड़े हुए हैं जापान के साथ एक करार करने के सम्बन्ध में उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने में असफलता।	,,
49	61	,,	राजधानी में विधि और व्यवस्था की स्थिति का सर्वथा भंग होना और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिये सुरक्षा का अभाव।	,,
49	62	,,	कर्मकारों, किसानों, अध्यापकों, छात्रों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के अपने अधिकारों के लिये देश में चलाये गये लोकतंत्रात्मक आंदोलनों का दमन करने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रयोग न करने की आवश्यकता।	,,
49	63	,,	बंजर भूमि के वितरण सम्बन्धी सरकारी नीति और भूमि सुधारों को ध्यान में रखते हुए उन निर्दोष भूमिहीन लोगों के विरुद्ध, जिन्होंने सामान्यतः उड़ीसा में और विशेषकर भंजनगर क्षेत्र में कानूनी रूप से सरकारी बंजर भूमि पर कब्जा किया है, लम्बे अरसे से चल रहे मामलों को तुरन्त वापस लेने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
49	64	श्री डी० के० पंडा	पुलिस प्रशिक्षण के लिये नियुक्त आयोग की सिफारिशों को उचित समय में कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
49	65	,,	पुलिस के उच्च अधिकारियों के समाज के दुर्बल वर्गों के साथ व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की आवश्यकता।	,,
49	66	,,	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर अत्यधिक निर्भरता और राज्यों में विधि और व्यवस्था कायम रखने के लिये उन पर भारी धनराशियां व्यय करना।	,,
49	67	,,	कड़ी कार्यवाही करके सी०आई०ए० और पृथकतावादी शक्तियों की गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता।	,,
49	68	,,	हत्या, बलात्कार, महिलाओं से छेड़छाड़ और चोरी जैसे अपराधों को रोकने में तथा वास्तविक अपराधियों को अनुकरणीय ढंग से कड़ा दण्ड देने में असफलता।	,,
49	69	,,	नवयुवकों में व्याप्त पतन की ओर जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये एक उत्तरोत्तर नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने में असफलता।	,,
46	70	,,	उड़ीसा में परती भूमि पर कब्जा करने के लिये संघर्ष करने वाले भूमिहीन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए आदेश जारी करने की तुरन्त आवश्यकता।	,,
46	71	,,	पिछड़ेपन (क्षेत्रीय पिछड़ेपन), गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को जो उड़ीसा में सबसे अधिक हैं और उड़ीसा राज्य की एकता के लिये खतरा हैं, हल करने की आवश्यकता।	,,
46	72	,,	भूमिहीन हरिजनों और आदिवासियों को, जमींदारों द्वारा जबरदस्ती छीनी गई उनकी भूमि पर उनका कानूनी अधिकार जताने के लिये, उनका संरक्षण सुनिश्चित करने में विफलता।	,,
46	73	,,	कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशेषकर भारत की राजधानी, दिल्ली के सन्दर्भ में सुधारने में विफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
46	74	श्री डी० कें० पंडा	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम तथा अन्य ऐसे अधिनियमों के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये व्यक्तियों, सामान्य रूप से विभिन्न राज्यों की जेलों में बन्द और विशेषकर नक्सलपन्थी लोगों के लिये वर्गीकरण, व्यवहार और परिवार भत्ते के लिये एक समान मानक की गारन्टी देने और उन्हें राजनीतिक दर्जा देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं.
46	75	,,	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों तथा विशेषकर उड़ीसा के आदिवासी हरिजनों को आर्थिक तथा शैक्षिक सुविधाएं और रोजगार देने की आवश्यकता।	,,
46	76	,,	देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में विफलता।	,,
46	77	,,	देश में जमाखोरी के विरुद्ध तुरन्त और उचित कार्यवाही करने में विफलता।	,,
46	78	,,	राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए भाषायी अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित करने तथा उसे लागू करने की आवश्यकता।	,,
46	79	,,	वसन्तपुर के किसानों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार के मामले में, जिसमें उन्हें अपनी भूमि पर उगायी गयी फसलों को काटने के अधिकार से वंचित किया गया है, हस्तक्षेप करने से इन्कार।	,,
46	80	,,	बिरला बन्धुओं के मामले में आयोग द्वारा जांच शीघ्र कराने में विफलता।	,,
46	128	श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	भारत में मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन की जांच करने और इस समुदाय को पिछड़ा समुदाय घोषित करने में असफलता।	,,
46	129	,,	केरल में खिलाफत स्वतंत्रता संग्राम में जिन मोपलों ने भाग लिया था उन्हें पेंशन देने के लिये स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में शामिल करने में असफलता।	,,
46	130	,,	उत्तरी भारतीय राज्यों में उर्दू को उचित स्थान देने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
46	131	श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	अल्पसंख्यकों के बारे में नीति बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
47	146	,,	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा राज्य में की गयी सेवाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल की गयी प्रतिशेधात्मक दर।	,,
47	147	,,	राज्य सेवाओं में मुसलमानों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के प्रश्न की जांच करने में असफलता।	,,
46	132	श्री दीनेन भट्टाचार्य	बंगाली भाषा के माध्यम से विश्वविद्यालय तक शिक्षा के सम्बन्ध में आसाम में बंगाली भाषी लोगों के अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता।	,,
46	133	,,	विभिन्न राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों के जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
46	134	,,	छात्रावास स्थापित करके और छात्रवृत्ति और छात्रावास अनुदानों की दर बढ़ाकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता।	,,
46	135	,,	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये रोजगार की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	,,
46	156	श्री सी० टी० दण्डपाणि :	स्वतंत्रता सेनानियों के दिये गये ताम्रपत्रों पर प्रादेशिक भाषाएं अंकित करने में असफलता।	,,
46	157	,,	स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा हिन्दी भाषी लोगों को दिये गये आश्वासन की भावना पर अमल करने की आवश्यकता।	,,
46	158	,,	उस परिपत्र को, जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कार्यालय के समय में हिन्दी सीखनी चाहिये अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी, वापस लेने के लिये आदेश जारी करने में विफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
46	159	श्री सी० टी० दण्डपाणि	तमिलनाडु में फिल्म अभिनेताओं के विरुद्ध, जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निदेश जारी किया गया था, अग्रेतर और आवश्यक कार्यवाही करने में विफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं
46	160	,,	आपात स्थिति समाप्त करने में विफलता।	,,
46	161	,,	भारत-बंगला देश सीमा पर से तस्करी रोकने में विफलता।	,,
46	162	,,	अहिन्दी भाषी उम्मीदवारों को विभागीय परीक्षाओं में (हिन्दी की तरह) अपनी मातृ भाषा में उत्तर देने का अवसर प्रदान करने में विफलता।	,,
51	163	,,	हरिजनों, पहाड़ी जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने में विफलता।	,,

Shri M. G. Uikey (Mandla) : The Prime Minister has done great service by adopting welfare measures for the backward areas. When the work of social welfare was under Home Ministry, it functioned satisfactorily. We hope it will continue to work in the same manner under the new Ministry.

Regarding nationalization of foodgrains, I would like to say that cooperation of state Governments is imperative for the centre. There can not be two opinions about the fact that failure to provide foodgrains on subsidized rates to the rural people will flame up discontentment among them. The Central Bureau of Investigation should be strengthened to check the increasing corruption.

It is seen that most of the orders are not implemented at lower level. This can be seen in the case of Adivasis where orders for their welfare measures are flouted. the article 46 of the constitution may be rectified in such a way as to give more powers to the centre to carry on the development works of tribal areas. The cooperative banks are not functioning in a proper way and the people are not getting benefit from them.

In my area, lands are being transferred but the report of the Home Ministry does not speak of it. Chief Ministers are not aware of the agony of poor people. As the names of tribal people are not in revenue record so they are not benefited by the money earmarked for their welfare. Preparing of revenue record will cost a huge sum which is beyond the capacity of the State Government.

The Government had done a great mistake by changing its policy towards forests in 1952. Both the Forest and Revenue departments claim land and the poor are suffering, due to this discord. The tribal welfare department should see that money is properly utilized for the welfare of the tribal people.

The Government should do something for the tribal people in the fifth Plan, otherwise, they will adopt a wrong approach to redress their grievances. The Government have utilised them land but no compensation has been paid to them. In Dandakaranya, Bengali refugees have been given lands but no one took pains to see the fate of the tribal people who were owners of these lands.

In the same way, the changing of policy by the forst department compelled the Adivasi farmers to stop shifting cultivation. The land which they got in lieu of their former land is non-cultivable and in the absence of lease in their names, they cannot get loans.

The Survey report of the four regions has been submitted to the state Government. The Central Government can know many things by going through it. Lastly, I want to say that there is no mention of giving protection to the tribal people. You should give them proper education. They can make progress after getting education You will ruin them if you do not pay proper attention towards their lot.

With these words, I support the demands of Home Ministry.

Shri M. Satyanarain Rao (Karimnagar) : I feel sorry to oppose the demands of the Home Ministry. The Government has been crushing the mass movements with the help of C.R.P. instead of devoting itself to the cause of the welfare of the nation. Secondly, factionalism is being created which is not in the interests of the nation. They are encouraging the backward classes and Harijans to rise in revolt by alleging that landlords and reactionaries are launching the movements : It is not good to talk about classless society on the one hand and encourage peoples for agitation on the other. It is better if they do not repeat the incidents of 1948 in Telangana.

The situation in Andhra Pradesh is far from clear today. Both separatists and integrationists are indulging in mud slinging. The Andhra politicians close to the Prime Minister say that there is normalcy in the state.

It will be good if a separate Telangana state is created. The Prime Minister says that the problems of Andhra Pradesh is different from other states. Now efforts are being made to abolish the mulki rules inspite of the assurances given to the contrary by the Prime Minister. I appeal for early division of the State in the larger interests of the country.

Shri Anant Prashad Dhusia (Basti) : I have gone through the report of Home Ministry. It is the duty of Home Ministry to run the administration of the country and also maintain law and order. Contrary to thus, subversive elements are being encouraged.

The atrocities being perpetrated on weaker sections are not good in the interests of the country. Their lot has not changed during these 25 years of independence. The democracy and socialism has not reached their homes. The interests of weaker sections and minorities are not being protected with the result that their condition is deteriorating.

The bureaucacy and police are main enemies of the poor. Harijans and tribal people should be recruited in the police and army in order to improve their lot : A feeling of self-respect needs to be imbibed in the minds of harijans and tribal people.

A separate Department should be opened for the all round development of harijans and tribal people.

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : It is correct that reactionary forces are suppressing the poor and innocent people.

Atrocities on harijans is now a common thing. In Banda, serious atrocities have been committed on harijans.

The law and order situation in the capital of the country is also deteriorating. There is no safety of life here. The hon. minister should pay special attention towards improving the law and order situation of the capital. There is no coordination between so many bodies functioning for the development and administration of capital. The Home Minister should look into this question.

The position of supply of water and electricity in Delhi is also not satisfactory.

The functioning of corporation is also not on sound footing. The corporation authorities are not paying any heed towards the genuine demands of the various areas under its jurisdiction.

The hon. Minister has stated in his report that a criminal law amendment bill has been passed which empowers the Government to clean any dangerous organisation : Thus law has not so far been enforced. The activities of R.S.S. have reached as far as Andhra. There are 32 *Shakhas* of R.S.S. in B.H.U. It is necessary to clean such organisations.

There exists no sufficient provision to protect the interests of the minorities. A special machinery to protect the interests of minorities should be set up by the Government.

I want to know the action taken on the decisions taken in the meeting of National Integration Council. The communal elements should not be the members of the Council.

Urdu should also be given its rightful place.

There is no adequate representation of minorities in the services. The services should represent the sections of the community in order to develop close understanding among them. I want to know the steps being taken by the Government in this direction.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : While supporting the demands of the Ministry of Home Affairs, I would like to point out two things. The first point is about political sufferers. About a year ago, the Government of India had announced that each political sufferer who had either undergone minimum imprisonment upto 6 months or remained absconding for 6 months would be given pension. About 1,25,000 applications were received for the grant of pension but uptill now about 6,000 applications have been decided. The procedure adopted in this regard is causing undue delay in the disposal of these applications. Government should evolve a formula to expedite their disposal. Quite a

few applicants have died after applying for the pension and if the work goes on at this speed, many more are likely to die. This delay is causing desparation among them. A special cell should be created in the Ministry and applications disposed of expeditiously.

While applying for pensions, applicants have to produce certificates from Jails. As these relate to by gone periods, some time they fail to get these certificates, as at certain places the records have either been destroyed or eaten away by ants. Ex-M.P's. or Ex-M.L.A's have also been empowered to issue such certificates but most of our M.P's. or M.L.A's. are those who had not been to jails. Hence they can not give such certificates. Then there may be some such people who might have demanded pardon. How that would be checked in the absence of jail records ? I would request that production of a copy of judgement should be treated as a certificate.

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair.}

At present political sufferers who are M.P's. and M.L.A's are debarred from getting pension. Membership of a legislature is a temporary thing. Therefore, they should also be allowed to get pension.

Law and order situation in the country is very bad. Murders are taking place in broad day light, but authorities are unable to take any action in the matter. Government should take steps to improve the law and order situation in the country.

Shri S. A. Shaminu (Srinagar) : Today there is widespread discontentment and frustration among Muslims. They are being prompted to join those parties which had been propagating all along the 25 years to annihilate Muslism. Blame for this can not be put on Muslims. Those people are to be blamed for this state of affairs in whom the Muslims reposed confidence.

Ruling party at the centre made all sorts of promises to Muslism at the time of elections but after the election, all the promises were forgotten.

Gujral Committee has been set up to consider the question of Urdu language. It had been said Urdu could not get its due place on account of adament attitude of Smt. Kripalani, the then Chief Minister of U.P. But today Shri Tripathi is the Chief Minister. Still this language is not being given its due place.

Aligarh Muslim University Act was passed in great haste. At that time, Government did not pay any heed to any plea of the opposition. And now it is being felt that there are certain defeets in the Act. The Vice-Chancellor has been made dictator and autonomy of the University has been destroyed. Even this feeling on the part of the ruling party is due to the fact that U.P. is to go to the polls.

Communal riots have been taking place in the country. But in spite of this, the Muslims reposed their faith in Mrs. Gandhi. But she has not prove to be their saviour. Home Ministry Report says that there have been 240 riots in the country during the current year and it says it is an improvement . There is another aspect also. Previously Hindus and Muslims used to fight, but to-day Muslims do not complain against Hindus or Jana

Sangh. They Complain against Police. The Police committed atrocities on them in Banaras, Aligarh and Gulbarga. As an Indian, I say that Muslims are not getting a chance to play their role in the mainstream of national life. The responsibility for this lies more on Congress than on any other communal party.

Member of Muslims in Central Secretariat services is very inadequate. Before they are asked to play their role in the mainstream of national life, they should be given a chance to join the mainstream of Central Services.

Muslim league has obtained about 95,000 votes in Bombay he should try to consider the reason behind this. I am not a supporter of Muslim league. Muslims did not want to sing 'Bande Matram'. This is not a national song. Even Tagore refused to sing this song on the plea that he was a 'Brahmo Samaji'. Tagore could have this right but to-day Muslims are being denied this right. Constitution and secularism of our country do not make it binding on them to sing this song. Compulsion to sing this song is an insult to our secularism.

I would appeal to Muslims also. The way they have chosen, out of religions frustration, is suicidal. They should not give up the ideal of secularism.

Shri Hari Singh (Khurja) : The Home Ministry has done good work during all these years. Dacoit problem of Chambal, Bhind, Morena and other areas has been solved with the initative of Central Government Border Secruity Force and Central Reserve Police helped in the maintenance of law and order in diffierent parts of the country. If this Central force had not been under the Centre, there would have been chaos in the country.

{श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए
Shri S. A. Kader in the Chair}

It has been said that minorities were discriminated against. Such statements are exaggeration of facts and there create disturbances. In fact, in our country, persons belonging to minorities are holding high positions. Such as Chief Minister, Judges of Supreme Court and Ambassadors, and others.

The Ministry of Home Affairs is responsible for looking after the affairs relating to scheduled Castes and Scheduled Tribes. Daily we arc hearing about atrocities being committed on them. They are murdered in broad day light, they are burnt alive. Among the Harijans there are "Mehtars" who do the scavenging work. They are mostly persecuted. The Government should pay special attention to these people and give them protection.

There is a special responsibility on Government employees. Red-tapism is standing in the way of execution of our development works. It should, therefore, be checked. Top officials should be committed to ideology of the Government and principles such as Secularism and Socialism. If they are not committed and have no faith in Secularism and Socialism. they would put obstacles in the development of the county on those lines.

Our Government is wedded to Socialism. But we find that there is wide disparity in the salaries of high officers and low paid employees. It should try to change the whole economic structure of the Society. If this wide gulf is allowed to remain, Socialism can not come. The ratio between the highest pay and lowest pay under the Government should not be more than 1 : 10.

There are a number of political suffers in our district. But cases of only a few have been decided so far, and large number of applications for pension are still pending. This delay should be minimised and these cases decided expeditiously. Procedure in this regards shovld be simplified. A special cell should be set up for this work and a time-bound programme chalked out.

There is a fixed reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services. But this quota is not filled up on the plea that suitable candidates are not available. The Government should take effective steps to fill up this quota.

There is a lot of corruption in the matter of recruitment to Delhi Police. An inquiry should be held in this regard. There should be an impartial recruitment body to make recruitments to Delhi Police on the basis of merit.

Shri Atal Bihari Vajpeyee (Gwalior) : I rise on a point of order. We are discussing demands of the Ministry of Home Affairs. But the Minister of Home Affairs is not present in the House. It is an important debate and he should be present in the House.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री दोनों कुछ समय पूर्व यहां थे वे बाहर गये हैं, परन्तु राज्य मंत्री सभा में उपस्थित हैं। चर्चा का उत्तर गृह मंत्री ही देंगे। चर्चा का कुछ भाग उन्होंने सुन लिया है और शेष भाग वह सदन के कार्यवाही वृतांत में से देख लेंगे।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सम्प्रदायिक स्थिति में सुधार हुआ है, परन्तु जो आंकड़े बताए गए हैं उनसे प्रतीत होता है कि इस बारे में स्थिति में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है ।

हाल ही की साम्प्रदायिक घटनाओं में और विशेष रूप से अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी आंदोलन में पुलिस का व्यवहार बड़ा पक्षपातपूर्ण था। पुलिस का व्यवहार पक्षपातरहित होना चाहिये परन्तु जब वह ही अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के विरुद्ध पक्षपात पूर्व व्यवहार करने लगे तो फिर स्थिति का अन्दाजा लगाया ही नहीं जा सकता। दंगों के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई। पुलिस के इस व्यवहार को भी कोई जांच नहीं की गई। प्रत्येक साम्प्रदायिक दंगे के पश्चात् उसके कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए। उस जांच में पुलिस के व्यवहार की भी जांच होनी चाहिए।

केरल में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि दंगों के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय की मस्जिदों, मदरसों अथवा अन्य धार्मिक स्थानों की क्षतिपूर्ति की स्थिति में राज्य के व्यय पर उसकी मरम्मत की जाए। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

देश की स्वतंत्रता के 25 वर्ष तक सम्प्रदायिक सद्भाव तथा समाजवाद के नारे लगाते रहने के पश्चात् समाजवाद भी हम देश में हर दूसरे दिन होने वाले साम्प्रदायिक दंगे नहीं रोक सके। यह बहुत ही शर्म की बात है। गृह मंत्रालय को अपने आसूचना विभाग के कार्य को सुचारु करना चाहिये जिससे कि विभाग दंगों के षड़यंत्रों की पूर्व सूचना एकत्र करे।

साम्प्रदायिक दंगों को उकसाने वाले उर्दू समाचार पत्रों व अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के बीच पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता है। उर्दू समाचार पत्रों के साथ पुलिस कड़ाई का व्यवहार करती है परन्तु अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही ही नहीं की जाती।

मुसलमान सम्प्रदाय को अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक के विरुद्ध शिकायतें हैं। यदि बेग समिति के प्रतिवेदन के आधार पर इस विधेयक में संशोधन नहीं किया गया तो मुसलमान इसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे।

मुसलमानों को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में सुधार लाने का एक मात्र उपाय यह है कि मुसलमान सम्प्रदाय को पिछड़ा सम्प्रदाय घोषित किया जाए और उनके लिए कोटा नियत किया जाए। केरल राज्य में मुसलमानों को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है क्योंकि वहां पर उक्त सम्प्रदाय को पिछड़ा सम्प्रदाय घोषित किया गया है। गृह मंत्री को इस समस्या के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिये।

चुनावों के समय भाषायी अल्प संख्यकों को अनेक आश्वासन दिये जाते हैं परन्तु मंत्रिमण्डल के गठन के पश्चात् उन्हें भुला दिया जाता है। देश में उर्दू की उपेक्षा की गई है। यह एक भारतीय भाषा है। अतः भारत सरकार को इस के संवर्धन के उपाय करने चाहिये। उत्तर भारत के राज्यों में तथा कुछ दक्षिण राज्यों में इसे दूसरी भाषा का स्थान दिया जाना चाहिये । इन राज्यों में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू है। परन्तु उसकी पढ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं है।

यह बहुत दुख की बात है कि मालाबार विद्रोह के स्वतंत्रता सेनानियों को मोपला विद्रोह के नाम से स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही पेंशन योजना से वंचित रखा जा रहा है।

केरल सरकार ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, घोषणा की थी कि मालाबार विद्रोह में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं। वास्तव में उन्होंने फांसी काला पानी आदि सहित अनेक यातानाएं सहीं, और एक समय आ गया था जब अंग्रेजों ने मोपलाओं को स्वतंत्रता देने की बात भी सोच ली थी। परन्तु खेद है कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि वे लोग राजनीतिक पेंशन के अधिकारी नहीं हैं। नौकरशाहों का इस प्रकार का हस्तक्षेप कदापि नहीं माना जाना चाहिये और मंत्री महोदय को इस मामले की स्वयं जांच करके उन्हें पेंशन का अधिकारी मानना चाहिये उनमें से अनेक स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं और उनके बलिदान के प्रति न्याय अवश्य होना चाहिये।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : यद्यपि भारत ने 25 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त की थी, परन्तु प्रशासनिक मशीनरी अभी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। जब तक इसमें आमूल सुधार नहीं होगा सामाजिक-एवं-आर्थिक न्याय की बात केवल बात ही रहेगी। अधिकारीगण अपने को जनता के सेवक न समझ कर स्वामी समझते हैं। उनके मन में गरीब और दलित वर्ग के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। इसके लिए उनकी भर्ती का गलत तरीका जिम्मेदार है। कसौटी शैक्षिक योग्यता के स्थान पर उनका दृष्टिकोण और लोकतंत्रीय समाजवाद में आस्था होनी चाहिये। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग में चयन कर्त्ता भी इसी विचारधारा के होने चाहियें ताकि वे ठीक व्यक्तियों का चयन कर सकें।

इसके लिए शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को भी बदलना होगा, क्योंकि इसका जीवन की वास्तविकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए छात्र असंतोष और शिक्षित बेकारों की समस्याएं आज ईतनी गंभीर हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को भी छात्रों का प्रयोग अपने मनोरथों के लिए नहीं करना चाहिये।

पूर्वोत्तर क्षेत्र न केवल स्वतंत्रता से पूर्व अपितु इसके बाद भी काफी समय तक उपेक्षित रहा इसलिए पिछड़ा रहा है। अब यहां तीन राज्य और दो संघराज्य क्षेत्र बना दिए जाने से शायद विकास के द्वार खुलें।

आसाम जैसे राज्य में यद्यपि खनिजों का बाहुल्य है फिर भी देश के औद्योगिक चित्र पर इसका कोई स्थान नहीं है। अब भी गोहाटी तक भी कोई बड़ी लाइन नहीं है। लोगों के बहुत मांग करने पर भी तिनसुखिया के बजाय बंगार्द-गांव तक ही बड़ी लाईन बढ़ाई गई है।

यद्यपि रोजगार देने के मामले में स्वयं प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने कई बार निदेश दिये है स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये, परन्तु वास्तव में इसका अधिकाधिक उल्लंघन हो रहा हैं। आसाम जैसे राज्य में सभी सरकारी उपक्रमों में स्थानीय लोगों को रोजगार के उचित अवसर नहीं दिए गए हैं। इसके कारण उनमें भारी असंतोष है और आशा है गृह मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन निदेशों का पूरा-पूरा पालन हो।

आसाम में हाल ही में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर जो दंगे हुए थे, उन्हें दबाने और सामान्य स्थिति उत्पन्न करने में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने सराहनीय कार्यवाही की है और जनता ने भी अपना सहयोग दिया है। हम हिंसा की सभी घटनाओं की निन्दा करते हैं। श्री डी० के० बरुआ तथा आसाम के पूर्ति मंत्री के प्रयास विशेष रूप से सराहनीय हैं।

आसाम और नागालैण्ड के बीच सीमा विवाद भी हिंसक रूप धारण कर सकता था परन्तु दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की बातचीत से तथा केन्द्र के प्रयासों से आशा है यह समस्या भी शीघ्र हल हो जाएगी।

नागा और मिज़ो विद्रोहियों की गतिविधियों से भी पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है। मंत्री महोदय को इस विषय में सतर्क रहना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Virbhadra Singh (Mandi) : Sir, I support the Demands of Ministry of Home Affairs. The law and order situation in the country in general and in Delhi in particular is causing much concern. The causes of this state of affairs are both economic and social. But the most important reason is indegnery of Police force in the Capital and also the outdated and outmuded equipment available with them. Then mobility should be increased. I understand that periodical review is made to assess the strength of police force every three years and that it is now due in case of Delhi. I therefore, request the hon. Home Minister to see that the police force of the capital becomes an upto-date force.

Regarding border distircts, I submit that they were reorganised in 1960 and the purpose was to ensure adequate attention towards then developments and much was achieved in this direction. Take for example Kinnor district of Himachal Pradesh, we find an army officers but the administrative pattern is faulty. The State Government pleads helplessness and says that it is the creation of the centre. I would, therefore, request that then number be reduced and the pattern may be changed in border districts.

I am much surprised to note that some people in the country object to the Song Vande Matram'. When the constitution was being prepared, a question arose whether this song or "Jana Gana Mana" be declared our national Anthem and although this statu, wa

accorded to the latter, the former was also to be accorded the same respect and honour. I submit that no one should be allowed to insult 'Vande Matram' and that the relevant Act be amended to include penal action against those who show disrespect and dishonour to this song also.

Shri S.A. Shaminu : How is the possible. [*Interruptions.*] Why you did not make if the national anthem :

[*Interruptions*]

सभापति महोदय : श्री शमीम, आप इस प्रकार सभा में गड़बड़ नहीं कर सकते। उन्हें सुझाव देने का पूरा अधिकार है।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं एक मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा। संविधान सभा में पं० नेहरू ने सभा की ओर से कहा था कि 'जन-गण-मन' राष्ट्र गीत होगा। परन्तु 'वन्दे मातरम्' को भी जिसका नारा लगाते हुए अनेक स्वाधीनता सेनानी फांसी पर चढ़ गए वही स्थान प्राप्त होगा। इसके पश्चात् अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने खड़े होकर 'वन्दे मातरम्' गीत गाया था।

Shri Virbhadra Singh : I am grateful to Shri Dandvate for confirming my view. I would now request the Ministry of Home Affairs to accord the same status to 'Vande Matram' as has been accorded to the national Anthem and make its dishonour a penal offence.

I want government to declare its policy regarding the future of Union territories because they cannot be kept as such for ever. The creation of North Eastern Council for states in N—E India is a welcome decision. I would request for creation of a simlar council for Himachal Pradesh, J & K, Chandigarh., Punjab and Haryana. This will go a long way in creating a better understanding among the states and then speady development. Today a demand is being raised for creation of more states out of the existing ones due to economic disparities etc. I am one of those who were opposed to the creation of states on linguistic basis and our apprehension has to come true. I would, therefore, request the Government to take steps to remove regional imbalanes and other inequalities.

गुरु गोविन्द सिंह मेडीकल कालिज, फरीदाबाद के बारे में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में चर्चा

DISCUSSION ON STATEMENT MADE BY MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING REGARDING GURU GOBIND SINGH MEDICAL COLLEGE, FARIDABAD

Dr. Laxmi Narain Pandaya (Mandsaur) : Sir the statement of the Minister of Health is most disappointing to the students of the said College. The statement of the former Minister had raised hopes of a satisfactory solution to this problem. Not even once during the previous four discussions held in the House on the subject have Government had accepted its responsibility in this muddle although it is evident that the State Government is squarely responsible in this matter. After all, it is a registered body which has collected as much as

44 lakh rupees and the State Government extended the facility of bringing dead bodies and other medical facilities which lent credence to its being accorded early recognition by a University and Medical Council of India. When Haryana Government was approached regarding its application to a University, they stated that the College is sub-standard and it does not have adequate funds etc. and this may be improved. The State Government was asked to enquire into its affairs, but they declined on the plea that it was registered in Delhi. C.B.I. Enquiry was initiated but it appears that no action is proposed to be taken against those who cheated the students in the sacred name of Guru Gobind Singh. According to my information they have loaned 55 lakh rupees to two other Companies on interest.

The statement of the Minister of 22nd instant is most astonishing. If he had given that advice to students on earlier occasions, the students could have enough time to plan their future. On the other hand, he had then promised to consult the Punjab and Haryana Governments to solve this problem. But in the meeting, the promoter of the College was also included and, therefore, no solution could be evolved. The hon. Minister has alleged that most of the students are sub-standard but according to my information, only very few students have below 50 percent marks.

Some suggestions have come from Parents Association regarding realisation of donations already made and even raising additional funds to enable the College to function and till land for the College is available, it may function in the existing building.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K.N. Tiwary in the Chair]

If Government makes a little effort, the College can get Punjab University's affiliation. I am of the view that if Government takes a little interest, this problem can be solved. The good offices of the hon. Speaker may also be made use of. We want to know what Government propose to do for these students.

The hon. Minister had stated here on 7th March that he would solve the problem within a week but it has not been solved as yet. The students who are on hunger strike are in a grave condition. He has a big say in the matter but he is backing out. The college authorities in their brochure have said that Government is unable to do anything in the matter but I think they have made the future of students dark and are playing with their future. Now the Minister has expressed his helplessness in the matter but I feel that if Government is sincere, they can take positive steps and bring the culprits to book. The hon. Minister should have come out with a concrete and constructive solution. Unless this is done all talk and debate would be futile. I appeal to you to find a proper solution of the problem to end the misery of the poor students.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : सरकार ने और श्री खाडिलकर ने फरीदाबाद मेडिकल कालेज के छात्रों के सम्बन्ध में जो रवैया अपनाया है वह निन्दनीय है। सरकार सदैव कोई बहाना ढूंढ कर उसकी आड़ लेती रही है।

एक ओर डाक्टरों का इतना अभाव है और दूसरी ओर डाक्टर बनने के इच्छुक छात्रों के साथ इस प्रकार धोखाधड़ी की जाती है और उनकी कोई उचित सहायता भी नहीं की जाती । जैसा कि श्री पाण्डेय जी ने कहा है, श्री खाडिलकर के पहले के वक्तव्य नित्तांत गैर-जिम्मेदाराना हैं और वह हरियाना के मुख्य मंत्री जैसे 'ईमानदार' व्यक्ति की बात का विश्वास करते हैं जो एक ओर तो इस कालेज की स्थापना पर अपना 'आशीर्वाद' भेजते हैं परन्तु बाद में छात्रों को मंझधार में छोड़ कर कन्नी काट जाते हैं। मैं श्री खाडिलकर से पूछता हूं कि जिन छात्रों को पहले ही छला जा चुका है उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा है ?

मंत्री महोदय ने बताया था कि प्राइवेट मेडिकल कालेजों में प्रतिव्यक्ति शुल्क लिये जाने के विरुद्ध है और वह इस प्रकार के कालेज स्थापित करने को निरुत्साहित करेगी। भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि राज्य सरकारें स्टेट सेक्टर में चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में आर्थिक पहलुओं पर विचार करके ऐसे प्राइवेट कालेजों को अपने नियंत्रण में ले लें। मैं पूछना चाहता हूं कि फ़रीदाबाद में स्थित कालेज और पटना स्थित पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज और बनारस स्थित सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज के बारे में इस दिशा में क्या प्रगति हुई है? मंत्री महोदय ने लोक सभा में घोषणा की थी कि देश में घटिया चिकित्सा कालेजों के खोले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है? विद्यार्थियों के माता पिता ने एक कमेटी बनाई है और उन्होंने कुछ अनुरोध किये हैं जो बहुत ही उचित हैं। मेरे विचार में उसकी एक प्रति मंत्री महोदय के पास है। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी 6 सूत्री मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

फ़रीदाबाद में 170 विद्यार्थियों से 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से धनराशि ली गई है। पटना में एम०बी०बी०एस० में दाखिले के लिये प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये लिये गये हैं। आप यह सुनकर चकित होंगे कि ये विद्यार्थी पटना कालेज में गत 18 महीनों से प्रथम एम०बी०बी०एस० में हैं परन्तु इसे अभी तक सम्बद्ध नहीं किया गया है क्योंकि वह अध्यापक लेने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् की शर्तें पूरा नहीं करता। वहां के विद्यार्थी बहुत निराश हो गये हैं क्योंकि उनके 18 महीने बेकार चले गये हैं। प्रबन्धकों ने उन्हें शांत करने के लिये 50 प्री-मेडिकल विद्यार्थी फ़रीदाबाद भेज दिये हैं, परन्तु अब भी वहां 200 विद्यार्थी हैं जिनका भविष्य अन्धकारमय हो रहा है। पाटलीपुत्र कालेज में भी 60 लाख रुपये इकट्ठे किये गये हैं और अब एक ट्रस्ट बनाने की बात कही जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रस्ट की बैठक में जिसकी अध्यक्षता पंजाब के मुख्य मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने की थी, हरियाणा के मुख्य मंत्री को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती क्योंकि यह संस्था हरियाणा में स्थित है। पंजाब, हरियाणा और केन्द्र में एक ही दल अर्थात् कांग्रेस का शासन है। अतः वह कोई ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं करती जिससे इन विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय न हो।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज की स्थिति बहुत खराब है। अब समय आ गया है जब स्वास्थ्य मंत्रालय को भविष्य में मेडिकल कालेजों और इस मेडिकल कालेज के बारे में जो चर्चाधीन है, नीति सम्बन्धी निर्णय लेना चाहिये। लगभग 200 विद्यार्थियों के साथ धोखा किया गया है और प्रत्येक विद्यार्थी से लगभग 20,000 रुपये लिये गये हैं परन्तु इसके बावजूद मंत्री महोदय का कहना है कि वह इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। मंत्री महोदय को इस बारे में पुनः विचार करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार का कहना है कि वह स्वयं कोई मेडिकल कालेज नहीं चलाती, राज्य

सरकारें चलाती हैं। परन्तु मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार भी कुछ मेडिकल कालेजों का संचालन करती हैं और उनमें से कुछ दिल्ली में ही हैं। गुरु गोबिन्द सिंह मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों के माता-पिता ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है। वे मंत्रालय से कुछ सहायता चाहते हैं। उनकी मांग बहुत उचित है। उनका कहना है कि इस कालेज के ट्रस्टियों ने जो धन-एकत्र किया है उनसे ले लिया जाये और केन्द्रीय सरकार से कुछ सहायता प्राप्त करके एक ट्रस्ट बना दिया जाये और इस मेडिकल कालेज को चलाया जाये। मंत्री महोदय को उनकी मांगें स्वीकार कर लेनी चाहियें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस वाद-विवाद को सत्ताधारी दल और विरोधी पक्ष के बीच का विवाद नहीं समझना चाहिये बल्कि हम सब को मिलकर सर्वसम्मति से कोई ऐसा हल निकालना चाहिये जिससे सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर सकें। 18 जनवरी, 1973 को ट्रस्ट बनाने के लिये पंजाब के मुख्य मंत्री ने एक बैठक आयोजित की थी परन्तु दुर्भाग्य से उस दिन मुख्य विषय पर चर्चा नहीं हो सकी थी। मैं जानना चाहता हूं कि कुछ कठिनाइयां हैं परन्तु विद्यार्थियों के माता पिता ने बहुत ही रचनात्मक कार्य किया है। उन्होंने एक संघ बनाया है और वे अपने कई मित्रों से मिले हैं जिनसे उन्हें दान मिल सकता है। भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वर्त्तमान स्वास्थ्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री ने भी ट्रस्ट बनाने का प्रयत्न किया है। लोक सभा के अध्यक्ष स्वयं इस ट्रस्ट के चेयरमैन बनने के लिये तैयार हैं। मेरा निवेदन यह है कि प्रधान मंत्री, अध्यक्ष महोदय और विद्यार्थियों के माता पिता की संस्था तथा विद्यार्थियों के सहयोग से पटना का समाधान हटा देना चाहिये और कुछ ऐसे प्रयत्न करने चाहियें जिनसे वे विद्यार्थी उसी फरीदाबाद कालेज में पुनः आ जायें।

श्री के० लक्कपा (तुमकुर) : इस मामले को आत्म सम्मान का मामला नहीं बनाया जाना चाहिये हमें गुरु गोबिन्द सिंह के नाम पर स्थापित इस मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखना चाहिये। इस कालेज के प्रबन्धकों ने गुरु गोबिन्द सिंह के नाम का दुरुपयोग किया है और विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी की है। इस मेडिकल कालेज में इस देश के विभिन्न भागों के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी विद्यार्थी हैं। इनके माता-पिता ने 25,000--35,000 रुपये इस आशा पर खर्च किये हैं कि उनके बच्चे डाक्टर बनेंगे। अब वे सोचते हैं कि उनके साथ 40 लाख रुपये का धोखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा और भारत सरकार ने, जब उन्हें इस मामले की जानकारी दी गई थी, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? मंत्री महोदय ने वचन दिया था कि इन विद्यार्थियों की समस्याओं पर विचार किया जायेगा परन्तु उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

छात्रों और उनके अभिभावकों ने इस समस्या के हल के लिए यह सुझाव दिया है कि इस कालेज को ने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाये और इसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाये और मान्यता प्रदान की जाये। इस सुझाव को सरकार क्यों स्वीकार नहीं करती?

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि इस मेडिकल कालेज में जिन छात्रों ने प्रवेश लिया है, उनके प्राप्तांक अन्य मेडिकल कालेजों के छात्रों के बराबर नहीं हैं। मुझे बताया गया है कि इस कालेज में छात्रों को प्रवेश देते समय नियम और विनियमों का कठोरता से पालन किया गया है।

अब और अधिक समय नष्ट किये बिना हरियाणा सरकार को इस कालेज का अधिग्रहण करना चाहिए और इस कालेज का अधिग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को उन्हें वित्तीय सहायता देनी चाहिए। सभी प्राइवेट मेडिकल कालेज घाटे में चल रहे हैं और छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।

अतः सभी प्राइवेट कालेजों का सरकार को अधिग्रहण करना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में घोषणा करेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker *in the chair*]

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह समस्या महीनों से चली आ रही है और न्यायोचित समाधान यह होगा कि छात्रों और अभिभावकों को स्वयं यह संस्था चलाने की अनुमति दी जाये।

सहकारी समिति अथवा एक संस्था का निर्माण किया जा सकता है और उसका प्रधान किसी प्रमुख व्यक्ति को बनाया जा सकता है। लोक सभा के अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में काफी रुचि ली है, अतः अगर अध्यक्ष महोदय को इस संस्था का प्रधान बना दिया जाय, तो भविष्य में इस संस्था को सौंपी जाने वाली धनराशियां सुरक्षित रह सकती हैं।

प्रो० मधु दण्डवते की तरह मैं भी सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री महोदय इस प्रकार की समिति अथवा संस्था को बनाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे, जिससे छात्र पिछले प्रबन्धकों द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्ति को प्राप्त कर सकें। सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि संस्था द्वारा एकत्रित सारा धन नई संस्था को सौंपा जाय।

इस समस्या का शीघ्र ही समाधान होना चाहिए। मंत्री महोदय इस प्रकार इस समस्या को अनिर्णीत नहीं रख सकते।

श्री सी० के. चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह की एक मात्र घटना नहीं है। शिक्षा को और विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा को एक धंधा बना लिया गया है। मेडिकल कालेज अथवा इंजीनियरिंग कालेज चलाकर प्राइवेट प्रवन्धक छात्रों और अभिभावकों से भारी मात्रा में धनराशि इकट्ठी कर रहे हैं। इसी कारण महापुरुषों और सत्तारुढ़ व्यक्तियों के नामों का प्रयोग करके भारी संख्या में मेडिकल कालेजों की स्थापना हो रही है।

मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब गुरु गोबिन्द सिंह विद्या सेवक सोसाइटी नामक ट्रस्ट ने यह मेडिकल कालेज चलाने की सरकार से अनुमति मांगी थी तब क्या मंत्री महोदय अथवा यह सरकार सो रही थी? तब सरकार को पता था कि छात्रों से 10,000 रुपये दान के रूप में लिये जायेंगे और 10,000 रुपये फीस के रूप में लिये जायेंगे। बोट क्लब पर छात्र पिछले कई सप्ताह से भूख हड़ताल कर रहे हैं। वे जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहे हैं और आपके दिल में उनके लिए कोई सहानुभूति भी नहीं है। इनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार को कोई रचनात्मक सुझाव रखना चाहिए।

जनता के साथ धोखा किया गया है और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। एक जांच चल रही है, पता नहीं उसमें कितना समय लगे। वर्तमान ट्रस्ट की सारी सम्पत्ति जब्त की जानी चाहिए और उसके बाद प्रस्तावित ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए।

मुझे खुशी होगी अगर इस चर्चा के बाद मंत्री महोदय रचनात्मक सुझाव रखें और उसे क्रियान्वित करके स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचावें। अगर सरकार इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकना चाहती है, तो प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए।

Shri Satpal Kapur : I put forward the proposal for a trust for the college. There is no other solution of this problem. If a trust is formed , I would be able to collect Rs. 25 lakhs. I have proposed certain persons who can be put on the trust as its members.

The old society has got Rs. 14 lakhs. The land they have is worth Rs. 4 lakhs and it is learnt that the students still have a balance of Rs. 10 lakhs with them. Unless this amount of Rs. 28 lakhs is made available, the trust would not function successfully. The trust's success also depend on the co-operation of the Chief Minister of Haryana.

The Chairman of the present society would never give back the money unless he has the fear of being put behind the bars. Therefore, the Health Minister would have to use his good offices so that the Haryana Government can take some action and those who have duped the students can be brought to book.

If we are able to have some good members on the trust, there is no doubt that it would function successfully.

श्री बसन्त साठे (अकोला) : पिछली बार मंत्री महोदय ने कहा था कि समस्या के समाधान के लिए मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, परन्तु बाद में अपने वक्तव्य पर मंत्री महोदय को स्वयं ही निराशा हुई होगी।

सबसे पहले मैं यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं जो मंत्री महोदय ने और अधिकारियों ने जनता में पैदा की है। वह यह है कि इन छात्रों ने कालेज में स्थानों को खरीदा था। राज्य सभा में यह संकेत दिया गया था कि चूंकि इन लोगों के पास काला धन है, तभी ये प्रति व्यक्ति शुल्क की अदायगी कर सकते हैं और ये चोरबाजारियों अथवा सेठों के बेटे हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि ये मध्यम वर्ग वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडोगरा) : वे अपनी जायदाद बेचकर यहां आये हैं।

श्री बसन्त साठे : इनमें से अधिकांश डाक्टरों के बेटे हैं, जिनके पिता यह चाहते हैं कि उनके बेटे उनके नाम को आगे बढ़ायें।

एक लड़की परमजीत चीमा एयर फोर्स के एक जवान की लड़की है और प्रतिभा रैना एक अध्यापक की लड़की है।

चिकित्सा परिषद् की न्यूनतम आवश्यकता अर्थात् 45 प्रतिशत अंक की शर्त में सभी छात्र पूरी करते हैं। इनके अंक उससे कहीं ज्यादा हैं। जिन 170 छात्रों ने दाखिला लिया था, उनमें से 45 से 50 प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त करने वाले केवल 23 छात्र हैं। 16 प्रथम श्रेणी के छात्र हैं, अपने उच्च द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है और 97 छात्रों ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हुई है। हमारे देश में यह एक दुर्भाग्य ही है कि कम संख्या में मेडिकल कालेज होने के कारण और कड़ी प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण केवल उन छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता है जिन्होंने 60 अथवा 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों।

भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने वचन दिया था कि अगर ट्रस्ट की स्थापना की जाती है, तो सब सम्भव सहायता दी जायेगी और मैं अपने सद्‌भाव का उपयोग करूंगा। पंजाब के मुख्य मंत्री ने भी प्रयास किया। यह मेडिकल कालेज पटना नहीं ले जाया जाना चाहिए।

अभिभावकों ने एक सोसायटी का गठन किया है। लेकिन वे स्वयं कालेज को नहीं चला सकते। श्री जोगिन्दर सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सतपाल कपूर और अन्य इच्छुक नेताओं के सहयोग से समिति गठित की जानी चाहिए। इसके बाद धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। जो धन पहले से लगा है उसे वापस प्राप्त किया जाना चाहिए।

पिछली बार मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं क्या कर सकता हूं? यह एक अन्तर्राज्यीय मामला है। हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इसकी जांच करवायेंगे। श्री ज्ञान सिंह ने अपनी पुस्तिका में स्वीकार किया है कि उसने धन लिया है। पुलिस के पास भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, फिर भी सरकार अपने आपको असहाय क्यों महसूस कर रही है? आप प्रबन्धकों से कहिए पैसा वापस दो, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप अर्जुन की तरह गाण्डीव क्यों फेंक रहे हैं? छात्रों को यह सलाह देना बहुत ही अनुचित है कि वे अन्य मेडिकल कालेजों में प्रवेश लेने का प्रयास करें। ये पंजाब के नवयुवक जो देश की सीमा की रक्षा कर सकते हैं और पिछले आठ महीनों से अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, अगर उन्हें उत्तेजित किया गया, तो वे हिंसा पर भी उतारू हो सकते हैं जो एक अवांछनीय बात होगी।

आप मंत्रालय के कार्य की शुरुआत असफलता से न करें। समिति की स्थापना हो चुका है; अब आप उसकी सहायता करें।

अध्यक्ष महोदय : डा० आस्टिन भी बोलना चाहते हैं। मेरा सुझाव यह है कि इस पर एक दिन और चर्चा जारी रखी जाये। तब तक मंत्री महोदय को भी समय मिल जायेगा कि वह सदन में वक्तव्य किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए तैयार होकर आयें।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : यह बहुत दुख की बात है कि देश के विभिन्न भागों और विदेशों के जिन 170 छात्रों ने फ़रीदाबाद मेडिकल कालेज में प्रवेश लिया, उन्हें पिछले कई महीनों से शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्र होना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को समाज सेवा के क्षेत्र में आने का कोई अधिकार ही नहीं, जो अपने वचन पर कायम नहीं रह सकते। सरकार ने संभवतः प्राइवेट मेडिकल कालेज की स्थापना करने की इसलिए अनुमति दी थी कि इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र की अतिरिक्त पूंजी का उपयोग हो सकेगा, परन्तु धन और सत्ता लोलुप लोगों ने शिक्षा और संस्कृति के केन्द्रों को कितना गन्दा कर दिया है, यह इस घटना से सिद्ध हो जाता है।

इस परियोजना के प्रारम्भ से ही इस संस्था के संचालकों का निहित स्वार्थ था। पहले वे करनाल में कालेज स्थापित करना चाहते थे और हरियाणा सरकार के विरोध के बावजूद फ़रीदाबाद में मेडिकल कालेज खोल दिया। पटना में भी इन्होंने प्रयास किया था। सिखों के 10वें गुरु के नाम का दुरुपयोग किया गया। ये धर्मार्थ और मानवीय कार्य करने के लिए आगे आये थे, परन्तु उन्होंने काम तो इसके प्रतिकूल ही किया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी कई छात्रों ने प्रवेश लिया है और कुछ छात्र विदेशों से आये हैं। ये छात्र वापस जाने के इच्छुक नहीं हैं, भले ही उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े।

मुझे खेद है कि मंत्री महोदय इन 170 छात्रों को कोई आशाजनक उत्तर नहीं दे सके हैं और ये छात्र रफी मार्ग पर जिन्दगी-मौत के संघर्ष से जूझ रहे हैं। यद्यपि जांच चल रही है, परन्तु मेरे विचार में अगर संचालक कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं कर सके, तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि धन का गबन किया गया है। मैं प्राइवेट कालेजों में प्रति व्यक्ति शुल्क के विरुद्ध हूं।

प्राइवेट कालेजों के बारे में सरकारी नीति के कारण ही इन छात्रों ने इस कालेज में प्रवेश लिया था। इसलिए इन छात्रों को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। अभिभावकों ने समिति का गठन किया है और सभी उदार व्यक्तियों को इन नवयुवकों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। सरकार को ट्रस्ट की पूरी सहायता करनी चाहिए और अपराधियों को जेल भेजना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह है कि इस विषय पर चर्चा स्थगित कर दी जाये। मुझे अप्रत्यक्ष रूप से पता चला है कि मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए और अधिक समय चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : अगर बिना उत्तर दिये ही वह कालेज चालू कर देते हैं, तो हमें खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय अधिक सावधानी से विचार कर सकेंगे।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय को यह आदेश दिया जाना है कि उन्हें समाधान ढूंढ़ना है!

अध्यक्ष महोदय : उन्हें निश्चित रूप से समस्या का समाधान ढूंढ़ना है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका पता है।

MGIPRRND—5LSS/73—C.R.—V—9-8-73—490